Youth Manual

PVCHR

NOREC
NORWEGIAN AGENCY FOR EXCHANGE COOPERATION

इन्सेक
INSEC

JAN MITRA
..turning dots into line

विषय सूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पेज नं0
1.	विषय सूची	01
2.	भारत का संविधान	02
3.	प्रस्तावना	03
4.	शुभकामना पत्र	04
5.	भारतीय संविधान प्रस्तावना और मौलिक अधिकार	08
6.	आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू	09
7.	India Youth and their realities with way forward	11
8.	Thinking About a live- In Relationship....	15
9.	विकल्प और सम्मान	19
10.	पाती : अध्यापकों एवं अभिभावकों के नाम	24
11.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की आजादी	28
12.	धार्मिक बहुलता तथा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व	30
13.	हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध एक नजर	36
14.	उ0प्र0 किशोर न्याय	49
15.	निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009	52
16.	सूचना का अधिकार	57
17.	सूचना आवेदन प्रपत्र का नमूना फार्मेट	60
18.	मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा	61
19.	डी0के0 बसु	66
20.	मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी	70
21.	मेरी जीवन का एक छोटा सफर पीवीसीएच आर टीम के साथ	71
22.	26 अक्टूबर, 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	72
23.	क्या आप वाकई मुस्लिमों को जानते हैं...?	74
24.	मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी–दीपक चौबे	79
25.	मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी–विनती विश्वकर्मा	83
26.	हेल्पलाइन नंबर	84
27.	NOREC	85
28.	मानवाधिकार जननिगरानी समिति	86
29.	INSEC - PVCHR	87

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

प्रस्तावना

रामधारी सिंह दिनकर ने सही कहा है, "साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिन्ता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।"

और जो दिखता है वही सच नहीं होता है। दिखता है कि सूर्य पृथ्वी के चारो और चक्कर लगा रही। किन्तु सच यह है कि पृथ्वी सूर्य का ग्रह है और सूर्य के चारो और चक्कर लगा रही है। भगत सिंह ने इसीलिए तर्क और विश्लेषण पर जोर दिया।

यह पुस्तिका उसी की एक कड़ी है। श्रुति नागवंशी, शिरीन शबाना खान, अभिमन्यु प्रताप, ओंकार विश्वकर्मा, अरविन्द कुमार का योगदान के बिना यह पूर्ण नहीं होता, उन सबको साधुवाद।

आप इसे विश्लेषण करने के लिए और तर्कवादी बनने के लिए प्रयोग करे और बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे।

आपका अपना

(डा0 लेनिन रघुवंशी)
संस्थापक और संयोजक
मानवाधिकार जन निगरानी समिति
सा 4/2ए, दौलतपुर, वाराणसी– 221002 (भारत)
Email : pvchr.india@gmail.com
www.pvchr.asia
www.janmitranyas.in

मैनुअल NOREC-INSEC, PVCHR परियोजना द्वारा वित्तपोषित व जनमित्र न्यास द्वारा प्रकाशित है। लेखकों के अपने स्वयं के विचार हैं जनमित्र न्यास से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। न्यास ने भारत के संविधान के मूल भावना के तहत ये मैनुअल प्रकाशित किया है।

आशुतोष सिन्हा

विधायक
सदस्य, विधान परिषद
स्नातक खण्ड वाराणसी

[illegible]
Mob : [illegible]
[illegible]@gmail.com

• वाराणसी • चंदौली • गाजीपुर • बलिया • जौनपुर • भदोही • मिर्जापुर • सोनभद्र

पत्रांक : [illegible] दिनांक : 18.02.2022

शुभकामना पत्र

महोदय,

मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राष्ट्रविकास जनहितकारी समिति एक सामाजिक संस्था है, जो कि विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में युवाओं के शैक्षिक, बौद्धिक व सामाजिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है।

यह संस्था, युवा [illegible] के द्वारा सन् 2001 से ही युवाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रमुख सामाजिक विषयों जैसे- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय युवा नीति व विकास योजनाएँ, युवा सुरक्षा, जीवन कौशल व नेतृत्व, युवा स्वास्थ्य व पोषण एवं युवाओं के वैज्ञानिक व सामाजिक विकास पर जागरूकता शिविर व कार्यशालाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का सराहनीय कार्य कर रही है।

राष्ट्रविकास जनहितकारी समिति का यह राष्ट्रीय कार्य जनहितकारी मूल्यों के संवर्धन के दृष्टिकोण से अति-उत्तम है। मैं आशा करता हूँ कि यह संस्था भविष्य में भी पूर्ण उत्साह के साथ देश, समाज एवं युवाओं की बेहतरी तथा जनहित व लोकहित के बहुउद्देशीय कार्यों का निष्पादन करती रहेगी।

मैं इस सामाजिक संस्था व इसके सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ, युवाओं के दृष्टिकोण, बहुआयामी एवं समावेशी लोकतंत्र, सतत विकास प्रक्रिया एवं राष्ट्रविकास को समर्पित युवा भागीदारी वैचारिकी के निर्माण हेतु अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूँ।

आशुतोष सिन्हा
सदस्य विधान परिषद
स्नातक खण्ड वाराणसी (उ.प्र.)

सुदेश कुमार महतो

पूर्व उपमुख्यमंत्री, झारखण्ड

विधायक, सिल्ली विधानसभा

[illegible]

रांची, झारखण्ड

Mobile:- [illegible]

Fax no:- [illegible]

पत्रांक : [illegible] दिनांक : [illegible]

शुभकामना संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि [illegible] समिति द्वारा युवा भागीदारी मैनुअल बनाया जा रहा है जिसमें समाज में युवाओं की भागीदारी की सार्थकता के विषय में प्रकाश डाला गया है। यह मैनुअल समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी साबित होगा।

[illegible] समिति द्वारा [illegible] के लिए बनाया जा रहा युवा भागीदारी मैनुअल की सफलता हेतु हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं।

(सुदेश कुमार महतो)

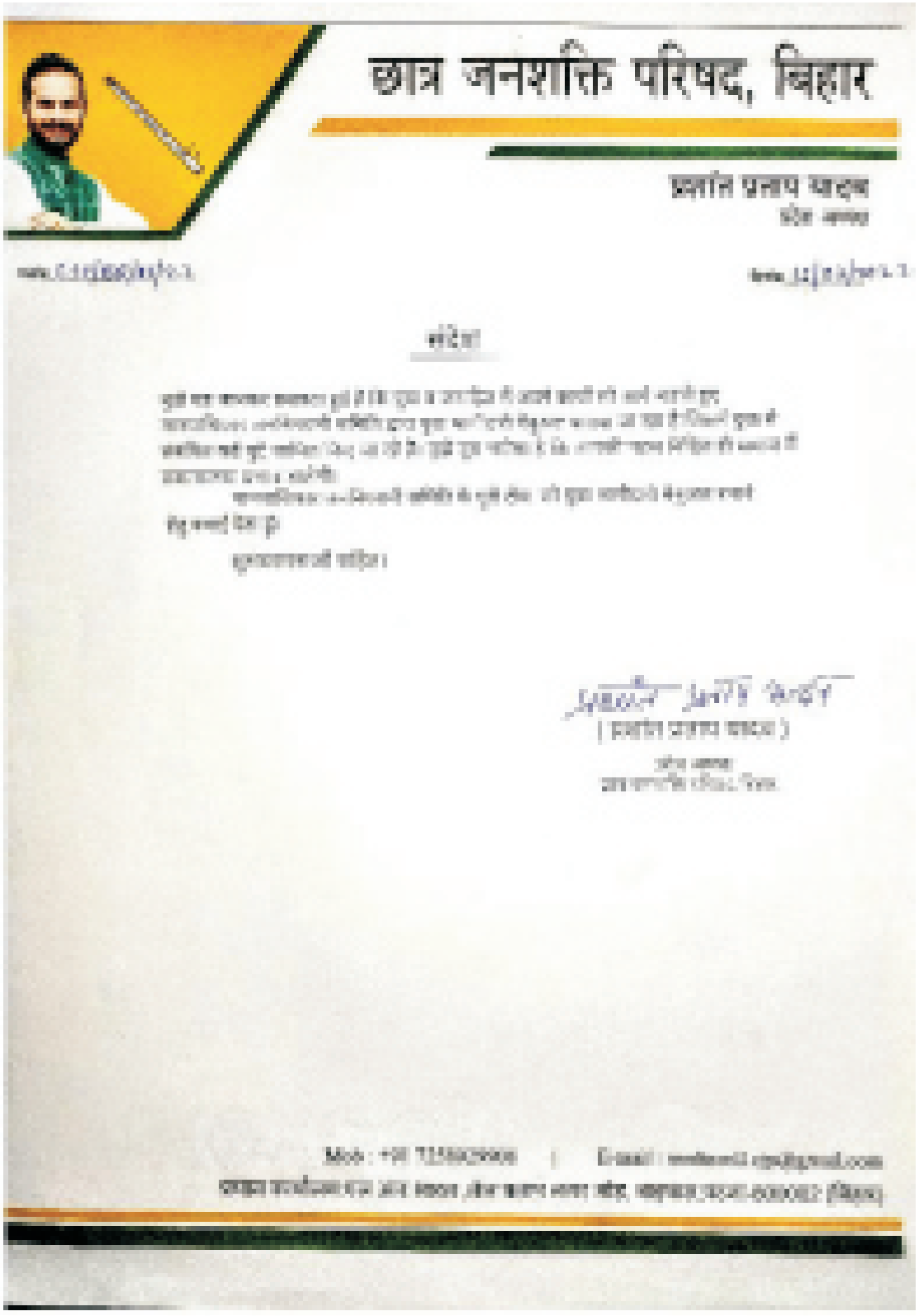

छात्र जनशक्ति परिषद, बिहार

प्रशांत प्रताप यादव
प्रदेश अध्यक्ष

[illegible]

संदेश

[illegible]

(प्रशांत प्रताप यादव)
[illegible]

Mob : [illegible] | E-mail : [illegible]
[illegible]

MUSLIM YOUTH LEAGUE - NATIONAL COMMITTEE

(Affiliated To Indian Union Muslim League)

[illegible]

Asif Ansari	Adv. Faisal Babu	Mohammed Yunus
National President	National General Secretary	National Treasurer
Mob : [illegible]	Mob : [illegible]	Mob : [illegible]

[illegible]

MYL NATIONAL COMMITTEE की तरफ से "YOUTH VIGILANCE COMMITTEE ON HUMAN RIGHT" [illegible]

[illegible]

Regards
Asif Ansari

भारतीय संविधान प्रस्तावना और मौलिक अधिकार

दुनिया में कानून की शुरुआत मैग्नाकार्टा से जाना जाता है। जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को पारित किया था। इसमें नागरिको को कुछ अधिकार दिए गए थे। प्राचीन समय में, भारत में भी, मनु स्मृति, गौतम धर्म सूत्र, व्यास स्मृति, याग्यवाल्क्य स्मृति आदि थी, जो लोगों के किये नियम बनाये गए थे। आधुनिक भारत में भी कई नियम कानून थे। दो सौ वर्षो के ब्रिटिश राज में जनता के लिए कई नियम कानून बनाये गए थे। भारतीय संविधान का आधार भी यही था। गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 भी देश को चलाने के लिए एक छोटा संविधान ही था। भारत छोड़ने के पहले, ब्रिटिश हुकूमत की एक शर्त थी, भारतीय पहले अपना संविधान बनाये। भारत एक विचित्र, विभिन्नता, वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, पन्थ, समुदाय और अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों वाला देश है, इसे एक करना मुश्किल था।

जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कई कमेटियाँ थी, मसलन अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, प्रारूप समिति आदि। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर। संविधान में धारा 12 से 32 तक नागरिकों के मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिस देश में जात–पात, छुआ–छूत, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो, वहां मूल अधिकार लोगों को स्वाभिमान से जीने की वकालत करता है। धारा 14, विधि के समक्ष सभी नागरिक सामान है। धारा 15, 16, में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के आरक्षण की वकालत करता है। धारा 17 छुआ–छूत और अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। धारा 19, संगठन निर्माण करने, रोजगार करने व विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है। धारा 21, जीवन जीने का, मतलब गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। धारा 23, बेगार और बलातश्रम का निषेध तथा धारा 24, बाल मजदूरी का विरोध करता है। बहु धार्मिक देश में धार्मिक आज़ादी जरुर है, इसलिए धारा 25, धार्मिक आज़ादी देता है .धारा 29/30 में देश के अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। सबसे महत्वपूर्ण धारा 32 है, नागरिकों के अधिकार हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉ बी. आर. अम्बेडकर से एक बार पूछा गया था, कि सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सा है, उन्होंने धारा 32 को संविधान की आत्मा कहा था। कुछ साल पहले बिहार के भागलपुर में एक बार भागलपुर जेल में आँख फोड़वा कांड हुआ था। कैदियों की आँख फोड़ दी गई थी। ये खबर किसी तरह बहार आइ। अख़बारों में छपी। किसी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। कोर्ट ने संज्ञान लिया। सभी कैदियों को दिल्ली भेजा गया वहां उचित इलाज हुआ। साथ ही मुआवजा भी दिया गया। संविधान निर्माण के बाद संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। संविधान का उद्देश्य, दर्शन और दृष्टि प्रस्तावना से ही झलकता है।

पहला शब्द, हम भारत के लोग, विभिन्न जातियों, धर्मो, क्षेत्रों, संस्कृतियों व राज्यों में बटे लोगों को एक करता है जो भारत, इतिहास में कभी एक नहीं था, लोगो को एकजुट होने की बात करता है। भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिको को, सामाजिक, आर्थिक राजनितिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनमे व्यक्ति की गरिमा (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर इस संविधान में अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। संविधान में समाज के सभी लोगों समान रूप से सम्मान के साथ, जीने, विचार व्यक्त करने, अपने धर्म व आस्था रखने का पूर्ण अधिकार है। संविधान की प्रस्तावना से राष्ट्र और संविधान के विचार को समझा जा सकता है। संविधान महज एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि खंडित भारत को एक सूत्र में बांधने का संकल्प पत्र है। मानवीय गरिमा को स्थापित करने का विचार सूत्र है।

– रामदेव विश्वबंधु

आधुनिक भारत के निर्माता : नेहरू

आज आजादी के पचहत्तरवें वर्ष भी पं.जवाहर लाल नेहरू चर्चा में हैं। उन पर आरोप –प्रत्यारोप की बारिश हो रही है। वजह साफ है कि नेहरू के सपनों के भारत से हम विमुख हुए हैं। एक नए तरह के भारत निर्माण की प्रक्रिया जारी है जिसके विरोध में नेहरू आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। जाहिर है बिना उन्हें हटाये ये राह आसान नहीं है। नेहरू ने 15 अगस्त 1954 को लाल किले की प्राचीर से एलान किया था अगर कोई मजहब या धर्म वाला यह समझता है कि हिन्दुस्तान पर उसी का हक है, औरों का नहीं, तो उससे हिन्दुस्तान का सम्बंध नहीं। उसने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता, कौमियत को समझा नहीं है, हिन्दुस्तान की आजादी को नहीं समझा है, बल्कि वह हिन्दुस्तान की आजादी का एक माने में दुश्मन हो जाता है, उस आजादी को धक्का लगाता है, उस आजादी के टुकड़े बिखेरता है क्योंकि हिन्दुस्तान की जड़ है आपस में एकता, और हिन्दुस्तान में जो अलग अलग मजहब–धर्म, जातियां हैं, उनसे मिलकर रहना। उनको एक दूसरे की इज्जत करना है, एक दूसरे का लिहाज करना है।....हमें हक है अपनी–अपनी आवाज उठाने का,लेकिन किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है वह ऐसी बुनियादी बातों के खिलाफ आवाज उठाए जो हिन्दुस्तान की एकता को, हिन्दुस्तान के इतिहास को कमजोर करे, अगर वो ऐसा करता है तो हिन्दुस्तान के और हिन्दुस्तान की आजादी के खिलाफ गद्दारी है।

जिस (आइडिया ऑफ इंडिया) की कल्पना नेहरू ने की थी, उसमें भारत को न केवल आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से स्वावलम्बी होना था बल्कि गैर साम्प्रदायिक भी होना था। ये नेहरू ही थे जिन्होंने समाजवाद के प्रति असीम प्रतिबद्धता दिखाई और धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय को संवैधानिक जामा पहनाया। प्रगतिशील नेहरू ने विविधता में एकता के अस्तित्व को सदैव बनाये रखते हुए विभिन्न शोध कार्यक्रमों तथा पंचवर्षीय योजनाओं की दिशा तय की। जिस पर चलकर भारत आधुनिक हुआ। नेहरू ने राजनैतिक आजादी के साथ–साथ आर्थिक स्वावलम्बन का भी सपना देखा तथा इसको अमली जामा पहनाते हुए कल–कारखानों की स्थापना, बांधों का निर्माण, बिजलीघर, रिसर्च सेन्टर, विश्वविद्यालय तथा उच्च तकनीकी संस्थानों की उपयोगिता पर विशेष बल दिया। महिला सशक्तिकरण और किसानों के हित के लिए कटिबद्ध नेहरू दो मजबूत खेमों में बंटी दुनिया के बीच मजलूम और कमजोर देशों के मसीहा बनकर उभरे। उन्हें संगठित कर गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया और शक्तिशाली राष्ट्रों की दादागिरी से इनकार करते हुए अलग रहे। उन्होंने न केवल व्यक्ति की गरिमा बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी का भी भरपूर समर्थन किया। संसद में और संसद के बाहर भी इसे बचाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चाहे उनपर कितने भी गंभीर हमले हुए हों।

आज नेहरू को नकारने की सोच रखने वाली शक्तियां अधिक मुखर हुई हैं, ऐसे में नेहरू की वैज्ञानिक सोच पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि यदि उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का अस्तित्व न होता तो इस संकट की घड़ी में क्या होता। 1947 में भारत न तो महाशक्ति था और न ही आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर। बटवारे में बड़ी आबादी का हस्तांतरण हुआ पर जिस तरह सड़कों पर कोविड 19 के दौरान लोग मारे–मारे फिर रहे थे। उनका कोई पुरसाहाल नहीं था ऐसा नेहरू ने विभाजन के समय भी सीमित संसाधनों के बावजूद नहीं होने दिया। अपनी सीमा के अंदर सबको सुरक्षित रखा जबकि उनके सामने तब भी आज ही की तरह अंध आस्था के लिए आमजन के दुरुपयोग करने वाले संगठन खड़े थे।

15 अगस्त 1954 को लालकिले से नेहरू हमें आजादी के मायने बता रहे हैं 'आजादी खाली सियासी आजादी नहीं, खाली राजनीतिक आजादी नहीं। स्वराज और आजादी के मायने और भी हैं, वह सामाजिक और आर्थिक भी है। अगर देश में कहीं गरीबी है, तो वहां आजादी नहीं पहुंची, यानी उनको आजादी नहीं मिली, जिससे वे गरीबी के फंदे में फंसे हैं। जो लोग गरीबी और दरिद्रता के शिकार हैं वे पूरी तरह से आजाद नहीं हुए हैं उनकी गरीबी और दरिद्रता को दूर करना ही आजादी है।..... अगर हिंदुस्तान के किसी गाँव में किसी हिंदुस्तानी को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, या अगर हम उसको चमार कहें, हरिजन कहें, अगर उसको खाने–पीने में, रहने–चलने में वहां कोई रुकावट है, तो वह गांव कभी आजाद नहीं है, गिरा हुआ है।...अभी यह न समझिये कि मंजिल पूरी हो गयी है। यह मंजिल एक जिंदादिल देश के लिए आगे बढ़ती जाती है, कभी पूरी नहीं होती।

नेहरू के सपनों का भारत तो सदृढ़ रूप में खड़ा है। उनकी कल्पना साकार रूप ले चुकी है परंतु आजादी के आंदोलन के दौरान लगभग दस वर्षों तक जेल की सजा काट चुके नेहरू को हम याद करने की औपचारिकता भी नहीं निभाते और न ही वे अब हमारे सपनों में ही आते हैं। 'भारत एक खोज' और इतिहास तथा संस्कृति पर अनेक पुस्तकों के लेखक नेहरू आज मात्र पुस्तकों की विषय वस्तु बनकर रह गए हैं। कही–कहीं तो उन्हें वहां भी जगह नहीं मिल रही है। किसी भी

देश ने अपने राष्ट्र निर्माता को शायद ही ऐसे नजरअंदाज किया हो जैसा हमने नेहरू को किया।

आज की पीढ़ी को राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों के प्रति सचेत करने की जरूरत है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद, आजादी के आंदोलन के मूल्य और नेहरू के योगदान को बताने की जरूरत है।

ये कार्य कौन करेगा ? साम्प्रदायिक ताकतें तो करने से रही वे सदैव नेहरू विरोधी रही हैं, लेकिन कांग्रेस भी कम दोषी नहीं है, उसने कभी भी नेहरू के योगदान एवं उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करने की जहमत नहीं उठायी, न ही आजादी के मूल्यों को जन–जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वास्तव में कांग्रेस भी मूल्य, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रजातंत्र के प्रति नेहरूवियन सोच से डरती है। भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे बड़े दुश्मन विंस्टन चर्चिल ने 1937 में नेहरू के बारे में कहा था कि ''कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी, भारत से ब्रिटिश संबंध का सबसे समर्थ और सबसे पक्का दुश्मन''..

अठारह साल बाद 1955 में फिर चर्चिल ने कहा (नेहरू से मुलाकात उनके शासन काल के अंतिम दिनों की सबसे सुखद स्मृतियों में से एक है)... (इस शख्स ने मानव स्वभाव की दो सबसे बड़ी कमजोरियों पर काबू पा लिया है उसे न कोई भय है न घृणा)...

इसमें कोई संशय नही होना चाहिए कि साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित इस देश में साम्प्रदायिक सद्भाव की अवधारणा और सभी को साथ लेकर चलने की नीति व तरीके की खोज जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय सिनेमा को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि हर सम्भव सहायता भी प्रदान की। नतीजा यह हुआ कि उस दौर में तमाम ऐसी फिल्में बनीं जो हमारी राष्ट्रीय पहचान बन गईं। इन फिल्मों ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त किया। इसी सिद्धांत और उनकी सामाजिक उत्थान की अर्थ नीति के ही कारण साम्प्रदायिक व छद्म सांस्कृतिक संगठनों का लबादा ओढ़े राजनीतिक दल चार सीट भी नहीं जीत पाते थे।

20 सितम्बर 1953 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा ''साम्प्रदायिक संगठन, निहायत ओछी सोच का सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। यह लोग राष्ट्रवाद के चोले में यह काम करते हैं। यही लोग एकता के नाम पर अलगाव को बढ़ाते हैं और सब तबाह कर देते हैं। सामाजिक सन्दर्भों में कहें तो वे सबसे घटिया किस्म के प्रतिक्रियावाद की नुमाइंदगी करते हैं। हमें इन साम्प्रदायिक संगठनों की निंदा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ओछेपन के असर से अछूते नहीं है।

साम्प्रदायिकता के सवाल पर नेहरू का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था। यहां तक कि उन्होंने अपने साथियों को भी नहीं छोड़ा। नेहरू ने 17 अप्रैल 1950 को कहा मैं देखता हूँ कि जो लोग कभी कांग्रेस के स्तम्भ हुआ करते थे, आज साम्प्रदायिकता ने उनके दिलो–दिमाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक किस्म का लकवा है, जिसमें मरीज को पता तक नहीं चलता कि वह लकवाग्रस्त है। मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ भी अयोध्या में हुआ, वह बहुत बुरा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सब चीजें हुई और हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुईं और वे लगातार यह काम कर रहे हैं। नेहरू धर्म के वैज्ञानिक और स्वच्छ दृष्टिकोण के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है न कि धर्महीन। सभी धर्म का आदर करना और सभी को उनकी धार्मिक आस्था के लिए समान अवसर देना राज्य का कर्तव्य है। नेहरू जिस आजादी के समर्थक थे, जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों को उन्होंने स्थापित किया था आज वे खतरे में है। मानव गरिमा, एकता और अभिव्यक्ति की आजादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

अब समय आ गया है कि हम एकजुटता, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। हम आजादी के आंदोलन के मूल्यों पर फिर से बहस करें और एक सशक्त और गैर साम्प्रदायिक राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में सहायक बनें। हमारे इस पुनीत कार्य में नेहरू एक पुल का कार्य कर सकते हैं।

डॉ. मोहम्मद आरिफ
इतिहासकार और सामाजिक चिंतक

Indian youths and their realities with way forward

Dr. Mohanlal Panda, PhD

The COVID-19 outbreak affects all segments of the population and is particularly detrimental to members of those social groups in the most vulnerable situations including people living in poverty situations, older persons, persons with disabilities, youth, and indigenous people. There are evidences to show that the health and economic impacts of the virus are being borne disproportionately by poor people. People without access to running water, refugees, migrants, or displaced persons also stand to suffer disproportionately both from the pandemic and its aftermath – whether due to limited movement, fewer employment opportunities, increased xenophobia and other region, gender, language, caste and religion based discriminations. As the third wave sets in, there are clear signs of increase inequality, exclusion, discrimination and unemployment in the medium and long term. “Every One matters” in dealing with Covid and Post Covid situation to lessen the pain and sufferings.

According to ILO there is an estimated rise between 5.3 and 24.7 million in the number of those unemployed globally (ILO, 2020, 'COVID-19 and the World of work: Impacts and responses), the impact on youth employment is likely to be severe given that youth (15-24) are already 3 times more likely to be unemployed than adults (ILO, Global Employment Trends for Youth 2020, p.13, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_737648.pdf). This data is one of the prime reasons for suddenly bringing out discussions relating to the role, issues of youth and their challenges they face into focus.

India is witnessing massive number of unemployed youths. And for those who are employed, many work in the informal economy, gig economy, on precarious contracts or in service sectors of the economy that are likely to be severely affected. More than one billion youth are now no longer physically in school. Vulnerable youth such as migrants and refugees or homeless may fare even worse. This could lead to unprecedented levels of unemployed youth and education or training requiring robust social protection expansions. The resilience and the potential shown by the youth during the difficult time have also demonstrated their ability to fight during crisis and reimagining a better future. It is time the nation states come together to help the youth navigate disruption to life transition.

Major Concerns among Youths:

Mental Health: Lock down across the country has led to prolonged exposure to stress. Youth have been disconnected from important spaces such as school, work, and youth organizations where they rely on and maintain social relationships with both peers and adults, receive support, and learn and grow. Human communication is changing during Covid time.. The formal question "how are you?" at the beginning of a conversation is no longer just a formality, as before the pandemic. For example, the relationship between employee and the manager is different, leading to more responsibilities in listening and understanding feelings expressed during the video call, generating a forced reciprocity. Hence, the aforementioned "forced empathy" may be common in this period because the social distance and the emergency situation make people want to be heard and appreciated, and the simple question "how are you?" becomes an anchor to express fears and emotions (Pasetti, 2020).

Prioritizing Social Justice: The COVID-19 pandemic induced economic disruptions, social and political unrest have brought to centre stage issues of diversity, equity and inclusion (DEI), pressing business leaders and state authorities to take action on social justice. It is imperative to help create a more fair, diverse and inclusive society. Data must be made available to prevail over opinions and perceptions.

Absence of Universal health coverage: Global economic losses due to COVID-19 will amount to approximately $28 trillion by 2025. With cracks in the social fabric magnified and structural inequities manifested the world can no longer afford delays in providing universal health coverage or equivalent systems that offer accessible healthcare for all. Without a radical rethinking of global healthcare systems, far-reaching socio-economic impacts will persist.

Micro Aggression: Covid time has brought out the micro aggression in a big way within the family, community and workplace environment. Micro aggressions are hardly noticeable, minor expressions of a deep-seated and mostly unintentional bias against someone, based on something core to that person's identity – race, ethnicity, gender, age, religion, disability, sexual orientation, appearance, or nationality. They are deeply rooted in the subconscious, and the offender may not even be aware of the bias. Micro aggressions come in the forms of choice of words, tone of voice, body language, facial expressions, etc. They are typically directed at

marginalised groups or individuals who already feel disrespected, ignored and powerless. People suffer in silence. Covid time has deepened the silence often with self dehumanizing consequences.

Way Forward:

An enabling and conducive atmosphere where they get enough space to be a part of inter generational dialogue at every levels; Their emphasis on systemic change and collective actions can lead to demand for bold decisions among many stakeholders in the state; They respect diverse lived experiences and believe inclusiveness in decision making can be enriching for the society.

The youths in India have adjusted to the COVID-19 period environment by significantly increasing their digital footprint – a trend that is likely to last beyond the pandemic. There is an increase in the usage where majority of them used at least one digital tool during the pandemic. There was a significant surge in the usage of online education, business-related services, online entertainment, as well as e-payments and e-commerce. The young entrepreneurs including many first timers utilised e-commerce selling more actively. Most of them also believe that the trend for more usage will last beyond COVID-19 period. The increasing usage of digital government services offered a unique window to promote e-government across the country which is vastly driven by young consumers and beneficiaries.

In the new environment, youths exhibited signs of a growth mindset, resilience and adaptability during the pandemic. They have become more adaptive to new skills, creative thinking, find other ways to improve income and hence more prepared for future pandemics. Online education bloomed not only among full time students but also among active workers who are part time students.

Access to an affordable, quality internet connection and a lack of digital skills were the most binding constraints to working and studying remotely because they hinder the completion of tasks. The less digitally ready youths, those with below college education and those living outside capital cities were far more likely to face difficulties.

Entrepreneurs and youths in the gig economy faced the greatest funding constraints. External sources of funding, such as family and friends, banks, government and online financing became more important. Policies such as government credit programmes, digital financing promotion, e-payments

adoption promotion, and financial literacy improvement would be essential for youth, particularly young entrepreneurs.

References:

The Global Risks Report 2021, 16th Edition, Published by the World Economic Forum.

Tackling the Covid-19 youth employment crisis in Asia and the Pacific, Co-publication of the Asian Development Bank and the International Labour Organization, 2020

The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit, Daniel Gerszon Mahler, Christoph Lakner, R. Andres Castaneda Aguilar, Haoyu Wu, Data Blog, World Bank, April 20, 2020,

https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest

Youth Unemployment: The Facts, Plan International,

https://plan-international.org/eu/youth-unemployment-facts

World Health Organization (WHO), "The Human Cost of COVID-19", 2020,

https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/the-human-cost-of-covid-19-replacement-11nov20.pdf?sfvrsn=2aa9fb16_2&download=true (accessed 13 July 2021).

Pasetti, J. (2020). *Smart-working, costrettiall'empatia da convenevoliforzati. Tratto da Sole24Ore*. Available online

at: https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/03/20/covid-19-empatia/?refresh_ce=1 (accessed June 3, 2020).

Everyone Included: Social Impact of COVID-19, Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion, United nations,

https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html

Thinking About A Live-In Relationship? Consider These Factors First

-Abhimanyu Pratap

Although the concept of unmarried couples living together in India is becoming popular, especially in cosmopolitan cities, it's not happening fast enough. Several sections of society still look at live-in relationships with scorn.

Live-in Relationship In India: What Are The Challenges Involved?

In most cases, when you break it to your parents, their rst reaction would be, “What is a live-in relationship?” If you have decided to be in a live-in relationship in India with your partner, it's best to be aware of the potential challenges that you might face:

Social censure when you have a live-in relationship.

Most Indians, especially the older generations, still look down upon live-in relationships as a taboo. Your parents themselves likely fall into this category. For them, staying together is valid only after marriage, and live-in doesn't t their perceptions.

While you can see the advantages of a live-in relationship, your elders may be totally against it. This 'generation gap' may put your relationship with your parents at stake. You might even face stiff resistance from older members of your family and may even be outcasted from family gatherings and social events.

Keeping the live-in relationship a secret.

Unmarried couples living together in India come with unique challenges. For example, it is not uncommon for many cohabiting couples in India to keep it a secret from their families. In these cases, the couple lives away from their hometowns for work and decides to move in without letting their families know, out of fear of their disapproval.

Of course, this leads to various complications. For example, hiding your partner's existence when parents visit, including them moving out for the duration of their stay. If you are thinking about taking this route, consider the consequences of an unscheduled visit by either set of parents!

Finding a house – tough bet.

Finding a house to live in is the next great challenge to overcome if you are trying to move in with your partner. Unbelievable as it may sound in this modern age of globalization, nding a house for yourselves may prove quite the Herculean task even in cosmopolitan areas. Not many people are willing to rent their homes to unmarried couples.

If you decide to buy a at, you may face social censure from others in the building complex or neighbourhood. Many couples falsely declare themselves to be married to get through this challenge.

Grappling with nancial pressures.

Did you know the success of a cohabiting Indian couple depends entirely on how deftly they handle the nancial stresses in a relationship? Of course, managing the additional load of expenses, including household budgets or arranging the yearly house lease, is different, but are you ready to deal with more signi cant nancial complications?

In some cases, one of the partners may invest all the savings in cohabitation, whereas the other may refrain from opening up their nancial cards at all. Either may hide their debts or salary incomes from the other. This may pull you into a
nancially abusive relationship. Are you ready for it?

Career challenges may

pose to be tricky.

Imagine the scenarios – if your partner is issued a pink slip at work or suffers losses in their business, what will you do next? Will you choose 'the exit route' or support them emotionally and nancially to overcome this rough patch?

Even if there is no commitment on paper like it is in the case of marriage, you both are still committed by love. So if you love each other, understand their inner turmoil, help them gain their inner con dence back and support them through all the ups and downs.

Before entering a live-in relationship in India, understand that it is a work in progress, and couples have to invest a lot to surpass all sorts of challenges. However, unwavering emotional support during a challenging career or business phase can work as a page-turner for your relationship.

So, think about the potential nancial risks and prepare your mind to support each other in any situation before committing to a live-in relationship.

Trapped in monotony.

Many couples in cohabitation miss the spark of their dating days. Those who are still unsure whether they are ready for a long-term commitment start comparing their relationship heydays with the challenges of their present living arrangement.

At times, the busy professional schedules of partner/s may become a villain, bringing dissatisfaction in the romance. One or both partners may think that the other has changed, become distant. As a result, they may miss the fun and thrill of dating in life.

For such couples, here is a reality check. Life is not a owery picture of happily ever afters, and live-ins are exposed to many risks and in uences in India. But, if you are committed toward each other, then challenges of monotony can be conquered through thoughtful, romantic gestures such as late-night drives, little gifts, date nights, and lots of cuddling.

No me-time in the live-in.

Dating someone and having someone in the house 24×7 are two entirely different experiences. With the constant company in the house, the live-in partners may feel the lack of space and 'me-time in their life. This cramped feeling could lead to a bitter breakup. But if you discuss and are open with your live-in partner about 'the importance of me-time, then things could be pretty easy on both of you. Keep aside some time to focus on your perspective, interests, hobbies, and bonding with your friends.

Honouring each other's space is essential for the longevity of a live-in relationship. After spending quality me-time, focus on your partner and don't take them for granted. Cook a nice meal, plan date nights, book a movie or a stand-up comedy show. Show that you care for them and see how nicely they respond to your sweet gestures.

Abandoning the 'mother' after an unplanned pregnancy.

In a country where premarital sex is still taboo, unplanned pregnancy poses a mammoth challenge for couples in a live-in relationship. This challenging situation could be a testing time for both partners, especially if they are yet to gure out their long-term plans or marriage.

Some couples may mutually decide on abortion to deal with this curveball. Even the Indian court of law entitles a woman to decide on abortion while in a live-in relationship. But if both partners are not on the same page about whether or not to bring a child into this world, it can lead to friction and ugly clashes.

Extreme consequences could lead to a breakup too. If the mother decides to bring up the child singlehandedly, she may be subjected to social stigma in India.

Marriage complications post unplanned pregnancy.

If the child's father decides to marry the 'pregnant' mother out of love, again, the live-in couples stand exposed to numerous unwanted in uences. So the rst challenge is to involve both the families, reveal the truth of the moment, the pregnancy, and convince them to consent to the marriage.

Now imagine the situation where families don't even know that their children are in a live-in relationship. And now, they have to compromise for the sake of the 'family's reputation. Parents may give the couple their blessing in such situations, but it may take years for them to accept the relationship.

Risks of abuse at an all-time high.

Despite a ruling by the Supreme Court of India that entitles women staying in a live- in relationship to the same rights as a wife, a lack of social security exposes them to a rampant abusive relationship. As a result, a woman may end up trusting the wrong man and lose all her nancial assets or savings.

If he is a control freak, he may want things in the house according to his wishes, which may also result in many arguments and ghats. The stories of abuse may take a drastic turn with a series of toxic in uences like name-calling, sexual abuse and emotional blackmail. Due to no social acceptance and lack of family involvement, the woman may have to bear the pattern of abuse alone.

Counsellors can advise couples to understand the potential societal challenges and risks before committing to a live-in relationship in India. But, trust us, live-ins could be a new beginning you both are looking out for as a couple. So, sail the challenging relationship tide and emerge stronger as ever as a couple.

For : Youth Ki Awaaz

Human Rights Defenders (मानवाधिकार कार्यकर्ता) के उत्पीड़न पर निम्नवत् जगह शिकायत करें–

Front Line Defender

1- First Floor Avoca Court Temple Road
Blackrock Co. Dublin A94 R7W3, Ireland

TELEPHONE+353-1-212-3750

E-m-info@frontlinedefenders.org

2- Human Right defender desk

National Human Right Commission

GPO Complex, Manav Adhikar Bhawan,

C block, INA, New Delhi, Delhi 110023

3- Contact Information

UN Rapporteur human rights defenders

Ms. Mary Lawlor

Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneve 10, Switzerland

E-mail: hrc-sr-defenders@un.org

ताकत शारीरिक शान्ति से नहीं आती, इच्छा शक्ति से आती है
–महात्मा गांधी

विकल्प और सम्मान

स्वयं का सम्मान करना सीखे

शब्द सूची (उत्पीड़न से जुड़े हुये)

ऐसे शब्द जिनका जानना हमारे लिये आवश्यक है।

1. हिंसा और उत्पीड़न के प्रकार

गाली देना, मारना–पीटना (शारीरिक शोषण करना), बलात्कार, मानसिक शोषण, मनोवैज्ञानिक तौर पर शोषण करना, भावनाओं को ठेस पहुचाना

2. ऐसे बर्ताव के प्रभावी कारक

तनाव, जीवन शैली में परिवर्तन, व्यर्थ अथवा अपने प्रभाव को दर्शाने हेतु, रोल मॉडल किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना जो इस प्रकार की हिंसा में रत हो, व्यक्तिगत या व्यावसायिक तौर पर ऐसे लोगों का साथ होना जो हिंसा और उत्पीड़न करते हो, परिवारिक पृष्ठ भूमि, जातिगत मानसिकता और लिंग भेद।

3. व्यवहार का चुनाव–

नकारात्मक कार्यक्रम	सकारात्मक कार्यक्रम
अकर्मणयता अथवा निराशावादिता	आशावादी होना
अति उत्तेजना	आत्म सम्मान
असुरक्षित महसूस करना, शंकाकुल	समर्थवान बनाना
अपराध या पाप कराना	प्रसन्नता प्रदान करना
धमकी, धमकाना	सहजता के साथ समझाना
भय करना	विचार विमर्श करना
अस्वस्थ क्रोध	स्वस्थ क्रोध
घोर निराश करना	सम्मान देना
अशांति फैलाना	शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना

इनमें से कितने शब्दों का अर्थ आप जानते हैं? आगे के पेज पर इन्हें परिभाषित करते हुए लिखें।

अपने दिये गये कार्य पुस्तिका में आप स्पष्ट करते हुए समझायेंगे कि कैसे, कब और क्यों ऐसा बर्ताव होता है।

व्यवहार के विषय में आप क्या जानते है।

(सही अथवा गलत का निशान लगाये)

1. किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ चिल्लाने से होता है।
2. आप अपने व्यवहार के अनुरूप नहीं है।
3. विवाद होना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं।
4. आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीख सकते हैं।
5. सारे विवाद हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
6. अपने आप को पसंद करना स्वाभाविक है
7. आप अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं बदल सकते हैं।
8. क्रोधित होना आपके लिये उचित नहीं है।
9. अपने क्रोध को दूर करने के लिये किसी को पीट देना एक अच्छा तरीका है।
10. शाब्दिक उत्पीड़न उतना ही कष्टप्रद होता है, जितना की शारीरिक उत्पीड़न।
11. आत्म सम्मान के होने पर मै खुद का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को उठाने की आज्ञा नहीं देता।

12. आप हर वक्त सबको खुश रख सकते है।
13. आपके माता–पिता जिस ढंग से आपको विकसित करते है ठीक उसी प्रकार से आप बनते हैं।
14. तकलीफ के समय रोना और दुःखी होना ठीक है।
15. किसी अच्छे उद्देश्य के लिये क्रोध दर्शाना उचित है।
16. जरूरी नहीं है कि आप सभी को पसंद करें।
17. ज्यादातर लोग बेकार परिवार से आते हैं
18. हर व्यक्ति की एक सी जरूरतें होती है।
19. अपनी जरूरत के अनुसार माँगना उचित नहीं है।
20. मनुष्य अपना व्यवहार बदल सकता है।

हमारी पसंद कैसे हम पर अपना प्रभाव डालती है

प्रतिदिन हम किसी न किसी वस्तु का चुनाव करते हैं, जिसका प्रभाव सिर्फ हमारे उपर ही नहीं बल्कि औरों पर भी पड़ता है। हमारे पसंद का आधार कई कारणों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिये : हमारे पारिवारिक सदस्य, मित्रगण, कुलीन समुदाय, रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन और अब पढ़ी जाने वाली किताबों के अतिरिक्त हमारे पास इन्टरनेट है, जो हमारी उपयोगिता में वृद्धि करती है। ये सारी वस्तुयें हमारी सोच और पसंद पर अपना एक विशेष प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में हमें जैसी सीख मिलती है कि अपने आप पर भरोसा करना और उस दुनिया पर जिसमें हम रहते है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी पसंद पर पड़ता है।

अभ्यास

निर्देशः नीचे ऐसे कारणों की सूची है, जो आपके निर्णय को प्रभावित करती है। सूची को पढ़े और किन्ही पाँच ऐसे अति महत्वपूर्ण कारणों को चुने जो आपके अब तक जीवन में आपको निर्णय लेने में सहायक हुए हो। इन सब के बारे में एक छोटे से समूह में विचार करने के लिये तैयार रहें।

1. कपड़े जो आप पहनते हैं।
2. संगीत जो आप पसंद करते हैं।
3. जहाँ आप जाना पसंद करते हैं।
4. आप अपने परिवार और मित्रों के बारे में जैसा महसूस करते हैं।
5. आप अपने आप को शीशे में देखकर जैसा महसूस करते हैं।
6. टेलीविजन कार्यक्रम और विज्ञापन और सिनेमा जिन्हे आप देखते हैं।
7. कुछ भी हो, पैसे या सामान के बदले आप उसे परिवतर्तित कर देते हैं।
8. आप चाहे तो झूठ बोले या सच।
9. कुछ भी हो आप अपने जरूरत की वस्तु की माँग करते हैं।
10. आप व्यवहार कुशल हैं।
11. कुछ भी हो आप किसी को खुद को तंग करने के लिये मना नही करते हैं।
12. कुछ भी हो आप लोगो को किसी प्रकार से गाली दे देते हैं।
13. कुछ भी हो आप लोगो द्वारा आपको दी गयी किसी प्रकार की गाली को सह लेते हैं।
14. दूसरे लोग जैसा सोचते हैं, अपने जीवन के साथ आप वैसा करते हैं।

मित्र का चुनाव या मित्र चुनना

दोस्ती या मित्रता करते समय आप किन विशेषताओं को देखते हैं?
विशेषताओं के बगल में गलत **'X'** का निशान लगायें।

1. ऐसा व्यक्ति जो आप के लिये कुछ भी कर दें।

2. ऐसा व्यक्ति जिसकी धाक हो।
3. ऐसा व्यक्ति जो बहुत लोकप्रिय हो।
4. ऐसा व्यक्ति जो आप की भावनाओं को समझे।
5. ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति ईमानदार हो।
6. ऐसा व्यक्ति जो आपके लिये फिक्रमंद हो और किसी समस्या के समाधान में आपकी मदद करें।
7. ऐसा व्यक्ति जिसकी पसंद आप से मिलती हो।
8. ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप रहता हो।
9. ऐसा व्यक्ति जो मार–पीट करने के लिये बहाना ढूँढे या मार–पीट करें।
10. ऐसा व्यक्ति जो आपको किसी भी समस्या में न पड़ने दें।
11. ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके साथ रहने में प्रसन्नता और मजा आता हो।
12. ऐसा व्यक्ति जो आपको सही/गलत के बारे में बताएं/या बोध करायें।
13. कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो।
14. ऐसा व्यक्ति जिसका सोच आप से अलग हो।

अपने अन्दर व बाहर की भावनाओं को व्यक्त करना

अपने अन्दर की भावनाओं को दबाने के लिये लोग अक्सर शराब और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। दूसरी बार ऐसा करने पर उन्हे लगता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में नशीली दवायें और शराब उन्हें आजादी, शक्ति और साहस देता है।

क्यों अपनी भावनाओं को दबाना हानिकारक है?

अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबाने से क्या हम समस्याओं से बच सकते हैं?

ऐसी कौन सी भावनायें परेशान करती है। जिसकी वजह से लोग शराब और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं।

आदर्श

अपने विचार लिखिये और इस पर चर्चा करिये–

आजादी क्या है?

आजादी का विपरीत क्या है?

अपनी बात कहने के लिये शराब और नशीली दवाओं पर निर्भर रहना क्या वास्तव में वीरता और साहस का काम है? जो लोग शराब और नशीली दवाओं का प्रयोग करते है, तो क्या उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता? जो लोग शराब और नीशीली दवाओं को प्रयोग करते है, क्या वह शक्तिशाली होते है? लोग कैसे मुक्त नहीं हो पाते जब वह शराब और नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे होते है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैसे आपके आदर्श आपकी भावनाओं को प्रतिबिम्बित कटती है?कैसे आपकी भावनायें आपके आदर्श को प्रतिबिम्बित करते है?

अपनी भावनाओं को तस्वीरो के माध्यम से व्यक्त करें

आप अपनी जितनी भी भावनाओं को सोच सकते हैं उनका प्रदर्शन यहाँ चित्र बनाकर करें या किताबों से चित्र लेकर उनका कोलाज बनायें।

आप जो करते, हैं आखिर वो क्यों करते हैं.....

नीचे ऐसे लोगों की सूची है जो आपके पसंद की वस्तुओं को चुनने में आपकी मदद करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचिये, जो आपके निर्णय लेने में आपकी सहायता करते हों और साथ ही दिये गये रिक्त स्थानो में अक्षरों द्वारा उन्हें चिन्हित करें। आप चाहे तो जैसा आप सोचते या महसूस करते हैं इसके बारे में एक वाक्य हर उदाहरण के बाद

लिख सकते हैं।

'फ' –परिवारिक सदस्य, माता, पिता, बहन, भाई, चाची और चाचा।

'प' –दोस्त या परिचित (स्कूल के या आपके पास पड़ोस के)

'म' –टेलीविजन, रेडियो, समाचार लेख, कार्यक्रम अथवा प्रचार

'य' –आप स्वयं जैसा सोचते या पसंद करते हैं।

उदाहरण के लियेः आपके केश सज्जा के बनावट के लिये–फ,प

1. मै पूछँगा फ–अपने परिवार से, माँ या प–अपने सबसे अच्छे दोस्त से।
2. जो कपड़े आप पहनते हैं.....
3. आपके शौक.....
4. जो संगीत आप सुनते हैं.....
5. आप जिन जगहों पर जाते हैं.....
6. टेलीविजन कार्यक्रम जिन्हें आप देखते हैं.....
7. जो भोजन आप करते हैं.....
8. स्कूल के बाद जहाँ आप जाते हैं.....
9. किसी का खोया हुआ बटुआ (पर्स) आप उसे वापस देते हैं या नही.....
10. किसी नये विद्यार्थी को अपने खेल में शामिल करने पर.....
11. जो खेल आप खेलते हैं.....
12. आप अपने दोस्त के घर जिस ढंग का व्यवहार करते हैं.....
13. आप नशीली दवाओं के बारे में क्या सोचते हैं.....
14. कुछ खतरनाक कार्य अपने दोस्तों के साथ करने पर .....
15. अपने दोस्त के कहने पर उसके लिये झूठ बोलना.....

स्वस्थ व्यवहार का निर्माण

सामूहिक गतिविधि

निर्देश– लोगो द्वारा, विभिन्न अवसरों पर लिये जाने वाले अलग–अलग निर्णय की सूची नीचे दी गई है, विभिन्न स्थितियों और निर्णय की चर्चा करें जो आप अपने दोस्तों संग करना चाहेंगे और उस चरित्र को निभायें विपरीत चरित्र को निभाने की कोशिश करें।

उदाहरण के लियेः आप एक माता–पिता हैं या आप एक शिशु हैं।

1. समस्या–झूठ बोलना

अवस्था

आप रेडियो पर संगीत तेज सुनना पसंद करते हैं।

टकराव

आपके माता–पिता आपसे रेडियों की आवाज कम करने के लिये कहते हैं।

व्यवहार

आप उनसे कहते हैं कि आपने कर दिया है मगर सच्चाई यह है कि आप ऐसा करते नही हैं।

आपके माता–पिता आप से रेडियो ले लेते है और कहते है कि आपने झूठ बोला।

2. समस्या–चोरी करना–

अवस्था

आपको सिनेमा देखने जाने के लिये कुछ पैसे की जरूरत है।

टकराव

आप अपनी माँ से पैसा माँगते हैं वह बिना किसी कारण के मना कर देती है उसके बाद आप अपनी बहन के पास पैसे माँगने जाते हैं पर उसके पास पैसे नहीं है।

व्यवहार

आप अपने छोटे भाई के कमरे में रखे उसके गुल्लक से पैसे निकाल लेते हैं उसे पता चल जाता है और पर रोना शुरू कर देता है।

परिणाम

आपको बुरा महसूस होता है।

3. समस्या–

शारीरिक हिंसा और उसका अनुकरण

अवस्था

आपके माता–पिता आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अपना गृह कार्य किया या नहीं

टकराव

आप उनसे कहते हैं कि आपने पूरा कर लिया

व्यवहार

आपकी बहन आपकी इस बात को सुन लेती है और जाकर आपके माता–पिता को यह बताती है कि अभी तक आपने अपना गृह कार्य शुरू भी नहीं किया। आप नाराज होकर उसको थप्पड़ मार देते हैं और वह फिर माता–पिता को बताती हैं।

परिणाम–

आपके माता–पिता (अभिभावक) आप से पूछते हैं कि आपने उसे क्यों मारा और आप जवाब देते हैं "क्यों नहीं मार सकता, आपने भी उसे सुबह मारा था" (इस पर चर्चा करें)

निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिये–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	आप अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं।	आक्रामक तरीके से अथवा स्वयं को दोषी मानते हुये।
2.	आप इसे कैसे बदल सकते हैं।	समझकर सम्मान देकर और बातचीत के द्वारा
3.	आप इसके बारे में किसे बताएंगे।	अपने माता–पिता और बहन को
4.	आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं	अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।
5.	ऐसी घटनायें कब होती हैं।	जब आप को बुरा महसूस कर रहे होते हैं या कम आत्मसम्मान मिलता है।

निर्देश–उत्तर को ढक दो और अपना खुद का लिखो। देखो कितना पास पहुँचते हो।

पातीः अध्यापकों एवं अभिभावकों के नाम

- बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले तो उन्हे प्यार करना चाहिये। शिक्षक जब बच्चों को प्यार करता है। अपना हृदय उन्हें अर्पित करता है। तभी वह उनमें श्रम की खुशी, मित्रता और मानवीयना की भावनाएं जगा सकता है। शिक्षक को बाल हृदय की गहराइयाँ ढूढंनी चाहिए। केवल तभी वह बच्चों को अपने परिवार, स्कूल और देश से प्रेम करना सीख सकेगा। उनमें श्रम करने और ज्ञान पाने की अभिलाषा जगा सकेगा। बाल–हृदय की गहराइयों में बैठना–यही है शिक्षण विधि का सार।
- बच्चों एवं युवाजन को जीना सिखाने का मतलब उन्हें भलाई और बुराई मे भेद करना भर सिखाना ही नही है, बल्कि उन्हें सामाजिक बुराईयों के प्रति, अन्याय के प्रति, असहनशील होना, उससे सक्रिय संघर्ष करना भी सीखाना चाहिये।
- बच्चों को प्रकृति से जो भी गुण मिले है उन्हें सुरक्षित करना, उनके नैतिक गुणों को पहचानना और सवारना, उन्हें सच्चे ईमानदार और उच्च आदर्शो के प्रति निष्ठावान व्यक्ति, सच्चा मानव और नागरिक बनाना ही अपना ध्येय है।
- प्राथमिक कक्षाओं में सबसे पहले अकेले शिक्षक का ही सृजनात्मक श्रम महत्व रखता है।
- छात्रो के शिक्षक के लिए उनके चरित्र निर्माण के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र के बीच निरन्तर संम्पर्क कायम हो।
- शिक्षकों के जरिये बच्चों का चरित्र निर्माण करना शिक्षकों का शिक्षक होना, उन्हें चरित्र निर्माण की शिक्षक की कला और विद्या सिखाना यह स्कूल के संचालन की बहुमुखी प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण परन्तु केवल एक ही पहलू हैं। अगर प्रधान चरित्र निर्माता केवल शिक्षक को काम करने की शिक्षा देता है और खुद बच्चों के साथ सम्पर्क नहीं रखता है। वह एक शिक्षक एक चरित्र निर्माण नहीं कर सकता हैं।
- हमें महसूस करना है कि बच्चा हमारे नजदीक है क्योंकि यही शिक्षक को अपने सृजनात्मक श्रम से मिलने वाली सबसे बड़ी खुशी है।
- सच्चा आत्मिक मिलन तो तभी होता है जब शिक्षक लम्बे अरसे के लिए बच्चों के काम में उनके विचारो में उनका साथी, उनका मित्र बन जाता है।
- प्रधान चरित्र निर्माता को एक छोटे से बाल समुदाय का शिक्षक होना चाहिए। उसे बच्चों का मित्र व साथी होना चाहिये।
- मानव व्यक्तित्व के गठन में उसके चरित्र के निर्माण में, बचपन के और स्कूल के प्रारिम्भक वर्ष आसाधारण महत्व रखते है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा अपनी बुद्धि, अपनी भावनाओं, इच्छा बल और अपने चरित्र के लिए अपने चारो ओर की दुनियाँ से जितना कुछ ग्रहण करता है, उतना पाँच वर्ष से लेकर अपने जीवन के अन्त तक नहीं करता है।
- अध्यापक और छात्रों के बीच अगर हृदय का रिश्ता नहीं जुड़ता, स्थायी सम्पर्क नहीं बनता, तो इसके बिना वह भावनात्मकता नहीं आ सकती, जो शिक्षक के उच्च आत्मिक स्तर का अभिन्न अंग है।
- उच्च नैतिकता के आधार है–मातृभूमि से गहरा प्रेम, उसके सुख, उसकी भव्यता और शक्ति के लिए प्राण–न्योछावर कर देने की तत्परता तथा मातृभूमि के शत्रुओं के प्रति अनम्यता।
- यह कतई नहीं माना जा सकता कि बचपन बीत जाने पर मानव की प्रकृति, उसका चरित्र, उसका आत्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। उसे पुनःर्शिक्षित नहीं किया जा सकता है।
- प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे पढ़ने के बाद 4–5 घण्टे स्कूल में रहते हैं। यही वे आराम भी करते हैं और पाठों में दिया गया काम भी। इन स्कूलों और ग्रुपों में शिक्षक और बच्चों के बीच उस निरंतर आत्मिक

सम्पर्क के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनती हैं। जिसके बिना आत्मिक भावनाओं को विकसित कर पाने की कल्पना भी नही की जा सकती। लेकिन यह देखकर दिल बहुत दुःखी होता है कि कहीं–कहीं शिक्षा का यह अमूल्य रूप भी कितना विकृत कर दिया जाता है। लम्बे दिन के ग्रुप में पाँच–छः पाठों के बाद बजाय बच्चे खेले, आराम करें और उन्हें प्रकृति की गोद में ले जाया जाए।

- बचपन में 10–11 साल की उम्र तक ऐसी और कोई शक्ति नहीं होती, जो इतनी अच्छी तरह से बच्चों के विचारो को जगा सके। उन्हें सोचने की प्रेरणा दे। वाह्य जगह की वस्तुओं और परिघटनाओं में जो सामान्य सत्य होता है। वह बच्चों का निजी विश्वास उनकी धारणा बन जाती हैं। बशर्ते वह ऐसे संजीव बिम्ब के रूप में मूर्तिमान हुआ है जो उनकी भावनाओं को प्रभावित करे, उन्हें जगाएं।
- स्कूल में बच्चों की, जिन्दगी एकदम बदल देना कितना हानिकारक है और बच्चों की नैसर्गिक शक्ति को विकसित होने का अवसर देना कितना महत्वपूर्ण है।
- बच्चे को अपने दिमाग से काम लेना सिखाना, उसकी बृद्धि विकसित करना, एक बात है और उसकी ज्ञान वृद्धि करना दूसरी। बेशक ज्ञान प्राप्ति करना, अलग बात है किन्तु ज्ञान प्राप्ति के बिना बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है।
- अंधी ममता भी उदासीनता से कम खतरनाक नहीं है।
- मानवविद् मानवात्मा का ज्ञाता वही है जो केवल यह देखता और अनुभव ही नहीं करता कि कैसे बच्चे को भलाई और बुराई का ज्ञान होता है। बल्कि जो कोमल बाल हृदय की बुराई से रक्षा भी करता हैं।
- बच्चा माता–पिता के नैतिक जीवन का दपर्ण है। हर परिवार में जो अच्छाईयाँ या बुराईयाँ हैं। अच्छे माता–पिता का एक सबसे मूल्यवान/नैतिक गुण है, जो बिना किसी विशेष यत्न के बच्चों में भी आता है। यह गुण है माता और पिता की नेकदिली, दूसरों की भलाई करने की उनकी योग्यता। ऐसे परिवारों में जहाँ माता–पिता के दिलों में दूसरों के लिए भी स्थान होता है। वे दूसरों की खुशियों में और उनके गमों मे भी शरीक होते है। वहाँ बच्चे भी नेक संवेदनशील और स्नेही होते है। कुछ माता–पिताओं की अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ी बुराई है। कभी–कभी यह बुराई अपने बच्चे के प्रति अंधे प्रेम का रूप ले लेती है।
- बच्चे अपनी मातृभूमि के सच्चे भक्त हो, उनके मन में अपनी जन्मभूमि से, मेहनतकश जनता से गहरा प्रेम हो, वे ईमानदार सच्चे मेहनती भले और सुहृदय बने। दूसरों का सुख–दुख समझे, बुराई और झुठ को भी वे सहन न करे, साहसी बने और कठिनाईयों के सामने कभी घुटने न टेके, वे विनम्र हो, तन से ही नहीं मन से भी स्वस्थ और सुन्दर हों।
- बच्चा अपनी प्रकृति से ही जिज्ञासु अन्वेशक होता है। अगर आप बच्चे के हृदय तक पहुँचना चाहते हैं तो इसका सबसे विश्वसनीय रास्ता है–कहानियाँ, कल्पना, खेल और बच्चें के मौलिक सृजनात्मक कार्य।
- प्रकृति में सबसे कोमल, सबसे सूक्ष्म और सबसे अधिक संवेदनशील है बाल मस्तिष्क।
- बच्चे के मस्तिष्क की कोमल संवेदनशील तंत्रकोशिकाएं (न्यूरॉन) अभी कमजोर है, उन्हें विकसित किया जाना चाहिए। मजबूत सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।
- बच्चों को अधिक कहानियाँ भी नहीं सुनानी चाहिए। शब्द कोई खेल नहीं और शब्दों की अति शब्दों से हुई परितृप्ति किसी भी अन्य परितृप्ति से अधिक खतरनाक हैं।
- बच्चों में मस्तिष्क में एक साथ बहुत से चित्र नहीं भरने चाहिए।
- मानव द्वारा मानव का शोषण सामाजिक बुराई है, और वह कभी भी इस बुराई को सहन करने को न तैयार हो।
- बच्चों को सभी खुशियाँ सभी निराशाओं को बाँटने वाले शिक्षक द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ बच्चों के चहुर्मुखी, बौद्धिक विकास की, उनके समृद्ध आत्मिक जीवन का अनिवार्य पूर्वाधार है।

- मनुष्य इसीलिए मनुष्य बन पाता है कि बहुत लम्बी अवधि तक वह तंत्रिका तंत्र की मस्तिष्क की बाल्यावस्था से गुजरता है।
- बच्चों का सृजनात्मक कार्य उनके आत्मिक जीवन का नितांत मौलिक क्षेत्र है।
- सहृदय बच्चा कही आसमान से नहीं टपक पड़ता हैं उसके मन में नेकी जगानी पड़ती है। उसे सहृदय बनाना पड़ता है।
- मनुष्य की मानवीयता इसी बात में व्यक्त होती हैं कि वह दूसरों की भलाई के लिए कैसे श्रम करता है।
- संगीत, धुन और संगीत स्वरों का सौन्दर्य, मनुष्य के नैतिक और बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। सहृदयता का और आत्मा की निर्मलता का स्रोत है।
- रेड़ियों, सिनेमा और टेलीविजन का बच्चों पर स्वतः स्पर्श अव्यवस्थित प्रभाव उनकी सौंदर्यबोध शिक्षा में सहायता तो कम उनके लिए हानिकारक ही होता है।
- सौन्दर्य बोध शिक्षा में और खास तौर पर संगीत शिक्षा में वे मनोवैज्ञानिक लक्ष्य बहुत मायने रखते हैं, जिनकी प्राप्ति को देखते हुए शिक्षक बच्चों को ललित–कलाओं के सौन्दर्य जगत में प्रवेश कराता है।
- उन्हें दूसरों के सुख–दुख को अनुभव करना, सह–अनुभूति करना सिखाया जाए।
- बच्चों में अपनी धारणाओं की, अपने आत्म–सम्मान की रक्षा करने की क्षमता विकसित करना–चरित्र का एक महत्वपूर्व कार्यभार है।
- शिक्षा शब्दों से मिलती है परन्तु प्रेरणा उदाहरणों से मिलती है। मानव जाति के सुख के लिए संघर्ष को अर्जित जीवन का उदाहरण, वह प्रकाश है जो बच्चों के जीवन को प्रदीप्त करता है।
- सत्य सदा क्रान्तिकारी होता है बच्चों को संसार भर से सत्य के विजय के लिए सक्रिय कार्य करने की प्रेरणा दे।
- मानवीय उदासीनता खतरनाक और घिनौनी होती है, परन्तु बच्चों की उदासीनता तो भयावह होती है
- मनुष्य की वाणी उसकी आत्मा का दर्पण होती है बच्चे पर प्रभाव डालने उसको भावनाओं, आत्मा विचारों और अनुभूतियों को उदात्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है–मातृभाषा को सौन्दर्य और भव्यता, शक्ति और अभिव्यंजनात्मकता।
- एक भाषा में जो मर्मस्पर्शी होता है दूसरी में वही कभी–कभी व्यंग्यात्मक होता है शब्दों की भावनात्मक सौन्दर्य बोधात्मक रंगत का सूक्ष्मतम छटाओं का यह खेल उस आत्मिक सम्पदा का स्रोत है जिसे युवा पीढ़ी को प्रदान करना हम शिक्षकों का कर्त्तव्य है।
- स्कूल सच्चे अर्थो में संस्कृति का मंदिर केवल तभी बन पाता है जब उसमें चार देवता प्रतिष्ठित हो–मातृभूमि, मनुष्य, पुस्तक और मातृभाषा।
- पुस्तक से ही आत्मशिक्षा और व्यक्तिगत आत्मिक जीवन का आरम्भ होता है।
- पौराणिक कथाएं बच्चों के बौद्धिक और सौन्दर्यबोधात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- बच्चे को अभिव्यंजनात्मक पठन–पाठन में आनन्द और सन्तोष प्राप्त होता है।
- व्यक्तिगत भावनात्मक पठन–पाठन की तैयारी में यह बात बहुत मायने रखती है कि बच्चा अनेक बार विचारों के स्रोत तक पहुंचा हो उसे शब्दों के सौन्दर्य की अनुभूति हुई हो।
- अपने जन गण के गीत की धुन और शब्द ऐसी प्रबल शिक्षण शक्ति है जो बच्चे को जनता के आदर्शों और आकांक्षाओं से परिचित कराती है।
- बच्चे में जिज्ञासा, कौतुहल और ज्ञान–पिपासा की लौ की रक्षा कीजिये।
- जो बच्चा एक बार अपने मनोबल में और अपने मस्तिष्क पर जोर सुनकर लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। उसे फिर टीपा–टापी, नकल करने से किसी से चुपके से पूछने या बताने से घिन हो जाती है।
- जो बच्चों अपने काम में असंतोष की अनुभूति करता है और जो उसे अधिक अच्छी तरह से करने की

कोशिश करता है ऐसा बच्चा कभी भी आलसी नहीं बनेगा।

- बच्चा स्वयं आपके प्रति जब उदासीनता अनुभव करता है, तो वह भलाई और बुराई के प्रति भी सारी संवेदनशीलता खो बैठता है।
- शिक्षा का चरित्र निर्माण का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार यह है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में हर बच्चा मानव गरिमा का गर्व का अनुभव करे।
- बच्चों में चिन्तन क्षमता विकसित करनी चाहिए अन्यथा वे स्मरण शक्ति पर जोर देंगे, रहेंगें जिससे चिंतन शक्ति और भी कमजोर होगी।
- हाजिरजवाबी और समझदारी परखने के लिए बच्चों से पूछे जाने वाले सवाल एक तरह से मस्तिष्क की आंतरिक ऊर्जा को क्रियाशील करने, बौद्धिक मांसपेशियों को सक्रिय बनाने के लिए अभ्यास होते हैं।
- बच्चों को अभिव्यंजनात्मक पठन–पाठन से आनन्द और सन्तोष प्राप्त होता है।
- व्यक्तिगत भावनात्मक पठन–पाठन की तैयारी में यह बात बहुत मायने रखती है कि बच्चा अनेक बार विचारों के स्रोत तक पहुँचा हो उसे शब्दों के सौन्दर्य की अनुभूति हुई हो।
- बच्चों में चिन्तन क्षमता विकसित करनी चाहिए अन्यथा वे स्मरण शक्ति पर जोर देगे, रटेंगें, जिससे चिंतन शक्ति और भी कमजोर होगी।
- हाजिरजवाबी और समझदारी परखने के लिए बच्चों से पूछे जाने वाले सवाल एक तरह से मस्तिष्क की आंतरिक ऊर्जा को क्रियाशील करने, बौद्धिक मांसपेशियों को सक्रिय बनाने के लिए अभ्यास होते है।
- आप बच्चे को जीवन के लिए तैयार करते है और यह आवश्यक नहीं कि जीवन में सभी कर्तव्य रोचक ही हो।
- बच्चों में स्मरण शक्ति इसलिए तीव्र होती है कि ज्वलंत बिम्ब–चित्रों, कल्पनाओं और प्रत्यक्ष बोध की निर्माण धाग उसे सींचती है।
- खोज, जिज्ञासा और कौतुहल की भावना ही बच्चे में श्रम के प्रति रूचि जगाती हैं।
- स्कूल के जीवन में एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रत्यक्ष आभार नहीं होता है। इसे आत्मिक संतुलन कहा जाता है।
- बच्चे स्वयं को इस संसार में अपने नए–नए ज्ञान की खोज कर रहा अन्वेशक और सृजनकर्ता अनुभव करें।
- दुख–सुख महसूस करना सिखाना ही चरित्र निर्माण का सबसे कठिन कार्य है। मैत्री और बंधुत्व ही बच्चों को सहृदय संवेदनशील और दुख–सुख में शरीक होना सिखाते हैं।
- बच्चे हृदय से दूसरे व्यक्ति को अनुभव करना सीखें।
- बच्चों के अज्ञान का आदर कीजिये।
- शिक्षक और शिशुओं के हृदय में तारतम्य स्थापति करने में संगीत ही सबसे अधिक सक्षम है।

–संकलनकर्ता

श्रुति नागवंशी

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की आजादी एवं मानवाधिकारों के लिए सावित्रीबाई फुले का संघर्ष

भारत जब अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब देश में महिला मानवाधिकारों की एक बहस की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं वरन् वह पहली महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपने जीवनकाल में, देश में उस समय महिला शिक्षा की बात की जब हमारा समाज महिला शिक्षा के बारे में चर्चा करना भी पाप समझता था, तब सावित्री बाई ने 1852 में महिलाओं के लिए प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की।

उस वक्त उन्हें समाज की कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लोग उन पर कीचड़ फेंका करते थे और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। उन्होंने अपने प्रथम महिला विद्यालय के प्रथम सत्र में 80 से अधिक ब्राह्मण लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य किया और इस कार्य में फातिमा शेख जैसी मुस्लिम महिलाओं ने उनके हर कदम पर उनका साथ दिया।

उनका अपना कोई पुत्र नहीं था, तब उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के को गोद ले कर उसे पढ़ा कर डाक्टर की डिग्री दिलवाई। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुल कर बोला ही नहीं बल्कि उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, जिसमें उन्होंने अपने पति को मुखाग्नि भी दी।

उनके दत्तक पुत्र यशवंतराव ने डाक्टरी की पढाई पूरी कर गाँव में प्लेग मरीजों का निस्वार्थ भाव से इलाज किया और उन्होंने अपने जीवन में काफी कार्य किया। हाल ही में हमने सावित्री बाई फुले की 191वीं वर्षगांठ मनाई है और हम सावित्री बाई फुले को याद करते हुए उनके जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं।

देश के कई राज्यों में बड़े धूमधाम से सावित्री बाई फुले की 191वीं वर्षगांठ मनाई गई। समाज का एक बड़ा वर्ग इन्हें आदर्श के रूप में भी मानता है परन्तु यह एक चिंतनीय विषय बनता जा रहा है कि जिस सावित्री बाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उनके निजी मौलिक अधिकारों की एक लम्बी लड़ाई को अपने कड़े संघर्षो से उन अनसुनी अनेक आवाजों को आवाज दी, जो उस जमाने में एक सपने जैसा था पर आज 100 वर्ष से अधिक का वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे देश में महिलाओं के लिए उनकी निजता का अधिकार, महिला मानवाधिकार और महिला शिक्षा आज भी सवालों के घेरे में है।

आज भी हमारे देश में महिलाओं से जुड़े हुए सवालों को कई महिला पत्रकारों, महिला वकीलों और महिला अधिकारों पर कार्य करने वाले संगठनों द्वारा उस वक्त से अधिक संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से लैस हो कर महिलाओं की आवाज को बुलंद किया जा रहा है, परन्तु हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।

भारत के NCRB के एक आंकड़े के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 77 रेप के मामले दर्ज होते हैं। इस तरह एक वर्ष में 7000 से भी अधिक मामले देश के विभिन्न थानों में दर्ज होते हैं। यदि भारत में महिला साक्षरता दर को देखा जाए तो यह 65.6% है जिसे हम बेहद बेहतर नहीं कह सकते परन्तु यह आशाजनक स्थिति में है। वहीं हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, तो भारत में अब भी 145 मिलियन महिलाएं पढ़ने–लिखने में असमर्थ हैं।

इस आजाद भारत में महिलाओं के साथ बर्बरता की कहानी भी कोई नई नहीं है। आज भी भारतीय महिलाओं

को डायन प्रथा (जो कि समाज में प्रचलित एक सामाजिक बुराई है) के नाम पर मारा जा रहा है, तो दहेज के नाम पर जलाया जा रहा है, बलात्कार के मामलों पर देश के राजनेताओं के जो चरित्र सबके सामने दिखे हैं, वह काफी शर्मशार और मानवता को तार–तार करने वाले रहे हैं, जिसकी स्थिति पूरे देश ने देखी है। वहीं पीड़ित महिला होने के साथ–साथ अगर दलित हो तो लोगों के पीड़ित के प्रति अपने नजरिये भी बदल जाते हैं।

जब हम महिला आजादी के दूसरे पहलू को देखते हैं, तो पाते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में कदम बढ़ा चुकी हैं और वह सफल भी हैं। कला, साहित्य, फैशन, सिनेमा और न्यायपालिका, विधायिका से लेकर राजनीतिक बागड़ोर भी अब महिलाओं के हाथों में है परन्तु यह एक विचारणीय बिंदु है कि क्या महिलाएं अपनी उन शक्तियों का प्रयोग सच्चे शब्दों के अर्थ में कर पा रही हैं? जो उन्हें मिली हुई हैं या उस पर भी किसी एक खास वर्ग का नियंत्रण तो नहीं, चाहे वह वैचारिक हो या फिर राजनैतिक?

यह सवाल सिर्फ महिलाओं के बीच का नहीं है। यह सवाल भारत की जाति व्यवस्था पर भी उठता है, जहां पर किसी जाति विशेष को सिंहासन पर बैठा कर उनकी शक्तियों को जकड़ दिया गया है और उन्हें मात्र प्रदर्शनी के लिए उपयोग किया जा रहा है।

वैसे, ऐसे बहुत सारे सवाल है पर हम यहां यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वर्तमान दौर में देश की राजनैतिक हालत हो या महिला अधिकार हो या फिर देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के साथ उनके निर्णय हों और जो वर्ग यह सब संचालित कर रहा है, वह वर्ग कहीं महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित तो नहीं कर रहा है?

हम इस आलेख को देश के उन तमाम महिला अधिकार आन्दोलनों और वैचारिक आन्दोलनों को गति देने में एक कड़ी के रूप में आज सावित्रीबाई फुले जयंती पर समर्पित करते हैं।

–ओंकार विश्वकर्मा

बाल अधिकार के मुद्दे पर शिकायत निम्नवत् जगह करें–

National Commission For Protection of Child Rights

5 th Floor, Chaderlok Building,

36, Janpath Rd, New Delhi, 110001

धैर्य का छोटा हिस्सा एक टन उपदेश से बेहतर है।

–महात्मा गांधी

धार्मिक बहुलता तथा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व-

पिछले तीन दशकों में आमतौर पर पूरे विश्व में तथा खासतौर पर भारत में दूसरे की धार्मिक परम्पराओं के प्रति असहिष्णुता बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर सभ्यताओं के संघर्ष का सिद्धान्त धार्मिक परम्पराओं के संघर्ष पर आधारित है तथा स्थानीय स्तर पर साम्प्रदायिक ताकतों की राजनीति इससे जुड़ी है। हिन्दुत्व भी अपना निर्माण दूसरों की धार्मिक परम्पराओं के प्रति अरूचि, निंदा और नफरत की बुनियाद पर करता है।

मध्यकाल

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ कई धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराएं एक दूसरे को शान्तिपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हुए समाज में आज भी जीवित हैं। राजे–महाराजे सत्ता के लिए लड़ते रहे हैं। जबकि आम आदमी ने तमाम धार्मिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए एक–दूसरे को प्रभावित किया तथा समन्वयवादी परम्पराओं को निर्माण किया। भारतीय समाज की विविधता ही भारतीय समाज की ताकत व लचीलेपन का मूल स्रोत्र है। यद्यपि राजा बड़े भू भाग पर मजबूत पकड़ के लिए आपस में लड़ते रहे पर आम आदमी, श्रमिक वर्ग तथा दोनों धर्मो के दबे कुचले लोगों ने पारस्परिक सहयोग का जीवन जीना पसन्द किया।

राजाओं की रूचि भौतिक लाभ के लिए राज्य विस्तार तथा उसके संरक्षण में थी जबकि समाज का बड़ा हिस्सा अपने सामाजिक तथा समुदायिक जीवन में आनन्द पाता था। समाज का कुलीन वर्ग अपनी राजनैतिक शक्ति को मजबूत करने तथा दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहा जबकि समाज के विभिन्न रचनात्मक तबके के लोग, कवियों, ख्याति प्राप्त लेखकों, शिल्पकारों, नाट्यकलाकारों, लोक कलाकारों तथा चित्रकारों ने अपनी कला में अन्य दूसरी धाराओं को एकीकृत किया तथा इसी प्रक्रिया में अपनी कला को समृद्धि बनाना भी जारी है।

धर्म

लोकप्रिय धर्मो में समाहित महान समन्वयवादी परम्पराओं को समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है। हिन्दू धर्म की तरफ से भक्ति परम्परा तथा इस्लाम धर्म की तरफ से सूफी परम्परा उस समय जन्म लेने वाली प्रमुख धार्मिक परम्परायें है। दोनो प्रमुख धार्मिक परम्पराओं का प्रभाव इस अवधि में स्पष्ट दिखाई पड़ता हैं। कबीर, नानक तथा तुलसी ने इसी मिली–जुली परम्परा तथा दोनो धर्मो के प्रभाव को अपने जीवन व कार्यो में प्रतिबिम्बित किया है। कबीर ने सभ्रान्त ब्राह्मण वर्ग की भाषा संस्कृति को अस्वीकार कर दिया तथा आम जन की भाषा सामन्य हिन्दी और अवधी को अपने संवाद का माध्यम बनाया तथा सबद (दोहे) में कहा है कि जैसे आभूषण एक ही मूल धातु सोने का विभिन्न रूपों में प्रदर्शन है उसी प्रकार अल्लाह, राम, रहीम तथा हरी ये सभी ईश्वर के अनेक नाम हैं। हिन्दू द्वारा की गयी पूजा तथा मुसलमान द्वारा पढ़ी गयी नमाज, उसी एक ईश्वर की प्रशंसा करने के अलग–अलग तरीके है। कबीर उन संस्थागत धर्मों तथा धार्मिक परम्पराओं तथा पंडितों दोनों की एक समान आलोचना की, वे जाति–प्रथा तथ छुआ–छूत जैसी सामाजिक बुराईयों के भी घोर आलोचक थे। जिन्होने धर्म के नाम पर समाज को प्रभावित किया। उनकी शिक्षाएँ दोनों धर्मों को मानने वाले बुनकरों के एक बड़े वर्ग तथा कमजोर लोगों के बीच बड़े पैमाने पर फैल गयी।

इस काल में दूसरे संत कवि तुलसीदास ने आत्मकथा–सम्बन्धी एक दोहे में दर्शाया है कि उस समय धार्मिक मेल–मिलाप कैसे संचालित हो रहा है।

तुलसीदास स रनाम गुलाम है राम को, जोको रूचौ सो कहे वोहू
मांग के खइबो मसजिद मा रहिबो, लेबै का कएक न देबै का होऊ।

(तुलसीदास कवितावली से)

उस समय के बड़े राम भक्त में से एक ''तुलसी'' को मस्जिद में रहेन में कोई आपत्ति नहीं थी। कबीर के विचारों से प्रभावित तथा मेल–मिलाप के घोर समर्थक, ''गुरू नानक'' समाज में शक्ति के हिमायती थे। उन्होने हिन्दू तथा इस्लाम दोनो में धार्मिक विश्वासों को ग्रहण करके दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश की। उन्होनें इस्लाम से एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को ग्रहण किया तथा हिन्दू धर्म से पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धान्त को। जिसके अनुसार व्यक्ति के कार्य उसके अगले जन्म का भाग्य तय करते है। वे जाति प्रथा के खिलाफ थे। उनकी पवित्र पुस्तक, आदि ग्रन्थ के कबीर तथा बाबा फरीद जैसे सूफी संतो के उद्धरणों को विस्तार से लिया गया है। सूफी सन्तों कें से एक मीर मियॉ से स्वर्ण मन्दिर की बुनियाद रखने की प्रार्थना भी की गयी। सूफियां ने निचले वर्ग तथा जातियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया। उसके उदार तथा सादा जीवन पद्धति के कारण निचले तबके के बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल लिया। उनके मजार बिना किसी भेद–भाव के सभी के लिए खुले थे। सूफी बुनियादी तौर पर इस्लाम के आध्यात्मिक पक्ष का समर्थन कर रहे थे तथा यह कहा जा सकता है कि यह उलेमाओं द्वारा प्रचारित प्रसारित इस्लाम की कठोरता के खिलाफ क्रान्ति थी। महान सूफी सन्त इब्न–अल–अरबी ने वहरत–अल–वजूद अर्थात् अस्तित्व की एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसने जाति तथा पंथ जैसी बाधाओं को समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक सार्वभौमिकता को बढ़ावा दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक अस्तित्व एक ही है। इससे विभिन्न धर्मो के अनुयायियों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ा।

ध्यान देने योग्य सबसे खास बात यह है कि सूफी–संत अपनी लेखनी में आम लोगों के काफी करीब रहे। बाबा फरीद ने पंजाबी के काव्य रचना की। उनकी रचनाएँ सिखों की पवित्र पुस्तक, ग्रन्थ साहिब का हिस्सा है। बाबा फरीद के सबसे प्रमुख अनुयायी निजामुद्दीन थे, जो गर्व से कहा करते थे कि ईश्वर की उपासना के उतने ही रास्ते हैं जितने बालू के कण। वे कौव्याली तथ भजनों से एक समान सम्पर्क में रहने के कराण भजन सुनने के बहुत शौकीन थे स्थानीय परम्पराओं के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था। एक छोटी सी कहानी में समझने में मदद मिलेगी वह धार्मिक कट्टरता से कितने दूर थे तथा स्थानीय परम्पराओं के प्रति उनके अन्दर कितना सम्मान था। एक दिन वे दिल्ली में अपने शिष्य, प्रसिद्ध कवि खुसरो के साथ यमुना के किनारे से गुजर रहे थे और उन्होंने यमुना में कुछ औरतों को नहाते समय सूर्य की प्रार्थना करते हुए देखा उसे देख कर हजरत निजामुद्दीन ने अपने शिष्य प्रसिद्ध कवि खुसरों से कहा ''ओ खुसरों, ये औरतें भी ईश्वर (अल्लाह) की उपासना कर रही है, उनका उपासना का अपना तरीका है, और तब उन्होंने कुरान की एक आयत सुनाई ''और हर किसी की अपनी दिशा है जिसकी तरफ वह चलाता है इसलिए अच्छे कामो में एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करो।

ध्यान देने योग्य सबसे रोचक बात यह है कि "उलेमा उन सभी लोगों को काफिर कहते हैं जो इस्लाम के अलग अन्य धर्मों के अनुयायी है, जब कि सूफियों ने अन्य सभी धर्मों के समान अध्यात्मिक व्यवहारों का सम्मान किया तथा उनके प्रति अपने चरम सम्मान को प्रदर्शित किया। ..... इसी प्रकार मजहर जान–ऐ–जाना भी एक सविख्यात सूफी विचारक थे। जिन्होने दूसरी अन्य परम्पराओं का भारी सम्मान किया। दाराशिकोह, शाहजहाँ की राजगद्दी का वारिस, जिसकी हत्या उसके अपने ही भाई ने सत्ता हथियाने के लिए कर दी थी, संस्कृत का महान विद्वान था, जिसने हिन्दू धर्म ग्रन्थों का गहराई से अध्ययन किया तथा एक पुस्तक लिखी जिसे 'मजमआ–उल–बहरैन (दो बड़े महासगरों, हिन्दुत्व तथा इस्लाम का मिलन) नाम से जाना जाता है। इस किताब में उसने इस्लामिक तथा सूफी वाक्य रचना तथा हिन्दू रचना की तुलना को और दर्शाया कि दोनों में बहुत कुछ समानता है।

विख्यात विद्वान डॉ.बी.एन. पाण्डेय ने दोनों धर्मो में प्रचलित प्रथाओं के आपसी प्रभाव का बहुत सुन्दर सारांश प्रस्तुत किया है, हिन्दुत्व तथा इस्लाम जो कि प्रारम्भ में एक दूसरे के एकदम विपरीत प्रतीत होते हैं, अन्त में परम्पर मिश्रित दिखते है। उनमें से प्रत्येक, दूसरे को अत्यधिक गहराई तक महसूस करता है। उनके संश्लेषण से भक्ति और तसव्वुफ का धर्म, प्यार और समर्पण का धर्म विकसित होता है, जो भारत के दूसरे धर्मो तथा पथों को मानने वाले लाखों लोगों का दिल जीत लेता है। इस्लामिक सूफीवाद तथा हिन्दू भक्ति की धारा ने आपस में संयुक्त हो कर एक शक्तिशाली प्रवाह का रुप धारण कर लिया, जिसने पुरातन एकाकी पड़ चुके सम्बंधों को पुनः नई उत्पादकता प्रदान की तथा देश का चेहरा बदल दिया। यह भारत की आत्मशाक्ति थी। जिसने प्रत्यक्ष रुप से इस्लाम की विशुद्धतावादी कठोरता तथा विस्मित कर देने वाली श्रेष्ठता का हिन्दुत्व को अलंकृत पूर्णता, आडम्बरों की बहुलता तथा उसकी अन्तर्निहित एकता की अवधारणा के साथ सामंजस्य स्थापित करने जैसा असंभव कार्य किया तथा उन कला स्मारकों, चित्रकारी के नमूनों, संगीत काब्यों तथा प्रेम की अवधारणा से प्रेरित धर्म की रचना की, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है।

मुस्लिम राजाओं, इस्लाम तथा स्थानीय संस्कृति के पारस्परिक प्रभाव के कारण जीवन के हर क्षेत्र में संश्लेषण (मिली–जुली) संस्कृति का एक सम्पूर्ण प्रवाह विकसित हो गया। संगीत के क्षेत्र में ख्याल, गजल तथा ठुमरी इस पारस्परिक प्रभाव के महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर भारतीय संगीत को आज जिस रुप में जाना जाता है, वह पूरी तरह से 500 वर्ष पूर्व हिन्दू तथा मुस्लिम तत्वों के मिश्रण से प्राप्त हुआ। बीजपुर आदिलशाही, इब्राहिम द्वितीय (1580–1626) के दरबार में 300 हिन्दू गायक थे। उसने मुसलमानों में संगीत को प्रिय बनाने के लिए किताब–ए नौरंग नाम से उर्दू में एक किताब लिखी, जिसमें 59 कवितायें है तथा उनमें एक सरस्वती देवी की स्तुति में है। चौतन्य महाप्रभु तथा अधिकांश वैष्णव संत कवियों ने अनेक मुसलमानों को अपने व्यंग वाक्यों में लिखने के लिए प्रेरित किया। रसखान तथा रहीम उन प्रिय हिन्दी कवियों में से है। जिन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रज भाषा में किया है। सय्यद वाजिद शाह ने मध्य काल का सबसे महान शास्त्र हीर और रांझा लिखा। शेख मोहम्मद वाजिद ने मराठी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शिवा जी के गुरू रामदास रांझा ने विशेष रुप से उनकी प्रशंसा की है।

बोलचाल में प्रयुक्त फारसी शब्दों तथा दिल्ली व उसके आस–पास बोली जाने वाली पश्चिमी हिन्दी के आपसी मिश्रण के एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे बाद में चलकर उर्दू कहा गया। अनेक महान हिन्दु विद्वानो ने उर्दू को न केवल प्रशासनिक भाषा के रुप में चुना बल्कि उर्दू में साहित्य रचना की तथा उर्दू साहित्य में अपना योगदान दिया। हिन्दू वास्तुकला का जटिल मूर्तिकला की बहुलता ने अपने आवरण से ढक दिया, जबकि वास्तुकला अपने वैभव तथा चमक के लिए महत्वपूर्ण रही। इस काल में वास्तुशिल्प के जो वेजोड़ नमूने बने उनमें दोनों का मिश्रित प्रभाव स्पष्ट दिख जाता है। यह मिश्रण आगरा किले में स्थित जोधा बाई महल, फतेहपुर सीकरी में तथ कुवत–उल–इस्लाम मस्जिद के मेरावो में दिख जाता है। यह मिश्रिण प्रभाव राज्यस्थान व मध्यप्रदेश की हवेलियों तथा जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के..... वास्तुशिल्प के नमूनों में दूर–दूर तक स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार परसियन तकनीक तथा भड़कीले हिन्दू रंगों के मिश्रण के फलस्वरूप सूक्ष्म चित्रकारी साकार हुई जिनमें सुन्दरता तथा गीतात्मकता का अद्‌भुत समावेश हुआ है। मध्यकालीन समाज में व्याप्त सद्‌भावना के अमूल्य अवशोषो में से एक सूफी सन्तों की दरगाहे है जो विभिन्न साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा बार–बार किया गये आक्रमणों के बाद भी बची है ये दरगाहें विभिन्न शहरों में फैली हुई है, जिनकी देख–रेख हिन्दू तथा मुस्लिम परिवारों द्वारा की जाती है। साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वालों द्वारा फैलाये जा रहे साम्प्रदायिक जहर की परवाह न करते हुए इन दरगाहों पर सभी धर्मो के मानने वाले जाते है। मुम्बई के ठीक पास स्थित हाजी मलंग की दरगाह

मध्यकालीन समन्वयात्मक प्रवृत्ति की एक अच्छी अभिव्यक्ति है। दरगाह के पुश्तैनी ट्रस्टी कैलाश नाथ गोपाल केतकर (एक बाह्मण) फल तथा फूलों की चादर चढ़ाने है। इस समन्वयात्मक परम्परा को बढ़ावा देने के क्रम में बहुत सारे चर्च भी सभी धर्मो के लोगो के लोगो के लिए तीर्थ स्थल बन गये है, बुम्बई का माऊण्ट मैरी चर्च उनमें से एक है। ऐसे असंख्य उदाहरण है, जो देश में हर जगह फैले हुए है।

आज इस प्रकार की मूल्यवान परम्पराओं को बचाने तथा संभ्रान्त व शासन वर्ग के मतभेदों को दूर करने के सजग प्रयास किये जा रहे है। सच को सम्पूर्णता में देखने की जरूरत हैं, इन समन्वयात्मक परम्पराओं की समृद्धि के सूक्ष्म अवलोकन की जरूरत है जो हमारे सामुदायिक प्रेम, सम्मान तथा एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता को समर्पित है।

आधुनिक भारत-

भारतीय राष्ट्रीयता की अवधारणा आधुनिक उद्योगों तथा आधुनिक शिक्षा से परिचय के साथ प्रारम्भ हुई है। भारत में इस महान परिर्वतन के परिणाम स्वरूप अनेक नये सामाजिक वर्ग–व्यवसायिक–उद्योगति वर्ग, शिक्षित वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इन्होने अपना संघ बनाया। इस नये वर्ग की राजनैतिक अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। नये उदीयमान वर्ग के हितों के लिए संघर्ष करने वाले इस राजनैतिक संगठन के निर्माण के साथ की अवनति की तरफ बढ़ रहे वर्ग–जमींदार, राजा तथा उनसे जुडे दोनों धर्मो, हिन्दू तथा मुसलमानों के पुजारी वर्ग, संयुक्त पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन करने के लिए आगे आये। इन्होने ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई तथा इस आधार पर कांग्रेस का विरोध किया कि हमारा धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि राजा (इस मामले में रानी) के प्रतिनिष्ठा रखना चाहिए और कांग्रेस का कार्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ निष्ठाहीनता के समान है। यही समय है, जब भारत में साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हुए तथा सम्प्रदायिक राजनीति की बुनियाद पड़ी। इस राजनीति ने धर्म आधारित साम्प्रदायिक गुटो–मुस्लिम लीग, पंजाब हिन्दू सभा तथा हिन्दू महासभा को जन्म दिया। बाद में ब्राह्मणों के बीच से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अस्तित्व में आया। भगत सिंह (हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन), डॉ भीम राव अम्बेडकर (रिपब्लिक पार्टी ऑफ इण्डिया) तथा मौलाना कलाम आजाद, महात्मा गाँधी, एनीवेसेण्ट इत्यादि (भारतीय कांग्रेस) जैसे लोगो ने लोकतात्रिक/समाजवादी राष्ट्रीय के लिए संघर्ष किया तथा देश की आजादी के लिए अलग–अलग तरह से अपना योगदान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। मोहम्मद अली जिन्ना (मुस्लिम लीग), विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दू महासभा) तथा आर. आर.एस. (हिन्दू लीग राष्ट्र) जैसे लोगों ने अपने–अपने धर्मों के पुराने वैभव की बात की तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता के आन्दोलन का विरोध किया। सावरकर 1906 ई0 तक ब्रिटिश विरोधी क्रान्तिकारी रहे, पर अण्डमान से छुटने के बाद उन्होने कभी भी ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया। जिन्ना प्रारम्भ में कांग्रेस से जुडे रहे लेकिन जब गाँधी ने अहसयोग आन्दोलन का आह्वान किया, तब उन्होने कांग्रेस से दूरी बना ली और बाद में मुस्लिम लीग से जुड़ गये तथा उसका नेतृत्व किया।

भगत सिंह, गाँधी तथा अम्बेडकर जैसे लोगो ने भारत को एक राष्ट्र के रुप में बनते देखा। जबकि मुस्लिम लीग ने यह तर्क दिया कि 8वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तथा उस पर शासन किया, तब से ही मुसलमान एक राष्ट्र के रुप में है। सावरकर ने चिर काल से ही हिन्दू राष्ट्र होने की वकालत की तथा बाद में आर.आर.एस. यह कहती रही कि मुस्लिम यहाँ दूसरे दर्जे के नागरिक बनकार रह सकते है। धार्मिक पहचान के साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न धाराओं ने आगे चल कर अंग्रेजो की फूट डालों और राज करों की नीति के लिए आदर्श प्रतिरूप का कार्य किया। आम भारतीय ने इस साम्प्रदायिक विचार धाराओं का समर्थन नहीं किया। मुसलमानों के एक छोटे तबके ने मुस्लिम लीग का

समर्थन किया। इसी प्रकार हिन्दूओं के बहुत ही छोटे से तबके ने हिन्दू महासभा का समर्थन किया। बटवारे की यह दुःखद घटना मात्र अंग्रेजो की फूट डालों और राज करों की नीति के चलते घटी जिसमें मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा तथा आर.आर.एस. द्वारा फैलाई गयी निर्णायक राजनीति ने पूरक का कार्य किया। जब इन विचारधाराओं को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका, तो इनके समर्थकों ने दूसरे समुदायों के प्रति नफरत फैलाना प्रारम्भ कर दिया।

मुस्लिम लीग मुसलमानों के बीच यह प्रचार करने लगी कि हिन्दू कायर है, वे काफिर है हमने उन पर शासन किया है इत्यादि / हिन्दू महासभा / आर.आर.एस. ने दुष्प्रचार के लिए ब्रिटिश इतिहास से अनेक बातें चुनी तथा विभिन्न माध्यमों विशेषकर अपनी प्रशाखाओं के माध्यम से उनका प्रचार करना प्रारम्भ किया। जैसे–मुसलमानों राजाओं ने हिन्दू मंदिर को तोड़ा इस्लाम का प्रचार तलवार के जोर हुआ हैं, मुसलमानों ने हिन्दूओं पर बहुत अत्याचार किये है, ये चार–चार शादियाँ करते है, वे बहुत सारे बच्चे पैदा करते है और गायों को मारते है जो कि हिन्दूओं के लिए पूजनीय है। इन्ही दुष्प्रचारों ने साम्प्रदायिक हिंसा को आधार प्रदान किया तथा सामाजिक व राजनैतिक ताना–बाना बिगडने लगा। साम्प्रदायिक दंगों तथा बटवारे के माहौल ने राष्ट्रीय परिदृष्य को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया। जिसने बटवारे की प्रक्रिया को और तेज कर दिया, समुदायों के बारे में इस प्रकार के प्रचार ने भारतीय संस्कृति की बहुलता तथा विविधा को नजर अन्दाज किया। इसने भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी मूल्यों तथा भक्ति–सूफी परम्परा का पूर्ण रुप से उल्लंघन किया तथा संभ्रान्त वर्ग के बीच मदभेदों को बढ़ाया।

भारतीय संविधान स्वतंत्रता आन्दोलन के मूल्यों को व्यक्त करता है तथा आजादी, समानता और भाईचारा (बन्धुता) की अवधारणा पर आधारित है। साम्प्रदायिक विचार धारा सूक्ष्म स्तर पर जातियों के ऊँच–नीच तथ लिंग भेद मे विश्वास करती है। मुस्लिम विचाराधार अव्यक्त रुप से जातीय स्तर पर अशरफ, अजलाफ व अरजाल तथा लिंगीय आधार पर औरतों की हीनता में विश्वास करती है। हिन्दू जातीय व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र जैसी ऊँच–नीच की अवधारणा को समाज संगठित रखने के लिए जरूरी बताते हुए महिमा मण्डित ढंग से प्रस्तुत करता है तथा औरतों के प्रति हीनतापूर्ण सोच राष्ट्रीय स्वयं संवक संघ (जो कि अन्य सहायक हिन्दूवारी संगठनों का वास्तविक नियन्ता है।) के सहायक महिला संगठन के नामकरण हेतु प्रयुक्त शब्द समूह ''राष्ट्रीय सेविका समिति'' में प्रतिविम्बत होती है जिसमें 'स्वयं' शब्द गायब है। पाकिस्तान (जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी साजिश का परिणाम है।) की स्थापना इस्लामिक कट्टरपंथ के आधार पर हुई तथा भारत की धर्मनिरपेक्ष आधार पर धर्म आधारित राष्ट्रीयता को अँगूठा दिखाते हुए पाकिस्तान दो दुकड़ो–पाकिस्तान तथा बांग्ला देश में बट गया जबकि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक धरालत पर गठित होने वाले भारत को आर.आर.एस. के हिन्दू राष्ट्रवाद तथा भारतीय संस्कृति व राजनीति पर इसके बढ़ते प्रभाव से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। बटवारे की बढ़ती राजनीति, बाबरी मस्जिद के गिराये जाने पर उसके बाद की हिंसा, पादरी के जलाये जाने की कलंकित घटना, गुजरात, नरसंहार तथा चारों तरफ हो रहे विस्फोटो से यह प्रमाणित हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की अवधारणा को बदनाम किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों का दमन किया जा रहा है। उनके भारतीय समाज का हिस्सा होने पर सवाल उठाया जा रहा है तथा सामाजिक विकास का सम्पूर्ण वातावरण दूषित किया जा रहा है।

वर्तमान समय-

भारत में हर किसी ने भी पिछले दो दशको में धर्म के नाम पर हिंसा में तीब्रता से हो रही वृद्धि को देखा हैं। बाबरी मस्जिद् के विध्वंस के बाद चली हिंसा की लहर ने पूरे देश को हिला दिया। 1996 में कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य कर रहे पादरी को उसके दो मासूम बच्चों के साथ जिन्दा जला दिया गया। ईसाई

विराधी हिंसा हमारे समय में कभी न मिटने वाला कलंक बन गयी है। साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा में जलाया जाना व उसके पश्चात भयानक मुस्लिम विरोधी दंगे तथा सामूहिक जनसंहार भारतीय जीवन पर लगा दूसरा बड़ा कलंक था 9/11 की घटना के परिणामस्वरूप सभी धर्मो के करीब तीन हजार लोग मारे गये। इसी के साथ वह दावा किया जाने लगा कि वर्तमान समय सभ्यताओं के संघर्ष का समय है, पिछड़ी हुई इस्लामिक सभ्यता विकसित पश्चिमी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। धर्म को हिंसा से जोड़ने के इन रेखांकित प्रयासों के अन्य दूसरे रुप भी देखे जा सकते है।

इन अपवित्र प्रयासों के साथ सतही लोगो में दूसरे धर्मो के पति गलतफहमी पैदा होना प्रारम्भ हुई। इस गलत फहमी ने आज बड़े पैमाने पर स्वीकृति पा ली है। इसने दंगो तथा आतंकी गतिविधियों को आधार प्रदान किया है। इस गलतफहमी के कारण हिंसा में हुई वृद्धि को समझने की आवश्यकता है। धर्म, और राजनीति के बीच के फर्क को समझने की भी नितांत आवश्यकता हैं। अधिकांश धर्म प्यार तथा मानवता की भावना पैदा करने के लिए लोगो के मार्गदर्शन हेतु अनेक नैतिक मूल्यों के समुच्चय के साथ अस्तित्व में आये। एक तरफ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये नैतिक मूल्य लोगों के बीच बड़े पैमाने पर स्थायी रहे, लेकिन जब धर्मो की संस्थागत रुप देने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, उसी के साथ धार्मिक कर्मकाण्डों पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा, जबकि नैतिक मूल्यों को जड़ से कमजोर कर दिया। यद्यपित सच्चे हृदय से मानवता के मूल्यों की शिक्षा देने वाली संन्तो तथा अन्य लोगो द्वारा विभिन्न धर्मो के मानने वालो के बीच आधारभूत एकता को बनाये रखने के लिए असंख्य प्रयास किये गये है। आज निहित स्वार्थो ने अपना भौतिक हित साधने के उद्देश्य से समाज के कमजोर वर्ग तथा कमजोर देशों को दबाने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया है। चूँकि ये प्रयास धर्म के नाम पर किये जाते है अतः लोगों के बची अलगाव की भावना ने धर्म की वास्तविक भावना को पीछे छोड़ दिया है।

आर.आर.एस. तथा हिन्दुत्व के नाम पर की जा रही राजनीति से जुड़े लोग विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं। जिसका परिणाम हर कोई देख सकता है। यह नफरत मुसलमान तथा ईसाई दोनों के खिलाफ फैलायी जा रही है। मुसलमानों की छवि घोर हठधर्मी आक्रमण, अनके पत्नियाँ रखने वालों, तलवार के जोर पर धर्मान्तरण कराने वालों तथा पाकिस्तान के प्रति ज्यादा निष्ठा दिखाने वालों के रुप में प्रस्तुत की जा रही है। इसने एक ऐसी विकृत सामाजिक सोच को जन्म दिया है। जो मुसलमानो को 'गैर' के रुप में देखती है। विभिन्न स्थानों पर छोटी–छोटी असत्य बातों के लिए भी बहुसंख्यक द्वारा की गयी हिंसक घटनायें हैवायित भरा सुलूक, भय तथा असुरक्षा की भावना ने उनके पृथक बस्ती के रुप में समूह में बसने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। वैश्विक स्तर पर अमेरिका आतंक के खिलाफ युद्ध को प्रश्रय दे रहा है। जो प्रधान देशों पर हमला करने तथा इस्लाम को वैश्विक खतरा बताने की चाल है। वैश्विक स्तर पर मुसलमानों के खिलाफ इस नफरत में वृद्धि होती जा रही हैं। भारत में आर.आर.एस. के हिन्दू राष्ट्रवाद के प्रचार–प्रसार के कारण यह समस्या और भी नाजुक हो गयी है। वैश्रिक स्तर पर अमेरिका के लक्ष्य तथा घरेलू सतर पर आर. आर.एस. के लक्ष्य में समानता ने समस्या को गम्भीर बना दिया है। बहुल से मुस्लिम बहुल देशों में यही प्रक्रिया अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलायी जा रही है।

भारत के बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक समूह ईसाइयों को भी लालच तथा धोखा–धड़ी से धर्मान्तरण कराने का दोषी ठहराया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इसाईयों की जनसंख्या पिछले चार दशकों से घट रही है। इसके बावजूद इसाई अल्पसंख्यको पर अनवरत रुप से होने वाले हमलों में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाये जा रहे दुष्प्रचार की भी कोई जमीनी हकीकत नहीं है, परन्तु ये दुष्प्रचार लोगों के दिलों दिमाग में भर कर गये। अतीत में मुस्लिम राजाओं द्वारा अतीत में मुस्लिम

राजाओं द्वारा सत्ता धन प्राप्ति के लिए श्रद्धा स्थलों के तोड़े जाने को हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतीत में हुए धर्मान्तरण को बलात् धर्मान्तरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित हमारी जनसंख्या संरचना को धार्मिक कारणों का नतीजा माना जाता है। दूसरे देश के प्रति निष्ठा जैसे मुद्दे को सिर्फ राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हवा दी जाती हैं और यह कि सारे मुसलमान आतंकवादी। इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि न तो आतंकवाद धर्म के कारण है और न तो सारे आतंकवादी मुसलमान है। लिट्टे, उल्फा खालिस्तानी, आयरिश रिपब्लिक आर्मी तथा और भी ऐसे ही संगठन मुसलमानों के नहीं है।

(स्रोत-साझी विरासतः संकल्प-धार्मिक बहुलता तथा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व-डा० राम पुनियानी)

हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध एक नजर

लम्बे समय तक साथ–साथ रहने का नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों ने हिन्दू धर्म की ज्ञान–शारी का गहन अवलोकन किया और इसके बारे में अपनी राय को बड़े सम्मान के साथ व्यक्त किया। दाराशिकोह ने 'मज्मा–उल–बहरैन' मे यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हिन्दू धर्म और इस्लाम परस्पर दो विरोधी धर्म नहीं है बल्कि उनका मूल स्रोत एक ही है। दो भिन्न धाराएं अलग–अलग प्रवाहित होती दिखाई देती है। लेकिन अंततोगत्वा ये दोनों धाराएं एक बिन्दु पर पहुँचकर एक दूसरे में लीन हो जाती है। दाराशिकोह ने लिखा है– शबड़ी वेदना के साथ फकीर, मुहम्मद दाराशिकोह कहता है कि हकीकत को जानने के बाद और सूफियों के धार्मिक आदर्शों की बारीकियों को समझने के बाद तथा इस अंतिम सत्य को प्राप्त कर लेने के बाद मुझे भारत के धार्मिक विचारकों के सिद्धान्तों को जानने–समझने की जिज्ञासा हुई। भारत के विद्वानों के साथ निरंतर विचार–विमर्श और उनके सतसंग के बाद जिन्होंने धार्मिक विषयों में पूर्णता प्राप्त कर ली थी. धर्म की आत्मा तक जिनकी पहुँच हो गई थी और ईश्वर को सत्ता का रहस्य जान लिया था, मुझे (दाराशिकोह) शाब्दिक अंतर के अलावा सत्य के साक्षात्कार के उनके मार्ग में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दिया। इसलिए दोनों वादियों के विचारों को संगृहीत करके और दोनों के नुक्तों को एकत्र करके, एक सत्य के जिज्ञासु के लिए जिनकी जानकारी बहुत जरूरी और उपयोगी है। मैंने एक पुस्तक की रचना की और इसका नाम मज्मा–उल–बहरीन रखा, क्योंकि ये दोनो संप्रदायों के ब्रह्म ज्ञानियों के विचार का सार–संग्रह है,

संक्षेप में यह है कि फारसी में महाभारत भगवद्गीता' और दूसरे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद होने और मुसलमानों की हिन्दू विद्वानों और पंड़ितों के विचारों में अवगत होने का जो अवसर मिला, शेख मुहम्मद इकराम के शब्दों में इसका मिला–जुला परिणाम यह हुआ कि हिन्दू वेदांती यह देखने लगे कि–''मौलाना रूम की मसनवी और इस्लामी तसव्युफ की पुस्तकों में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें ये अपना कह सकते हैं और कई मुसलमान भी समझने लगे है कि हिन्दुओं में केवल मूर्ति पूजक और अवतारवाद की मानने वाले लोग ही नहीं बल्कि पवित्र विचारों वाले निस्पृह और सांसारिक विषयों से उदासीन लोग भी है।''

जहाँगीर की भांति शाहजहाँ हिन्दू योगियों और संन्यासियों के प्रति आदर भाव नहीं रखता था लेकिन उसके शासन काल में वे परम्पराएं एकदम समाप्त नहीं हुई थी और उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में दाराशिकोह की भागीदारी से इन को बड़ा बल मिला था। मुसलमानों में दाराशिकोह, मुल्ला शाह बदख्शी, सरमद शहीद और मुहसिन फानी के अलावा दूसरे/कई उन्मुक्त विचारों वाले आध्यात्मिक संतो की संगति करता था और वे दाराशिकोह की सभा के सम्मानित सदस्य थे, उनके आलावा दूसरे ऐसे मुसलमान थे जो हिन्दू साधुओं और योगियों की आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित थे और उनसे मिलकर 7सुख की अनुभूति करते थे "दबिस्तान–ए मजाहिब'' के लेखक ने एक ज्ञानी योगी के बारे में मुल्ला शैदा की राय को

इन शब्दों में प्रस्तुत किया है ''मुल्ला–शैदा–ए–हिन्दू जो कि मशहर शायरों में और उन दौर के विद्वानो में से था। एक दिन इन पंक्तियों के लेखक के साथ ज्ञानी 'जीना' के मकान पर गया और उसके साथ सत्संग किया। उसके शिष्यों और घर में रहने वालों की आत्मीयता से बेहद खुश हुआ और कहा मेरी तमाम उम्र ज्ञानी लोगो की सेवा में बीती है। लेकिन मेरी आँखों में इस स्तर का आजाद इंसान न देखा और न ही मेरे कानो में इन कोटि के किसी उन्मुक्त व्यक्ति के बारे में सुना।''

उन्मुक्त विचारशीलता और दाराशिकोह द्वारा बनाए गए माहौल का यह नतीजा हुआ कि मुसलमानों पर वैरागियों और योगियों के विश्वासों का बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। अब्दुल गनी बेग ''कुबूल'' कश्मीर मुहम्मदशाह के दौर में हुआ है। उसके बारे में वृत्तांतकारों ने लिखा है कि वह स्वयं को किसी हिन्दू का मुरीद कहता था। दविस्तान–ए–मुजाहिब में लिखा है कि हिन्दुओं और मुसलमानों में से जो कोई भी उनके मजहब में आना चाहता है। वह उसे कुबुल कर लेते हैं और इन्कार नहीं करते। उनका कहता है कि मुसलमान भी विषन (विष्णु) की उपासना करते हैं क्योंकि विस्मिल्लाह के सही मानी है, यानी बिशन को बिस्मिल्लाह भी कहा जाता है।''

जो मुसलमान वैरागियों में शामिल हुए थे. वे सिर्फ अशिक्षित वर्ग से नहीं थे बल्कि उनमें कई शिक्षित और संभ्रात वर्ग के लोग भी थे। 'दबिश्वान–ए–मजाहिब में लिखा है– बहुत से मुसलमान इनके मजहब में दाखिल हो गए हैं। मसलन मिरजा और मिरज बैदर जो मुसलमान शरीफजादे है. वैरागी हो गए हैं।''

हिन्दू योगियों की सेवा में औरंगजेब जैसा कठोर आस्थावान मुसलमान भी श्रद्धा के साथ उपस्थित होता था। 'रूक्आत–ए–आलमगिरी' में एक योगी के साथ भेंट का उल्लेख मिलता है। ।

'दविरतान–ए–मजहब' में यह लिखा है कि आरिफ सुबहानी नामक दरवेश मस्जिद और मंदिर दोनों में बराबर श्रद्धा रखते थे और मंदिर में हिन्दुओं के विधि–विधान के अनुसार पूजा–अर्चना करते और मस्जिद में मुसलमानों की तरह नमाज़ भी पढ़ते थे। आगे लिखा है' ये न किसी दीन और रीति–रिवाज की बुराई करते है और न एक मजहब को दूसरे पर तरजीह देते हैं। उनकी तबियत में धार्मिक भेद–भाव भी नहीं है। वे ईश्वर को एक सत्ता के मार्ग के अनुयायी है,

दहर च बनजर ओ दर आयद ओ रा

बजूद मुत्लख शिमर दो गरामी मी दारद

आज के भारत में भी मुसलमानों में मदारिया और जलालिया दो ऐसे फिरके पाये जाते हैं जिनके आधारण और विश्वासों पर सन्यासियो और योगियों का गहरा प्रभाव लक्षित होता है।

दूसरी और हिन्दुओं में भी इस अध्यात्म चेतना और समन्वय के भाव को समुन्नत करने वाले कई चिन्तक थे। चन्द्रभान विरहमन उनमें से एक थे जो दाराशिकोह का मुन्शी थे और फारसी में पहला साहिबे–दीवान हिन्दू शायर हुए। दाराशिकोह की मृत्यु के बाद उसके कर्मचारीगण औरंगजेब के दरबार से जुड़ गए। विरहमन ने भी यही रास्ता अपनाया और अन्तिम समय तक उसका मुलाजिक रहा। उसने औरंगजेब की प्रशंसा में बड़े पुरजोर शेर कहे। विरहमन की एक सूफियाना मसनबी 'मजमुआ–ए–रिसालत' लखनऊ से 1877 ई0 प्रकाशित हो चुकी है। 'नाजुक खयालात' नाम से उसकी दूसरी पुस्तक है जो कि शंकराचार्य की कृति 'आत्माविलास' का अनुवाद है। यह पुस्तक 1091 ई0 में लाहौर में छप चुकी है।

उस जमाने में भूपत राय नाम का एक शायर थे। 'बेगम' तखल्लुम और 'बैरागी' लकब था। शायरी में मुहम्मद अफजल 'सरखुश' का शर्गिद था और बाद में उन्होने बिंदराबन दर 'खुशगो' की शिष्यता ग्रहण कर ली। साधना मार्ग की दृष्टि से शेखों के शेख मुहम्मद सादिक और नारायन दास 'बैरागी' का अनुयायी था।

उसका संम्बन्ध खत्री जाति से था। उसके पूर्वज सकरार जौन (जो पंजाब में थी) के कानूनगो थे। जब उसके मन में भक्तिभाव उत्पन्न हुआ तो उसने मिथ्या संसार को छोड़ दिया।

दारा शिकोह की हत्या के बाद हिन्दू–मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक समन्वय का यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अलवत्ता उसकी गति धीमी पड़ गई क्योंकि अपने जीवन में ही उसे अपने उन्मुक्त चिंतन और सर्वधर्म समभाव के कारण विरोधियों का मुकाबला करना पड़ा था। उल्माओं और विद्वानों की एक बड़ी जमात इस आंदोलन को असफल बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वह जमात तसव्वुफ में गैर–इस्लामी तत्वों को देखना पसन्द न करती थी। दाराशिकोह ने कई उल्मा (धर्मगुरुओं) के साथ अपने मतभेद का स्वयं उल्लेख किया है। वह सिर्रे–अकबर की भूमिका में लिखता है–

"उस हिन्दुस्तान में तौहीद के बारे में बहुत बातचीत होती है और भौमिक व आध्यात्मिक उल्मा (धर्म गुरु) तथा भारत के ये समुदाय ईश्वर की सत्ता को एक मानने से इनकार नहीं करते बल्कि उसमें विश्वास रखते है। इसके विपरीत इस समय के मूढ़मती लोगों ने तौहीद के बारे में हर प्रकार की बातचीत से विमुख होने का आचरण किया है, और वे लोग खुदा के रास्ते के रहजन की हैसियत रखते है हालांकि कुर्आन शरीफ और हदीस बातचीत की अनुमति देती है। ये वे लोग है जो अपने आप को उल्मा कहते है और खुदा को जानने वालों और धर्म के रक्षको से बहस मुबाहिसा और उनका उत्पीड़न करने, उन पर कुफ्र आयात करने पर उतारू है।"

इस बात से असहमति व्यक्त नहीं की जा सकती कि दाराशिकोह की हत्या और औरंगजेब की तख्तनशीनी से इस आंदोलन को बड़ा धक्का पहुँचा। किन्तु यह भी एक सच्चाई है कि आंदोलन बेजान नही हुआ और इसकी आत्मा बराबर सक्रिय रही। योगियों और बैरागियों का बराबर असर बना रहा। मुहम्मद शाह (निधन 1748 ई0) सूफियों और बैरागियों का सत्संग करता था और उनकी शिक्षाओं में पूरी रूचि लेता था। अतं में वह शिवनारायण की परम्परा के एक योगी स्वामी नारायण सिंह का मुरीद हो गया था। स्वामी नारायण सिंह एक ब्रह्म की सत्ता के उपासक थे और हर संप्रदाय के लोगो को शिष्य बना लेते थे। उठारहवीं शताब्दी में कई दरवेशों के धर्मोपदेशों में योगियों का प्रभाव लक्षित होता है। सैयद अब्दुल अली "उजलत" ने दाढ़ी और भौंहें मुंडवा कर योगियों का वेष धारण कर लिया था। भगवानदास मेंहंदी ने मिर्जा गरामी के बारे में लिखा है। "उन्होनें व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण अपना लिखा था। उनकी बाहरी वेशभूषा सूफियों और शेखों की भॉति की लेकिन भारत के सन्यासियों की भांति जीवन बिताते थे। दाढ़ी और भौंहो को तिलांजले दे दी और हर धर्म व सम्प्रदाय के लोगो से बड़े उत्साह के साथ मिलते–जुलते थे।"

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के सहित्य में इस आध्यात्मिक समता और एकरूपता के प्रबल भाव दृष्टिगत होते है और हिन्दू व मुसलमान इस एकता और समन्वय के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते है। इस गतिविधियों ने अब एक जन–आंदोलन का रूप ले लिया था। इस सिलसिले में मिर्जा मजहर जान जानां की कृति मत्लूब चहक दहम' को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इस कृति में मुसलमानों की धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक निष्पक्षता का जिस रूप में जिक्र किया गया है इसे देखकर कहा जा सकता है कि यह दाराशिकोह की विचारधारा का ही विकास है।

मिर्जा मजहर से प्रश्न किया गया कि क्या हिन्दुस्तान के काफिर अरब मुश्रिकों की तरह अपना बेअसल दीन रखते है। या इस दीन की कोई असत्ता थी और अब खारिज हो गयी? दीगर इन लोगो के बुजुर्गो के हक में कैसा बर्ताव रखना चाहिए। मिर्जा मजहर ने उत्तर में कहा "यह ध्यान में रखे कि भारत की प्राचीन पुस्तकों से जो कुछ मालूम होता है वह यह है कि धरती पर मानव के जन्म के आरम्भ में उसे आचार–व्यवहार सिखाने के लिए ईश्वर ने एक फरिश्ता (देवता) ब्रह्म ने माध्यम से 'वेद' को उतारा, जिसके

चार अंग हैं। ब्रह्म को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। इन चार वेदों में भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है। उस युग में ऋषियों ने इस वेद से छह आचार–संहिताएं बनाई। इन्हे धर्मशास्त्र कहते है। इसी प्रकार ऋषियों ने चार वर्गो की व्यवस्था की। हर वर्ग की आचरण पद्धति निर्धारित की। कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। इसे कार्मशास्त्र कहा गया अर्थात् फन–ए–अम्लियात जिसे इल्म–ए–फिक्हा कहते हैं। ये लोग वेदोत्त आदेश के अलावा और कुछ नहीं मानते, लेकिन समय के साथ–साथ परिवर्तन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसलिए इन लोगो ने काल को चार युगों मे बांटा और हर युग की विशेषताएं उन्होने चार वर्णो से ग्रहण की है। इसके बाद परवर्ती चिंतकों ने जो अवधारणाएं प्रस्तुत की है, वे विश्वसनीय नहीं है इनके सभी संप्रदाय ईश्वर की एक सत्ता के विषय को लेकर सहमत है। जगत को ब्रह्म स्वीकार करते है। संसार की नाशवानता, पाप–पुण्य और कर्म फल में विश्वास रखते है। इनके पास सद् असद् का विवेक और दिव्य–दृष्टि है। तथा ब्रह्म ज्ञान तक अपनी पहुँच रखते है। इनकी मूर्ति पूजा का कारण शिर्क नहीं, बल्कि इसके कारण दूसरे है।

"इनके धर्मशात्रियों ने मनुष्य की आयु को चार भागों में बांटकर देखा है। इसे आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्जन के लिए, गृहस्थ सांसारिकता के लिए, तीसरा वानप्रस्थ धर्म और संस्कृति के चिंतन के लिए और चौथा सन्यास एकांक में उपासना के लिए है। यह आश्रय मनुष्य का सर्वोच्च पद है। मोक्ष का संबन्ध इसी से है। उनके धर्म के आचार–विचारों में एक उच्च कोटि की व्यवस्था है, जिससे मालूम होता है कि यह धर्म एक नियम और अनुशासन के तहत विकसित हुआ था लेकिन फिर अपने मूल से कट गया। हमारी शरण में यहूद और नसारी के दीन को खारिज करने के सिवा किसी और दीन को खारिज करने का जिक्र नहीं है। हालांकि इनके अतिरिक्त बहुत से दीन खारिज कर दिये गये और कई दोनो का संसार से अस्तित्व मिट गया। निम्नलिखित आयतों में स्पष्ट रूप से कहा है कि–

व इम् मिन उम्मतिन इल्ला ख्ला फी हा नजीर
अर्थात् हर एक समुदाय का नबी गुजरा है।
व लि कुल्लि उम्मतिन रसूलुन
अर्थात् हर एक उम्मत का रसूल होता है।

"भारत की धरती पर भी रसूल भेजे गये। पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। उनके क्रियाकलापों से जाहिर होता है। कि उन्होनें चमत्कारी पुरुष के लिए किसी तरह की कमी नहीं बरती, उसे सब कुछ समय से अंतिम पैगम्बर सललल्लाह अलेह वसल्लम के आगमन से पहले रह एक जाति में अपने युग का पैगम्बर होता रहा है। जिसके द्वारा बताए मार्ग पर चलना उस जाति के लोगो के लिए अनिवार्य होता था और दूसरी कौम के नबी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जब से हमारे खातिक उल मरसलीन सललल्लाह अलेक वसल्लम भेजे गए है। तब से लेकर जब तक दुनिया बाकी है कोई और नबी न होगा। "कससना अलैक व मिन हुअ मल्लम नक्सुस अलैक" (अर्थात् इनमें से बाज का हाल तुम्हारे रू–ब–रू बयान किया और बाज का नही।)

"जब हमारी शरियत बहुत से अंबिया के विषय में मौन है तो हमको भी हिन्दुस्तान के अंबियाओं (अवतारों) के विषय में मौन ही रहना चाहिए। न हमें उनके धर्म के प्रतिपादकों के बताए मार्ग पर ईमान लाना वाजिब है और न उनके मोक्ष सम्बन्धी सिद्धान्त में विश्वास रखना जरूरी है लेकिन यदि धार्मिक पक्षपात न हो तो नेक गुमान जरूर करना चाहिए।

अहल–ए–फारस बल्कि अतीत की सभी उम्मतों, जो अंतिम पैगम्बर के आगमन से पहले गुजर चुकी

है और जिनके विषय में शरअ में कुछ वयान नहीं किया गया तथा जिनके आचार–विचार समान और मिलते जुलते है। उन पर इस किस्म का विश्वास रखना बेहतर है। किसी को बिना किसी उचित तर्क के काफिर नहीं कह देना चाहिए। इनकी (भारतीय की) मूर्ति पूजा की सच्चाई यह है कि कई फरिश्ते (अवतार) जो ईश्वर के आदेश से लोक मे प्रतिष्ठा पर लेते हैं। कई तत्व चिंतकों की आत्मा जो शरीर से मुक्त होकर उच्च पद प्राप्त कर लेता है। या कुछ जीवित व्यक्ति जो अपने 'अहं' मे हजरत खिज्र अलेह असमलाम की भांति अनंत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रखेगे–ये भारतीय लोग उन फरिश्तों की मूर्तियां या चित्र बनाकर उनकी पूजा करते है और ध्यान करते है। इस ध्यान के जरिए एक समय के बाद वे ईश्वर से निकटता बना लेते है और इस प्रकार अपने जीवन की आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करते है। उनका यह आचरण इस्लामी सूफियों के बहुत कुछ मिलता–जुलता है। जिससे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इंतर केवल इतना है कि सूफी लोग शेख की बाह्य आकृति की कल्पना नहीं करते। लेकिन यह बात अरब के काफियों के विश्वास से समानता हनीं रखती क्योकि वे मूर्ति को चमत्कारी और सर्वसत्तावान मानते है। उसे मानते है। उसे ईश्वर के चमत्कार का निर्मित्त नहीं मानते बल्कि जमीन का खुदा मानते थे और उल्लाह ताला को आसमान का खुदा। मगर यह शिरक है। इन (भारतीय) लोगो को असजदा–ए–अबूदियत नहीं बल्कि सजादा–ए–तहियत है। जोकि उनके तरीके में माँ–बाप, पीर ओर उस्ताद के सलाम के लिए भी आम हैं, जिसे दंडवत् कहते है। तनासुख पर यकीन रखने से कुफ्र ताजिम नहीं आता, वस्मलाम।

मिर्जा मजहर जान जानां के इस पत्र के अनुसार ऐसा महसूस होता है कि यद्यपि दाराशिकोह का इस दुनिया से अस्तित्व मिट चुका था। लेकिन उसकी आत्मा अब भी सक्रिय थी और मिर्जा मजहर के विचारों में दाराशिकोह के विचारों की अनुगूंज सुनाई देती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मिर्जा महहर ने दाराशिकोह ने 'सिर्रे'–अकबर का अध्ययन किया होगा क्योंकि उनकी सोच और अभिव्यक्ति का ढंग वही है जिसकी ओर दाराशिकोह ने 'सिर्रे अकबर' की भूमिका में संकेत किया है यदि मिर्जा मजहर के इस पत्र को दाराशिकोह के नाम से जोड़ दिया जाए तो किसी को इस बात को गुमान भी नहीं हो सकता कि यह पत्र किसी अन्य लेखक किया है। उन्होंने तसव्वुर–ए–शेख के फलसफे और मूर्तिपूजा में समानता महसूस की है और मूर्ति के सामने सजदे का सजादा–ए अबूदियत के बजाए सजादा–ए तहियत साबित किया है।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि मिर्जा मजहर के मतानुसार पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास रखने वालों को काफिर नहीं कहा जा सकता।

मिर्जा मजरह के अलावा दूसरे बहुत से प्रबुद्ध मुसलमानों की दृष्टि में मूर्ति पूजा को उपेक्षणीय नही समझा जाता था। उस दौर के साहित्य मे हम मूर्तिपूजा की निंदा का भाव नहीं पाते क्योंकि वे लोग वाह्य कर्मकांडों और संस्कारों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे बल्कि इन कर्मकांडों के मूल में निहित भावनाओं का आदर करते थे।

'जोशस' ने बुत परस्ती को हक परस्ती का मर्तबा दिया है–

चश्म–ए–वहदत से गर कोई देखे

बुत परस्ती भी हक परस्ती है

वाकिफ लाहौरी ने हर जाति व धर्म के लोगो के साथ बिना किसी धार्मिक भेद–भाव के मिलने–जुलने और उनके सत्संग से लाभान्वित होने का आग्रह किया है–

नैक सुहबत कर कौम चशीदन दारद

जौक पैदार कुन औ गबरू मुसलमान बनशी

कुफ्र और इस्लाम से मुताल्लिफ चंद शेर और देखिए–

कोई तस्बीर और जन्नार के झगड़े में मत बोलो
ये दोनों एक है आपस में इनके बीच रिश्ता है
–ताज्जिकरा–ए–गुलशन–ए–हिंद,

दैर–ओ–काबा पर ही क्यों मौकूफ भोख और बरहमन
कौन सी जां है जहां जलवा नहीं अल्लाह का
–ताज्किरा–ए–गुलशन–ए–हिन्द

कुफ्र–ओ–इस्लाम की न कर तकरार
दोनों यकसां है चश्म–ए–बीना में **–जोशन**

वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है
मुरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को **–गालिब**

धार्मिक भिन्नताओं के विषय में मिर्जा सदरउद्दीन इरफहानी ने लाला मुक्ता प्रसाद से कहा–

"जनाब वाला को यह बात मालूम है कि मेरा मजहब सुफियाना है। मुझे यह नहीं मालूम कि हिन्दू में क्या बुराई है और मुसलमान में क्या अच्छाई है। दोनो खुदा के बंदे और आरिफ के नूर–ए–चश्म है। दुनिया से गुजरना पानी पर बुलबुले के समान है। आखिर सब को उसी खुदा ताला के पास वापस जाना है। लिहाजा उम्र जैद से बेहतर है या जैद उम्र से यह झगड़ा भाईयों के दरम्यान नहीं उठाना चाहिए।"

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के सूफी संत और मुसलमान हिन्दुओं के देवताओं का बड़ा आदर करते थे और विशेष रुप से राम और कृष्ण को अंविया का दर्जा देते थे। मिर्जा अब्दुल कादिर 'बेदिल' ने अपनी एक नज्म में रामचन्द्रजी की श्रद्धांजलि अर्पित की है। नजीर अकबराबादी ने अपनी नज्मों में कृष्ण भगवान और शिवजी की भक्ति के गीत गाये है। कन्हैया जी की रास, बलदेव जी का मेला, जन्म कन्हैया जी का बालपन बांसुरी बजैया का बांसुरी लहो व लाब कन्हैया, कन्हैया जी की शादी, महादेव जी का व्याह बयान श्री कृष्ण व नरसी अवतार, दुर्गा के दर्शन, भैरों की तारीफ और दशम कथा आदि जन्जें उसके उदाहरण है। नजीर अकबराबादी ने सिखों के पथ–प्रदर्शक, गुरू नानक की भी प्रतुति की है। उनकी शिक्षाओं और उपदेशों की एक कामिल फकीर की हैसियत से बड़ी तारीफ की है।

किसी मुसलमान ने शाह अब्दुल अजीत से हिन्दुओं से स्रष्टा का नाम पता किया तो उन्होंने उत्तर मे कहा, "अलख और परमेश्वर और दूसरा कोई नाम इसकी विशेषताओं के अनुरूप हो सकता है। "इसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा, "क्या हम उपयुक्त नामों से अल्लाह को मुखातिब कर सकते हैं। शाह साहब ने कहा, "इसमें कोई नुकसान नहीं है।"

राजा छत्रसाल इस्लाम और उसके प्रवर्तक आन हजरत सल्लल्लाहे–अलेह वसल्लम के प्रति गहन श्रद्धा रखता था। वह कुरान शरीफ का उतना ही सम्मान करता था जितना कि वेद और पुराणों का। उसके दरबार में एक तरफ ऊँची चौकी पर पुराण और दूसरी तरफ कुरान रखी रहती थी। जिस तरफ कुरान रखा जाता था उस तरफ उल्मा और दूसरी तरफ ब्राह्मण बैठते थे और उसकी मौजूदगी में धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। इस प्रकार वह दोनो धर्मो की शिक्षाओं से लाभान्वित होता था। विशेषतः तौहीद के विषय परी विचार–विमर्श होता था। अपनी रचनाओं में छत्रसाल ने हजरत मुहम्मद साहब की बड़ी प्रशंसा की है। उसके मुसलमानो दरवारी राजा की मौजूदगी में "या मुहम्मद रसूल अल्लहा" की पुकार लगाते थे और

कभी–कभी राजा भी उनके साथ चर्चा में शरीक जो जाया करता था और बुलंद आवाज के साथ इन शब्दों को दोहराता था।

शीतलदास 'मुख्तार' के मन में हजरत अली और उनकी संतान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसने शाह–ए–नजफ (हजरत अली) को खिराजे–अकीदत पेश की है।

भगवान दास 'हिन्दी' भी हजरत मुहम्द में आस्था रखता था। उसने सैयद खैरात अली को फर्माइश पर 'सवानह–उल–नबूत' लिखी थी जिसमें हजरत मुहम्मद और वारह इमामों के जीवन–वृत्त का वर्णन किया गया है। 'कसीदा मुश्किल–ए–आसान' में भगवान दास ने आन हजरत की कठिनाइयां दूर करने की प्रार्थना की है।

उसने बाहर इमामों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। 'कसीदा शोल बार दर मुन्कबत हैदर कर्रार साहब जुल्फिकरा अलेह अस्सलाम' में उसने हजरत अली की तेग की प्रशंसा की है। बाल मुकंद 'शुहूद' इस्लाम के एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था रखता था और उस पर आचरण भी करता था। इसलिए उसने अपना 'शुहूद' (साक्षीगण) तखल्लुस रखा था। शायरी में सिराजुद्दीन खां 'आरजू' का शागिर्द था और उनसे अपनी रचनाओं का संशोधन कराता था।

धार्मिक विभेद के बारे में दुर्गादास का यह मत उल्लेखनीय है–

"सभी धर्मो और मार्गो का मंतव्य एक ही मरम सत्ता है जो सारी सृष्टि का निर्माण करने वाली है और वर्ग एवं समुदाय ही पालनहार है यह उस सत्ता का कौशल है कि उसने हर धर्म के लिए उसके अनुरूप एक विधि–विधान निश्चित कर दिया है। और हरेक के लिए लिए विशेष प्रकार के नियम बनाए हैं। जिस तरह दुनिया के बागों में तरह–तरह के वृक्षों और रंग–बिरंगे फूलों की शोभा होती है उसी तरह उसने विभिन्न धर्मो और मार्गो के माध्यम से मनुष्य के हृदय में अपनी विद्यमानता प्रदर्शित की है।

अगर मस्जिद है तो उसकी याद में अजान दी जाती है अगर देवालय है तो उसकी याद में शंख बजाया जाता है।

"मेरी समझ में नहीं आता कि यह कुफ्र और दीन का झगड़ा क्या हैं? सच्चाई तो यह है कि एक ही चिराग से काबा व बुतखाना दोनो रोशन है। इस हालत में मुनष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय की कालिमा दूर कर दे और हर धर्म और संप्रदाय के लोगो के साथ भाइयों का–सा–बर्ताव करें। भेद–भाव के काटों भरे स्थान से अपने–आपको दूर करके एकता के सवर्गोधान में निवास करे। जैसा कि कहा गया है–'आ सादय–ए दो गेती तफ्सीर ई दो हर्फ अस्त बादोस्तान तलत्तुफ बाद समनान मदारा अर्थात् दोनो लोको का सुख इन दो हर्फो पर निर्भर करता है कि दोस्तो के साथ मेरहबानी और दुश्मनों के साथ अपनापन और जब किसी धार्मिक पूजा स्थल पर पहुँचे तो उसका आदर करें और जब किसी धर्म के वयोवृद्ध व्यक्ति की सेवा में जाए तो उसके आदर–सम्मान के कोई कमी न रखें, धार्मिक मामलों में किसी से अनावश्यक जिरह न करें और इस व्यर्थ के झगड़ों से सम्बन्ध जोड़कर परायेपन को पैदा न करे।"

उस जमाने में हिन्दू शायरों के कलाम में एक व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण मिलता है और धार्मिक भेद–भाव से उदासीनता को प्रवृत्ति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए–

वही इक रेस्मा है जिसको हम तुम तार कहते हैं
कहीं तस्बीह का रिश्ता कहीं जुन्नार कहते हैं
अगर जवला नहीं है कुफ्र का इस्लाम में जाहिर
सुलेमानी के खत को देख क्यूं जुन्नार कहते हैं

नहीं मालूम क्या हिकमत हे भोख इस आफरीनिश
हमें ऐसा खराबाती किया, तुजको मुनाजाती।

सूफी संत और हिन्दू –

सूफी संत बिना किसी धार्मिक पक्षपात और भेद–भाव के हिन्दुओं को अध्यात्म की शिक्षा प्रदान करते थे और उन्हें मुरीद भी कर लिया करते थे। उन सूफियों के सद्‌गुणों, सदाशयता और सद्‌व्यवहार से प्रभावित होकर बहुत से हिन्दुओं ने इस्लाम कुबूलकर लिया था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग ते जो अपने सगे–संबंधियों के भय के कारण इस बात का एलान नहीं करते थे। बल्कि दिल से मुसलमान हो चुके थे। जैसा कि कुंवर प्रेम किशोर 'फराकी' के पिता के बारे में कहा जाता है कि उन्होने कुदरत उल्लाह कासिम को इस बात की सूचना दी थी कि से दिल से मुसलमान हो चुके है। सूफी संत किसी गैर मुस्लिम को इस बात के लिए विवश नहीं करते थे कि वह मुरीद बनने से पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार करें।

शाह कलीम उल्लाह देहलवी ने एक पत्र में अपने खलीफा निजामुद्‌दीन औरंगाबादी को लिखा था–

"भैया दयाराम और दूसरे बहुत से हिन्दू इस्लाम के दायरे में आ गये है लेकिन इन बात को वे अपने कुटुंब के लोगो के सामने जाहिर नहीं करते। मेरे भाई इस बात की सावधानी बरते कि धीरे–धीरे यह सशक्त भाव अतंरात्मा से ही प्रस्फुटित हो।"

एक दूसरे पत्र से मालूम होता है कि दया राम का इस्लामी नाम फैज उल्लाह रखा गया था। यह नाम शाह कलीम उल्लाह ने रखा था। आम तौर पर बहुत–से हिन्दू शाह अब्दुल रज्जाक "बांसवी" के श्रद्धालु थे लेकिन परसराम के अलावा एक महिला ने उनसे विधिवत दीक्षा ली थी। शाह साहब ने बड़े स्नेह के साथ उसे आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। इसका असर यह हुआ कि रमजान के महीने में वह महिला अपने माता–पिता के घर से शाह साहब की खानकाह में चली जाती थी और पूजा महीना रोजा रखती और इबादत करती थी। वह एतिफाक मे भी बैठा करती थी।

हजरत शाह अल मुहम्मद बिन शाह बरकत उल्लाह के कई हिन्दू मुरीद थे। उनमें से जैन वैरागी किशनदास और शामी 'सामी' के नाम उल्लेखनीय है। शाह साहब के समाज सुधार के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि न सिर्फ बहुत–से हिन्दू इस्लाम के अनुयायी हो गए बल्कि मजहबी कामों में भी आगे–आगे रहने लगें मीर हम्जा का यह कथन दृष्टव्य है–"हरेक शहर, हर घर और कर कूचे में खुदा का नाम लेने और इस बात का जुस्तजू करने के अलावा औरतों और मर्दो को कोई काम न था। हिन्दू और साहूकार लोग अपने मकानों पर उर्स के जलसे आयोजित करते थे और मेल–जोल से आनन्द की अनुभूति करते थे।"

कहा जाता है कि एक बार नवाब आसिफुदौला का नायब हैदर बेग जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया था और उसे मौत के मुँह से बचाना चाहता था, शाह नूर उल्लाह की सेवा में एक मेहता नामक व्यक्ति भेजकर उसके जीवन के लिए दुआ करने की प्रार्थना की थी। राजा नूर उल्लाह के प्रति बड़ी आस्था रखता था। देशनाथ सिंह ख्वाजा मीर 'दर्द' के श्रद्धालुओं में से थे। मियां हिदायत उल्लाह मीर 'दर्द' के शगिर्द थे और उनसे धार्मिक शिक्षा प्राप्त किया हुए थे उदासीन जीवन व्यतीत करते थे। किसी का भेजा हुआ उपहार स्वीकार नहीं करते थे किन्तु लाला सबदराय "पेशकार खालिसा" आपकी सेवा में जो भी नजराना भेजा करता था। मियां हिदायतुल्ला कृपापूर्वक उसे स्वीकार कर लेते थे। इसी प्रकार एक हिन्दू, शाह वही उल्लाह के पिता शाह अब्दूर्रहीम के उपदेश की सभाओं में हाजिर हुआ करता था।

सूफी संतो के मजारों पर हिन्दू भी बड़ी श्रद्धा के साथ जाया करते थे और यह परंपरा अब तक चल रही है। वे

लोग शिष्टाचार को निभाने में मुसलमानों से भी बाजी ले जाने की कोशिश करते थे। दरगाह कुली खान का बयान है–

"मुसलमान और हिन्दू दोनों शिष्टाचार को निभाने में एक जैसे है।"

उसकी श्रद्धा का रूप यह था कि सूफी संता के मजारों पर सेवा–कर्म करने को वे मोक्ष प्राप्ति के समान महसूस करते थे। शाह शमशुद्दीन दीवालपुरी के मजार पर एक हिन्दू परिवार बरसों से सेवा कार्य करता चला आ रहा था।

आनन्द राम 'मुखलिस' की श्रद्धा का रूप यह था कि वह न सिर्फ उर्सो में शरीक होता था बल्कि जब कभी वह भारी विपत्ति में पड़ जाता था तो वह सहायता की याचना के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया और कुतबद्दीन बख्तियार 'काफी' की मजारों पर हाजिरी दिया करता था और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। खान और जू मोहम्मद कुली खान के साथ वह शाहमदार के उर्स में शरीक हुआ करता था। बिंदरावन कायस्थ अपनी अगाध श्रद्धा के कारण प्रायः शाह मदार की मजार पर जाया करता था। सूबा सिंध के खैरपुर निवासी हिन्दुओं की मजारों में आस्था का जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा है कि, "वे लोग मुसलमानों सूफियों की मजारों पर जाते है और नजर–ओ–नियाज' चढ़ाते है।"

खैरपुर में तक साथ–साथ रहने का परिणाम यह हुआ कि हिन्दू–मुस्लिम दोनों हाजिर होकर नजर चढ़ाते थे और मन्नते मांगते थे।"

सामाजिक सम्बन्ध

लम्बे समय तक साथ–साथ रहने का परिणाम यह हुआ हिन्दू और मुसलमानों के बाह्य जीवन में अंतर की कोई रेखा शेष न रही और वे एक दूसरे के सामाजिक जीवन में बराबर के भागीदारी हो गये। वे एक दूसरे के त्यौहारों और शादी–व्याह के आयोजनों में बड़े हर्षोल्लास से सम्मिलित होते थे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत बड़ी तादाद में हिन्दुओं ने इस्लाम कुबूल कर लिया था। कदाचित ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक परिवार के सब के सब सदस्यों ने एक साथ धर्मातरण किया हो। ऐसा नहीं है कि किसी परिवार के एक व्यक्ति ने यदि ने यदि इस्लाम कुबूल कर लिया हो तो उसने अपने शेष परिवारजनों से एकदम सम्बन्ध विच्छेद कर लिया हो। वह अपने परिवारजनों से अपना मेल–जोल और सम्बन्ध जरूर बनाए रखता होगा और पारिवारिक रीति–रिवाजों के संपन्न करने में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं दिखाता होगा क्योंकि इस्लाम के अनुयायी होने का अर्थ यह था कि वह अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आए। रोजा, नमाज, हज और जकात को अदा करें। ऐसा न था कि उसे इस बात पर भी मजबूर किया जाता हो कि वह अपनी पुरानी रीतियों का परित्याग कर दे और अपने कुटुंब के दूसरे लोगों से सम्बन्ध–विच्छेद कर ले। आजकल भी ऐसी मिसालें मिलती हैं मसलन कोई मुस्लिम लड़की अगर किसी हिन्दू से या कोई हिन्दू लड़की किसी मुस्लिम से शादी कर लेती है तो दोनों को इस बात की आजादी होती है कि अपने धर्म की रीतियों का पालन करते रहें। इसके साथ ही लड़का और लड़की अपने परिवारजनों से मोल–जोल भी बरकरार रखते हैं और धार्मिक व सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित भी होते रहते हैं।

लखनऊ मे अष्टमी का मेला लगता था। इस मेले में मुसलमान स्त्री–पुरुष सम्मिलित होते थे। मिसेज मीन हसन अली ने लिखा है।–

"एक दिन तीसरे पहर लखनऊ मेला लगा हुआ था। इस मेले में मुल्क के हर तबके और हर कौम के लोग शरीक थे, हालांकि यह मेला विशेष रूप से हिन्दुओं का था।"

एक बड़ी तादाद में दिल्ली के मुसलमान गढ़–मुक्तेश्वर के मेले में शिरकत के लिए जाया करते थे। वहाँ के गंगा तट के मैदानों में तंबू लगा लेते थे। स्त्री–पुरूष नौका बिहार का आनन्द उठाते थे। इस मेले के दिनों में आनन्द राम मुखलिस के साथ अक्सर शरफुद्दीन "पयाम" भी जाया करते थे। दिल्ली में कालकाजी का मेला होता था और वर्तमान समय में भी होता है। इस मेले में मुसलमानों की शिरकत के बारे में गुलाम अली नकबी में लिखा है, "हालाकि यह जमानव हिन्दुओं का होता है लेकिन मुसलमान लोग भी मनोरंजन के लिए यहाँ आया करते हैं।"

दिल्ली मे कैलाश के मेले में मुसलमानों की भागीदारी का उल्लेख अनेक पुस्तकों में मिलता है। शाह अब्दुल रज्जाक बांसवी जन्माष्टमी के मेले में शामिल हुआ करते थे।

ऊपर के हवालों से यह बात जाहिर होती है कि मनोरंजन के उद्देश्य से आम लोग हिन्दुओं के मेले–ठेलों में शिरकत करते होगे और उनके त्यौहारों को बाद में खुद भी मनाने लगे होंगे।

इस प्रकार हिन्दू भी मुसलमानों के त्यौहारों में शिरकत करते थे और अपने घरों में उनकी रस्में भी अदा करते थे। मिर्जा ने राजा रामना 'जर्रा' के बारे में लिखा है कि वह मुहर्रम मनाया करता था। आशूरा के दिनों में वह करा लिबास पहनता था। प्याऊ लगवाता, गरीबों और अनाथों को भोजन वितरित करता था। किला–ए–मुअल्ला (दिल्ली का लालकिला) तक मेंहदी का जुलूस ले जाया करता था। मुहर्रम के अलावा मिर्जा राजारामनाथ 'जर्रा' याजदहम (ग्यारहवीं शरीफ) की मजलिस भी करता और इससे संबंधित रस्में भी अदा करता था। लाला बालमुकुन्द अपनी आस्था की दृष्टि से कादरी परम्परा का मुरीद था। ग्यारहवीं शरीफ की मजलिस बड़ी ही धूम–धाम से की जाती थी। जीवन के अंतिम समय में अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण एक साल वह इस नियम का पालन नहीं कर सका। कहा जाता है कि इस विवशता के कारण वह जोर–जोर से रोता था और उसकी जबान से यही शब्द निकलते थे–"अब मेरी जिन्दगी का पैमाना लबरेज हो चुका है।" और सचमुच हुआ भी ऐसा ही, उसी साल उसका निधन हो गया।

जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी हिन्दू व मुसलमानों के सम्बन्ध बड़े आत्मीयतापूर्ण थे। दिल्ली पर आए दिन मराठों, जाटों सिखो, रूहेलों और अब्दालियों के हमलों के बादल मंडराते रहते। दिल्ली के निवासी अपना सिर छुपाने के लिए दर–दर और शहर–शहर की ठोकरें खाते फिरते थे। इस दरिद्रता और विपत्ति की स्थिति में 'मुसहफी' जब लखनऊ पहुँच तो वे कई महीनों तक लाल कांजीमल के यहाँ अतिथि बनकर रहे और आतिथेय ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। राजा युगल किशोर ने कई मौकों पर 'मीर' की सहायता की थी।

आनन्द राम मुखलिस ने स्वभाव और गुणों के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए मौलवी इम्तियाज अली खाँ अर्शी ने लिखा है 'पहले तो पीढ़ियों से मुसलमान उमराव की मुलाजिमत, फिर उस पर हजरत बेदिल की सोहबत और दरवेशी का रंग उस पर ऐसा छाया कि हर तहरीर में साफ–साफ इसकी झलक देख ली। हालांकि मुखलिए अपने नियम–धर्म का पाबंद था। गंगा में स्नान करते के बाद उसने कभी मांसाहार नहीं किया और यात्रा के दौरान पालन करता रहा। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और अपने मित्रो के प्रति आत्मीयता उसके स्वभाव के कूट–कूट कर भरी हुई थी। वह जिस सम्मान के साथ अपने मुस्लिम साथियों का जिक्र करता है, वह अपने आपमें एक मिसाल है।

मीर निजामुद्दीन खाँ को "बिरादर अजीजुल कदर" के उपनाम से याद करता हैं। मोहम्मद जान दीवाना से उसके तीस वर्ष पुराने सम्बन्ध थे ओर वह इस बात पर गर्व करता था। मोहम्मद जान दीवाना की मृत्यु पर मुखलिस ने खून के ऑसू बहाए थे और बार–बार उसकी जबान से यही शब्द निकलते थे–''अब

मुझे ऐसा दोस्त जिंदगी में दोबारा कहाँ से मिल सकेगा।"

खान आरजू मुखलिस के उस्ताद थे और तीस साल तक उनके बीच बड़े गहरे और मधुर सम्बन्ध रहे। मुखलिस ने जो पत्र खान आरजू को लिखे है, उसने मुखलिस के खुलूस और मोहब्बत का पता चलता है। हमेशा उसे खान आरजू के पत्रों की प्रतीक्षा रहती थी।

नौकरियाँ-

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मुगल काल में हिन्दू और मुसलमान बादशाहों और सामंतो के यहाँ मुसलमानों की नौकरियाँ मिली हुई थी। जब उन पर कोई विपत्ति आ जाती या उन्हें आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता तो वे एक दूसरे की बड़ी खुशी के साथ सहायता करते थे। अत एव खान आरजू, मुखलिस के आश्रित थे। मुखलिस के प्रयासों से ही उन्हें दरवार में मंसब और जागीर मिली थी। राजा जुगल किशोर और दूसरे हिन्दुओं ने 'मीर' को अनेक बार आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जब अशरफ अली खान 'फुगा' आर्थिक कष्ट में पड़ गया तो वह अजीमाबाद जाकर राजा शिताबराय की सेवा में हाजिर हुआ। राजा ने पुरानी मित्रता का ध्यान रखते हुए उसे एक सम्मानित पद पर आसीन कर दिया। शाह कमालउद्दीन हुसैनी 'कमाल' सूफियाना जिंदगी वसर करते थे और राजा हुलास राय के दरवार से जुडे हुए थे। इतिहास की पुस्तकों में ऐसे सैकड़ो उदाहरण मिलते है।

जहाँ तक हिन्दुओं का सवाल है वे भी बड़ी निष्ठा और रूचि के साथ मुसलमानों के यहाँ नौकरी करते थे। मालियत (संपत्ति) के विभाग में प्रायः हिन्दू की मुलाजिम होते थे। इसके अलावा दूसरे विभागों में भी उनका वर्चस्य था। अठारहवीं शताब्दी में कई हिन्दू उच्च पदों पर नियुक्त थे। मिसाल के तौर पर रतनचन्द, कुतुबुल्मुल्क अब्दुल्लाह खॉ का दीवान था और कुतुबुल्मुल्क को उस पर इतना भरोसा था कि उसने हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में सौप दी थी। आनन्द राम मुखलिस, एतमादृद्दौला कमरूद्दीन खॉ के यहाँ वकील के पद पर सेवारत था। गुलाबराय, अमीर उलउमरी नजीबुद्दौला का दीवान था।

'असम' ने लिखा है कि सूबा बंगाल के तमाम अहम और गैर अहम ओहदों पर हिन्दू काबिज थे और मुल्क के सियासत की बागडोर उनके हाथ में पहुँच चुकी थी। बंगाल के हाकिम उनकी सहायता के बिना वहाँ हुकुमत नहीं कर सकते थे। कई मौकों पर उन्हें जगत सेठ जैसे मालदार हिन्दुओं से आर्थिक सहायता लेनी पड़ी थी।

शाह आलम द्वितीय (निधन 1806 ई0) के युग में मुगल दरबार के तमाम महत्वपूर्ण पदो पर हिन्दुओं का अधिकार था और शाह आलम ने माधव राव सिंधिया उर्फ 'पटेल' को मुख्तार–उल–सल्तनत के अति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था और उसे 'फरजंद अरजंद' कहकर संबोधित करता था। इस प्रकार उसने समूचे भारत की हुकुतम की बागड़ोर उसके हाथ सौंप दी थी। एक अवसर पर शाह आलम ने 'पटेल' से कहा "माबदौलत को मुहालों से कोई सरोकार नहीं है कि तीन सालों की खुशी और हंगामा परवाजों की वजह से अच्छी वसूलयावी नहीं हुई है। मुल्क जाने और तुम जानों, मुझे तो नकद की जर चाहिए।"

इस विवशता की मनः स्थिति में शाह आलम ने पटेल को संबोधित करके यह शेर पढ़ा था–

मुल्क माल सब खोय कर पड़े तुम्हारे बस,
माधौ ऐसी कीजियों आवे तुमको जस

शादी -ब्याह-

जैसा कि हमें मालूम है अकबर बादशाह ने राजपूत घरानों में परस्पर आदान–प्रदान की परम्परा डाली। मुगल खानदान के शहजादों की शादियाँ हिन्दू परिवारों में होती रही है। अठारहवीं शताब्दी में फर्रूखसियर बादशाह ने राजा अजीत सिंह की लड़की से हिन्दू रीति के अनुसार विवाह किया था। इस बात का हमे विस्तृत ब्यौरा नहीं मिलता कि आम–मुसलमान और हिन्दुओं का इस बारें में क्या रूझान था लेकिन कुछ ऐसी मिसालें भी मिज जाती है कि हिन्दू लड़की और मुसलमाना लड़के में शादी होती रही थी। सिराजुद्दीन खाँ 'सिराज' एक हिन्दू लड़की पर मोहित हो गया था। जब उस लड़की के माता–पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होने सहर्ष उससे अपनी लड़की का विवाह कर दिया। आज के दौर में मुसलमान लड़कियों और हिन्दू लड़कों में भी शादियाँ होने लगी है।

इन तमाम बातों का दूरगामी परिणाम यह हुआ कि हिन्दू और मुसलमानों में बड़ी सीमा तक धार्मिक भेद–भाव दूर हो गया और दोनों जातियाँ एक–दूसरे के साथ भाई–भाई, एक परिवार के सदस्यों की भाँति मिलकर रहने लगी। पटना के बाजार का वर्णन करते हुए 'ट्यूनिंग' ने खिला हैं– " शाम के सात और नौ बजे के बीच बहुत भीड़ थी और इसमें वे लोग शामिल थे जिनका धर्म एक –दूसरे से मेल नहीं खाता था लेकिन जरा सी भी अव्यवस्था देखने में नहीं आई और यही बात समूचे भारत पर लागू होती है, चाहे उस शहर में एक धर्म और संप्रदाय के लोग बहुलसंख्यक ही क्यों न हो।" हिन्दू और मुसलमान एक वर्तन में साथ–साथ खाने में भी परहेज नहीं करते थे। अजफरी ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है।

उपसंहार-

आरंभिक युग में बाहर से मुसलमानों के सतत आगमन ने भारत के शेष दुनिया से सम्बन्ध कायम रखने में बहुत सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप दूसरे देशों की धार्मिक गतिविधियों ने भारत के शिक्षित वर्ग को बहुत प्रभावित किया। मजहबी अदब का एक बड़ा हिस्सा अरबी और फारसी भाषाओं में लिखा गया है। ये दोनो भाषाएं भारतीय के लिए विदेशी थी और इन भाषाओं के अध्ययन के माध्यम से यहाँ के धर्मवेत्ता और विद्वान भारत से बाहर की रचनाओं से परिचित हुए। इन विदेशी प्रभावों से इस प्रकार भारत में इस्लाम को एक प्रांतीय चरित्र अख्तियार नहीं करने दिया। लेकिन आम मुसलमानों और नासमझ नव–मुस्लिमों और उनकी संतानों में और विशेष रूप से उन लोगो में, जो इस्लाम के सांस्कृतिक केन्द्रो से दूर भीतरी इलाकों में रहते थे, पुराने रीति–रिवाज और आचार–व्यवहार का असर बाकी रहा। इन इलाकों में एक मुसलमान और उसके हिन्दू साथी में सिर्फ इतना अंतर पाया जाता थ कि एक का नाम हिन्दूवाना और दूसरे का इस्लामी। नव–मुस्लिम अपने पूर्वजों के आराध्य की उपासना करता रहा और विशेष रूप से अपने गाँवों से जुड़े देवी–देवताओं की पूजा करता रहा, जिनका सम्बन्ध खेती बाड़ीा और बीमारियों से था। वह चेचक की देवी शीतला की पूजा करता था। इसी प्रकार से शादी–ब्याह और त्यौहार की दूसरी रस्मों को भी अदा करते रहे, जिस तरह वे मुसलमान होने से पहले किया करते थे।

इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू रीति–रिवाज और आचार विचारों ने इस्लामी रस्मों–रिवाज को पृष्ठभूमि में डाल दिया और अठारहवीं से उन्नसवीं सदी ईसवी में हम देखते है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के रीति–रिवाज और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सिर्फ नाममात्र का अंतर रह गया।

अठारहवीं शताब्दी ई. में राजनीतिक प्रभुत्व की बागडोर हिन्दुओं के हाथों में चली गयी थी और वे हुकुमत के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। यह भी एक कारण था कि मुसलमानों ने उसका सहयोग और संरक्षण प्राप्त करने के लिए उनकी आस्थाओं और रीति–रिवाजों को अपना लिया था और दूसरे मुसलमानों

को भी उन पर आचरण करने के लिए तैयार किया। याहिया खाँ का कथन है–

"इस जमाने में हिन्दुओं को हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं क्योकि उनमें हर एक ओहदेदार है..... ... मुसलमान उनके प्रभाव के कारण उनका अनुसरण करते है और उनके रीति–रिवाजों का पालन करने की बादशाह को सलाह देते है।"

इस पृष्ठभूमि में हमें मुसलमानों पर हिन्दू संस्कृति के प्रभावों का सविस्तार अध्ययन करना है ताकि यह बात स्पष्ट हो सके कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान इस जमाने में भी एक जैसे है। हिन्दू–मुस्लिम विभेद के इतिहास की शुरूआत अंग्रेजी राज की स्थापना से हुई। इसके साथ ही मौजुदा दौर में भारत के राजनीतिक दलों ने अंग्रेजों की नीतियों को जारी रखकर अपने निहित स्वार्थो को पूरा करने का एक प्रभावशाली तरीका बना लिया। यही कारण है कि देहातों में साम्प्रदायिक विद्वेश की भावना देखने में नही आती। वहाँ का जीवन ऐसा है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित है और रूढ़िवादी सोच इस मार्ग में बाधक प्रतीत होती है। अब यह महामारी धीरे–धीरे इन इलाकों में भी अपने विषैले कीटाणु फैलाने लगी है।

(स्रोत-साझी विरासतः साझा संकल्प-हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धः एक नजर-मुहम्मद उमर)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्माण ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत हुआ है जो एक संवैधानिक विकास है और उसकी जिम्मेदारी सरकार की जगह देश के संसद के प्रति है।

National Human Rights Commission

GPO Complex, Manav Adhikar Bhawan,

C- block, INA, New Delhi - 110023 (INDIA)

अपने आपको इतनी अच्छी तरह तराशो कि तराशा हुआ हीरा भी शरमा जाए – स्वामी विवेकानन्द

उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा)

अधिनियम–2004

"किशोर अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो"

"कानून को चुनौती देने वाला किशोर, एक ऐसा किशोर होता है जिस पर कानून को चुनौती देने का आरोप हो" उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम–2004 की स्थापना कानून विवादित किशोरों और बच्चों की आवश्यकताओं उनके संरक्षण उनकी उचित देखभाल, उनका विकास एवं उनके हितों की रक्षा करते हुए विभिन्न सरकारी व सामाजिक संरथाओं द्वारा उनका पुनर्स्थापना करने के लिए की गयी हैं।

किशोर न्याय बोर्ड क्या है ?

1. कानून विवादित किशोरों से सम्बन्धित मामलों के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड को किशोर न्याय बोर्ड कहते हैं। इस बोर्ड के पैनल में निम्नलिखित शामिल होते है।

- प्रथम श्रेणी का एक मैट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट (जिसे किशोर मुद्दों पर न्यूनतम 7 वर्षो का अनुभव हो।) तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य हैं।

2. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का निलंबन/निष्कासन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है।

- अपने अधिकारों का दुरूपयोग करने पर।
- नैतिकता–हनन का दोषी पाये जाने पर।
- बोर्ड की बैठकों पर लगातार 3 माह तक अनुपस्थित/बोर्ड की वार्षिक कार्यवाही की तीन चौथाई बैठको में अनुपस्थित रहने पर।

प्रक्रियाः–

- कानून विवादित किशोर को बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य (जब बोर्ड कार्यरत न हो) के सामने पेश किया जाता है।
- किशोर बोर्ड अपने किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है। लेकिन केस के निपटारे की अंतिम बैठक में मजिस्ट्रेट सहित दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- बोर्ड का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। बहुमत के अभाव में मजिस्ट्रेट का मत मान्य होता है। केस की पूछताछ 4 माह में पूरी हो जानी चाहिए।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले आदेशः–

- अभिभावक/माता–पिता तथा बच्चे/ किशोर को परामर्श देने का आदेश।
- बच्चे/किशोर को समझा–बुझाकर छोड़ देने का आदेश।
- बच्चों/किशोरों को सामूहिक रूप से परामर्श देने तथा ऐसी अन्य गतिविधियों में भाग लेने तथा सामुदायिक सेवा में भाग लेने की सलाह देने का आदेश।
- यदि किशोर की आयु 14 वर्ष से अधिक है और वह पैसा कमाता है तो उसे आर्थिक दण्ड देने का आदेश।
- अच्छे आचरण के आश्वासन पर छोड़ने का आदेश देना तथा माता–पिता/अभिभावक अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति या संस्थान की देख–रेख में रखने का आदेश।

- विशेष गृह भेजने के आदेश।
- बोर्ड अपील दायर करने का समय समाप्त होने पर अथवा उचित समय के बाद अपराध/दोष संबंधी दस्तावेज हटाने का आदेश।

किशोर न्याय बोर्ड के पास निम्न आदेशों को पारित करने के अधिकार नहीं है–

- मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास/जुर्माना या जमानत न देने के कारण कारावास।
- वयस्कों के समान किशोरों पर दण्ड/दोष लगाना।
- अच्छा आचरण सुनिश्चित करने के लिए जमानत।

याद रखेः–

- किशोर का अपराध कैसा भी जो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
- किशोर को जमानत और बिना जमानत भी रिहा किया जा सकता है।
- किशोर को निम्नलिखित स्थितियों में रिहा किया जा सकता है।
  1. उसके अपराधियों से मिलने की संभावना हो।
  2. उसे किसी प्रकार का नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरा हो,
  3. उसके रिहा होने पर न्याय की संभावनाये समाप्त होने का खतरा हो।
- जमानत पर न छूटे किशोरों को जाँच के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- जितनी जल्दी संभव हो किशोर की गिरफ्तारी की सूचना उसके माता–पिता या अभिभावक को देनी चाहिए।

बाल–गृहों की कार्यशैली में पारदर्शिता होनी चाहिए–

- बाल गृहों के निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जाँच समिति गठित की जानी चाहिए। जाँच समिति में राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति (सी0डब्ल्यू0 सी0) स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं व प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा चुने गये व्यक्तियों तथा संस्थानों को सोशल ऑडिट द्वारा बाल गृहों की गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- बाल गृहों की स्थापना, शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने, किशोरों/बच्चों के पुनर्स्थापना एवं प्रशिक्षण आदि पर सुझाव व सलाह देने के लिए सम्बन्धित सरकारों को केन्द्रीय तथा राजकीय सलाहकार बोर्ड का गठन करना चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका–

1. किशोर न्याय बोर्ड में 2 सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए जिसमे एक महिला का होना अनिवार्य है।
2. सी0डब्ल्यू0सी में सामाजिक कार्यकर्ताओं या स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाना चाहिए एवं उनमें एक महिला का होना अनिवार्य है।
3. राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही बालगृहों की स्थापना करना एवं उनकी देखभाल की जानी चाहिए।
4. सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवी संस्थाओं को उपयुक्त व्यक्तियों/सुरक्षित स्थलों के रूप

में नियुक्त किया जाना चाहिए।

5. चाईल्ड लाइन/स्वंयसेवी संस्था/सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चे/किशोर को सी0 डब्ल्यू0 सी के सामने पेश किया जाना चाहिए।
6. बाल–गृहों को सोशल ऑडिट के लिए स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों/सामाजिक कार्यकर्ताओं को जाँच समितियों में नियुक्त किया जाना चाहिए।
7. केन्द्रीय तथा राज्य बाल सलाहकार बोर्डो में सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

बाल–देखभाल गृहः–

1. बच्चों को अस्थाई रूप से रखने के लिए राज्य सरकार/स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित निरीक्षण गृह, विशेष गृह तथा बाल गृह स्थापित किये जाने चाहिए। इन स्थानों पर जहाँ बच्चों के लिए देख–भाल, सुरक्षा के लिए शरणगृहों (शेल्टर होम) की स्थापना प्रतिष्ठित, सक्षम एवं मान्यता प्राप्त स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिए। यह व्यवस्था थोड़े समय के लिए होगी।
2. राज्य सरकार/स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा 'आफ्टर–केयर संस्था स्थापित की जा सकती है। इस संस्था में बाल–गृह विशेष गृह से छूटकर आये बच्चों/किशोरो को ईमानदारी से जीवन जीने के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी।

गैर–संस्थात्मक देखभालः–

- अनाथ, शोषित, उपेक्षित, परित्यक्त बच्चों के पुनःर्स्थापन के लिए उन्हें गोद भी लिया जा सकता है। किशोर न्याय बोर्ड बच्चों के 'गोद लेने' सम्बन्धित मामलों की जाँच करने तथा उसकी प्रक्रिया को पूर्ण करने सक्षम है।
- गोद लिये जाने वाले नवजात बच्चों की छानबीन व पुनर्स्थापन के लिए उन्हें अस्थाई तौर पर फोस्टर केयर केन्द्र में रखा जाना चाहिए।
- ''स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के तहत् परिवारों, बाल–गृहों तथा विशेष गृहों में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सम्बन्धी।

बच्चे/किशोर के प्रति किये गये अपराधों के लिए दण्ड–

बच्चों के प्रति किये जाने वाले अपराध, संज्ञेय अपराध होते है। बच्चों के प्रति किया गया प्रत्येक अपराध दण्डात्मक होता है, जिसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है और अधिक सजा वाले अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत भी सजा दी जा सकती है।

निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009

मुख्य बिन्दुः

- 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।
- कोई भी स्कूल प्रवेश के समय बच्चे अथवा अभिभावक से किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेगे।
- दाखिला प्राप्त किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले उन्हें विद्यालय से बाहर निकाला जायेगा।
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो कभी विद्यालय नहीं गये या जिन्होने पढ़ाई बीच मे ही छोड़ दी उन्हें उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जायेगो। यह विद्यालय तथा अध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि विशेष प्रशिक्षण देकर बच्चे मे कक्षा स्तर के अनुरूप विकास करें।
- विकलांग बच्चों के लिये राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे उपयुक्त वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जिससे बच्चे की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। सभी विद्यालायों को 30 बच्चों पर एक अध्यापक का अनुपात सुनिश्चित करना होगा।
- कोई भी स्कूल आयु प्रमाण पत्र अथवा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की वजह से बच्चे को स्कूल प्रवेश से मना नही कर सकता। शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के मध्य मे भी बच्चे को स्कूल प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

विद्यालय की मान्यता–

- सरकारी विद्यालय को छोड़कर कोई भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के कानून लागू होने के पश्चात नहीं चलेंगे।
- सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तीन वर्ष के अन्दर तय मानको को पूरा कर मान्यता लेनी होगी। अन्यथा वे आगे कार्य जारी नहीं सकेंगे।

विद्यालय सम्बन्धित ढाँचागत व्यवस्था–

सभी विद्यालयों को कानून के अनुसार निम्न मानकों को पूरा करना होगा।

- सभी शिक्षकों के लिये अलग–अलग मानको को पूरा करना होगा।
- एक कार्यालय/प्रधानाचार्य कक्ष।
  विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पहुँचने में कठिनाई न हो, सभी बच्चें आसानी से स्कूल पहुँच सके।
- सभी बच्चों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता
- लड़कियों एवं लड़कों के लिये अलग–अलग शौचालय।
- विद्यालय में रसोई घर जहाँ दोपहर का भोजन बनाया जा सके।
- खेल का मैदान, कक्षा अनुसार विभिन्न खेलों के उपकरण।
- विद्यालय भवन की सुरक्षा हेतु चारदिवारी अथवा बाड़ लगायी जाये। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय जहाँ समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी विषयों एवं कहानियों की किताबें उपलब्ध होगी।

शिक्षक की योग्यता

- यदि किसी राज्य में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थायें नहीं है या निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारक शिक्षक नहीं मिल रहे है। तो केन्द्र सरकार यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना के जरिये ऐसे समय तक जो पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगा, न्यूनतम योग्यताओं की आवश्यक शर्तो में ढिलाई दे सकती है।
- ऐसे शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारक नहीं है और सेवा में आ चुके है। उन्हें पाँच वर्षो में न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी।

विद्यालय प्रबन्धन समिति

गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा। स्कूल प्रबन्धन समिति के 75 प्रतिशत सदस्य बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों में से चुने जायेंगे। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

स्कूल प्रबन्धन समिति के मुख्य कार्य–

- विद्यालय विकास योजना तैयार करना एवं सिफारिश करना।
- सरकार, स्थानीय शासन या अन्य स्त्रोत से स्वीकृत धनराशि के उपयोग की निगरानी करना।
- विद्यालय में मिलने वाले मध्यान भोजन की निगरानी करना।
- अध्यापकों की नियमितता एवं अभिभावकों के साथ उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करना, इस बात का ध्यान देना, कही अध्यापक निजी ट्यूशन में तो नहीं व्यस्त है।
- इस बात की निगरानी करना कि शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यो (10 वर्षीय जनगणना, चुनाव आपदा राहत कार्य के अतिरिक्त) का अधिक दबाव तो नहीं है।
- बच्चों का नामाकन और नियमितता सुनिश्चित करना विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण और नामाकन के साथ–साथ उनकी प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता एवं प्राथमिक शिक्षा पूरी होने की निगरानी करना।
- बच्चों के साथ किसी भी शारीरिक एवं प्राथमिक शिक्षा पूरी होने की निगरानी करना।
- बच्चों के साथ किसी भी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के संदर्भ में स्कूल प्रबन्धन समिति स्थानीय के साथ–साथ उनकी प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता एंव प्राथमिक शिक्षा पूरी होने की निगरानी करना।
- बच्चों के साथ किसी भी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के संदर्भ में स्कूल प्रबन्धन समिति स्थानीय शासन यानी ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी की इसकी जानकारी देगी।

शारीरिक दण्ड–

- किसी भी बच्चें को कोई शारीरिक दण्ड अथवा मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जायेगा। बच्चों के साथ ऐसे किसी भी व्यवहार के मामले की शिकायत स्कूल प्रबन्धन समिति स्थानीय प्रशासन से करेगी। इस तरह से किसी भी मामले से जुड़े लोगो पर सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थान कमजोर, आर्थिक व सामाजिक स्थिति वाले परिवार से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि बच्चों की संख्या अधिक हुई तो लाटरी सिस्टम का प्रयोग कर चयन किया जायेगा।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग–

- अधिकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति की जॉच एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देगा।
- सभी राज्य अपने यहाँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेंगे।
- आयोग के गठित होने तक राज्य एक अस्थाई शिक्षा अधिकारी संरक्षक प्राधिकार का गठन करेगें। जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य करेगा।

चाइल्ड हेल्पलाइन–

- बाल अधिकार मे विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता–पिता या संरक्षक, शिक्षक और चुने गये प्रतिनिधि शामिल होंगे। हर दो वर्ष के अंतराल पर इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

विद्यालय प्रबन्धन समिति गठनः–

1. विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त सभी विद्यालयों में किया जायेगा। एवं प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।
2. विद्यालय प्रबन्धन समिति में 15 सदस्य होगें, जिनमें से 11 सदस्य विद्यालय में पढने वाले बच्चों के अभिभावक / माता / पिता होगे। समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।
3. विद्यालय प्रबन्धन समिति के शेष 4 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होगे–

- एक सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित व्यक्तियों में से स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार चयनित किया जायेगा।
- एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा। जिसका निर्णय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिया जाएगा।

घ एक सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट लेखपाल होगा।

- शेष एक सदस्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक होगा जो पदेन सदस्य सचिव का कार्य करेगा।

4. विद्यालय प्रबन्धन समिति के अभिभावक सदस्यों में से एक–एक सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले अुनसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के माता–पिता अथवा अभिभावक होगें
5. विद्यालय प्रबन्धन समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन आम सहमति से किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि विद्यलायों के प्रत्येक कक्षा के कम से कम एक बच्चे के अभिभावक का प्रतिनिधित्व समिति में अवश्य होगा।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के माता–पिता या अभिभावक जिन बच्चों ने कक्षा 5, 6, या 7 मे पिछली वार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किये है।
7. जिन स्थान पर विद्यालय स्थिति है उस वार्ड का पंचायत प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत में वार्ड पंच और

नगरीय क्षेत्र में वार्ड का पार्षद),

समिति के पदाधिकारियों का चयन–

- विद्यालय प्रबन्धन समिति के संचालन हेतु समिति के अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन किया जायेगा।
- इस समिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में एक पद महिला सदस्य के लिए आरक्षित है।
- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से एक पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित है। यानी यदि अध्यक्ष की सीट पर अनारक्षित वर्ग का प्रतिनिधि है तो उपाध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित होगी।
- समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन समिति सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा।
- पंचायत प्रतिनिधि (पंच/पार्षद) एवं प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक ए0एन0एम0 व लेखपाल इस समिति के पदेन सदस्य है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है अतः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में वे अपना मत नहीं देगें।

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक–

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक महिने में कम से कम एक बार होगी, इस बैठक के मिनिट्स और निर्णयों को रजिस्टर में विस्तार से लिखा जायेगा। समिति द्वारा लिए गये निर्णय और मीटिंग के मिनिट्स जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य, जिम्मेदारियाँ एवं अधिकार–

- समिति के कार्यो अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति एवं सरकार, स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतो से विद्यालय को प्राप्त धनराशि के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कार्य भी करेगी जिनके लिए वह अपने सदस्यों में से छोटे कार्य समूहों का गठन कर सकती है।
- इस अधिनियम में स्थापित किये गये बच्चों के अधिकारों के बारे में विद्यालय आस–पास के लोगों को आसान और रचनात्मक तरीके से बताना।
- सभी शिक्षक नियमित और समय पर विद्यालय में उपस्थित हो। (धारा 24 क)
- माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें को जिसमें कि, हर बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति और नियमितता, उसके सीखने के स्तर, सीखने की प्रगति एवं अन्य बातों के बारे में माता–पिता और अभिभावकों को जानकारी दी जाए। (धारा 24 ड़)
- कोई शिक्षक निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण कार्य न करे। (धारा 24 ड़)
- यह समिति देखेगी शिक्षक को धारा 27 में बताए गये गैर शैक्षणिक कार्य (10 वर्षीय जनगणना व लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव और विभीषिका राहत कार्य) के अलावा अन्य गैर शैक्षणिक–कार्यो में न लगाया जाए।
- यह समिति सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय के आस–पास क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों

(बालक–बालिका) का नाम विद्यालय में दर्ज किया गया है और वे रोज विद्यालय आ रहे है।

- विद्यालय हेतु तय किए गये मान ओर मानको के रख–रखाव हेतु देख–रेख करना।
- बच्चों के अधिकारों को किसी तरह से हनन होने पर जैसे–मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न विद्यालय में प्रवेश देने से इंकार करना या धारा 3(2) में बताए अनुसार छात्र से किसी तरह की फीस शुल्क, व्यय या प्रभार मांगे जाने पर यह समिति इस विषय में स्थानीय प्राधिकारी यानि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो इस बारे में जानकारी देगी।
- धारा 4 के अन्तर्गत 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को विशेष प्रशिक्षण, आवासीय या गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिये जाने पर यह समिति उनकी जरूरतों को पहचानेगी, उसके अनुसार कार्य योजना तैयार करेगी और क्रियान्वयन की देख–रेख करेगी।
- यह समिति विद्यालय में चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की देख–रेख करेगी।
- यह समिति विद्यालय को प्राप्त धन एवं उसके व्यय का वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करेगी।
- समिति द्वारा प्राप्त धन समिति के बैंक खाते में जमा किया जायेगा। यह खाता समिति के अध्यक्ष और संयोजक (पदेन सदस्य सचित) के संयुक्त नाम से खोला जायेगा। जब भी जरूरत हो इस खाते को ऑडिट के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण कर विद्यालय में नामांकन कराना एवं उनकी सुविधाओं एवं सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्राथमिक शिक्षा का सुनिश्चितीकरण।

- **शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पियेगा उतना दहाड़ेगा।**
  -डॉ. भीमराव अम्बेडकर

- **बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता। बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है।** **- नेल्सन मंडेला**

- **दूसरों से लड़ाई करने से अच्छा है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करो।** **- गौतम बुद्ध**

सूचना का अधिकार कानून 2005

सूचना अधिकार–जनता का अधिकार
(हमारा पैसा–हमारा हिसाब)

सूचना का अधिकार एक कानून है जो आपको हक प्रदान करता है कि आप सरकार से कोई भी सूचना मांग/प्राप्त कर सकते है। यह आपका मौलिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनु0 19 (1) ए तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों में इसी अधिकार का प्रयोग किया गया है।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही ही लोकतंत्र का आधार है।

क्या आप चाहते है कि.....

1. सरकारी कार्यालयों में रूका अपका काम भी हो जाये।
2. आपकी खराब सड़क ठीक हो जाए एवं नाली की सफाई समय से हो।
3. बिना रिश्वत दिये आपका राशन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन कनेक्शन, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि का कार्य हो जाए।
4. आपकी रूकी हुई पेंशन मिल जाए तथा भविष्य निधि का पैसा बिना परेशानी मिल जाए।
5. पुलिस की ज्यादती/यातना से बिना परेशानी के आपको छुटकारा मिले।

क्या आप जानना चाहेंगे कि..... ?

1. आपका काम न करने के लिए कौन जिम्मेदार है।
2. आपके गाँव के विकास के लिए कितना पैसा, किस मद में आया और कहाँ खर्च किया गया।
3. आपके गाँव में अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड किसे दिये गए? और किसको विधवा, विकलांग या वृद्धापेंशन मिलती है? किसे इंदिरा आवास मछुआ आवास, शौचालय या हैण्डपम्प दिया गया है?
4. आपके गाँव के प्राइमरी स्कूल पर कुल कितने बच्चे हैं? स्कूल के विकास के लिए कुल कितना धन आया, सभी बच्चों को मिड–डे–मिल छात्रवृत्ति, ड्रेस या पुस्तके मिली या नहीं?
5. आपके सांसद या विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका की निधियों का व्यय किस–किस कार्य में किया गया?

इस कानून के दायरे में कौन–कौन आते हैं–

1. सरकारी संस्थाओं तथा विभागों के अतिरिक्त ऐसे गैर सरकारी संगठन, अर्द्धसरकारी संगठन इस कानून के दायरे में आते हैं जो सरकार से धन प्राप्त करते हैं।
2. सभी मंत्रालयों सरकारी विभागों, संवैधानिक संगठनो के दफ्तर सार्वजनिक निगम, विश्वविद्यालय, बैंक इत्यादि।
3. सूचनायें ली जा सकती है, लेकिन खुफिया विभाग, संवेदनशील विभागों, वैज्ञानिक शोध विभागों परमाणु एवं उपग्रह विभाग, कश्मीर के मामले तथा ऐसे मामले जिसकी सूचना सार्वजनिक करने से देश की सुरक्षा को खतरा हो, उन मामलों को इस कानून से बाहर रखा गया है।
4. मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों एवं किसी जाँच प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर उसके बारे में भी सूचना की जा सकती है।

5. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत नगर पंचायत, विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य इत्यादि के कार्यो विधियों एवं आय–व्यय का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है।
6. किसी रिपोर्ट, निर्णय न्याय कानून, किसी मीटिंग की कार्यवाही तथा किसी पत्रावली पर की गयी टिप्पणियों की नकल भी मांगी जा सकती हैं किसी सूचना के न मिलने या कार्य न हो पाने के कारण एवं इसके लिए।

सूचना देने की व्यवस्था

1. सूचना प्राप्त करने के लिए मात्र दस रूपये (10) शुक्ल के साथ आवेदन करना होगा। यह शुक्ल नगद, बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक, ट्रेजरी चालान पोस्टल आर्डर द्वारा देय हैं
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के लिये शुल्क नहीं देय है।
3. बी0पी0एल0 श्रेणी के आवेदकों को केवल अपने राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
4. दस्तावेजों की फोटो प्रति या इलेक्ट्रानिक रूप (फ्लॉपी, सी0डी0 विडियो कैसेट टेप इत्यादि) में प्राप्त करने के लिए अलग से शुल्क देय होगा।
5. प्रत्येक विभाग, तरसील एवं ब्लाक स्तर पर सूचना देने के लिए जन सूचना अधिकारी एवं कर्मचारी नामित कर दिये गये हैं
6. जनपद स्तर पर एक लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया हैं
7. सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध करायेगा। यदि सूचना किसी और विभाग से सम्बन्धित है तो यह अवधि 35 दिन हो सकती हैं।
8. अपील अधिकारी से भी संतोषजनक सूचना न मिलने पर शिकायत राज्य सूचना आयोग को करनी होगी।
9. क्रेन्दीय सरकार के मामलों में केन्द्रीय सूचना आयोग को सूचना करनी होगी।
10. सूचना आयोग मामले की जॉच करके 10 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करायेगा एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति के वेतन से 250 प्रति दिन के हिसाब से रूपया 25,000/–की कटौती भी कर सकता है।
11. आयोग स्तर पर भी सूचना प्राप्त न होने पर न्यायालय में अपील की जा सकती है।
12. यदि आवेदन उस विभाग या अधिकारी से सम्बन्धित नहीं हो तो अनुच्छेद 6 (3) के अनुसार सम्बन्धित विभाग।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत कब कर सकते हैं राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग में शिकायत–

1. सम्बन्धित विभाग में अभी तक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।
2. लोक सूचना अधिकारी ने यदि आवेदन लेने से साफ इंकार कर दिया है।
3. डाक से आवेदन भेजा था लेकिन इसे निम्न कारण बताते हुए वापस कर दिया गया।
4. लेक सूचना अधिकारी ने आवेदन शुल्क लेने से मना कर दिया अथवा वांछित से अधिक शुल्क की मांग की जा रही हैं।
5. लोक सूचना अधिकारी या उसके स्टाफ ने आपके साथ बदसलूकी की हो।
6. अधिनियम के अन्तर्गत किसी सूचना तक पहुँच से इंकार किया।
7. निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध न होने पर।

सूचना आयोग की शक्तियाँ

केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसी भी स्थिति हो, जब इस धारा के अधीन मामले की जाँच कर रहा हो तो दिवाली न्यायालय की सारी शक्तियाँ उपलब्ध होगी। जैसे–

1. व्यक्तियों को सम्मन जारी कर सकता है।
2. शपथ पर मौखिक एवं लिखित साक्ष्य ले सकता है।
3. किसी भी दस्तावेज को मंगाकर निरीक्षण कर सकता हैं।
4. दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर सकता हैं।
5. किसी न्यायालय के कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति मंगा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना प्राप्त में सावधानियाँ

1. आवेदन सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो, आवेदन में आवश्यक प्रश्न ही पूछे।
2. अपना नाम एवं पूरा पता तथा कोई फोन नं0 हो तो अवश्य लिखे।
3. जन सूचना अधिकारी का नाम एवं विभाग का नाम पूरे पते सहित अंकित करें।
4. यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि सूचना राज्य सरकार से लेना है या केन्द्रीय सरकार से।
5. अवेदन के साथ शुल्क 10 रुपये का पोस्टल आर्डर/बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/नगद के रूप में अवश्य संलग्न करे।
6. अगर आवेदन व्यक्तिगत तौर पर जमा करें तो पावती अवश्य लें।
7. आवेदन स्वयं, स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक, यू0पी0सी0 के माध्यम से जमा करा सकते हैं।
8. सूचना के आवेदन के लिये कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, इसलिये आप अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन तैयार कर सकते हैं।
9. अगर आप बी0पी0एल0 कार्ड धारक है, तो किसी सूचना के लिये चाहे निरीक्षण का कार्य हो या फोटोकॉपी आदि के लिये कोई शुल्क नहीं देना होगा यह बिल्कुल निःशुल्क है।
10. अगर 30 दिन के बाद सूचना दी जाती है तो यह सभी के लिए निःशुल्क है।
11. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है दस्तावेजों की जाँच या निरीक्षण करने का शुल्क जाँच के पहले घण्टे का कोई शुल्क नहीं है परन्तु उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट का 5 रुपये की दर से शुल्क देना होगा।
12. दस्तावेजों या अभिलेखों का प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति लिया जा सकता है। सूचना के लिए (दो) 2 रुपये प्रति पृष्ठ फोटोकॉपी देना होगा।
13. किसी भी सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सकता है।
14. डिस्क, फ्लापी टेप, विडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक नीति में या प्रिन्ट आउट के माध्यम से सूचना को (जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर के भण्डारित की जाती है)
15. प्राप्त किया जा सकता है।

नोट– प्रथम अपील करने के लिए मांगे गए सूचना पत्र की फोटो प्रति संलग्न करते हुए सरल भाषा में शिकायत दर्ज करते हुए सूचना दिलाने एवं सूचना अधिनियम कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने की मांग कर सकते हैं।

सूचना आवेदन प्रपत्र का नमूना (फार्मेट)

सूचना लेने हेतु आवेदन प्रपत्र
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत)

सूचना क्र0 .....
(कार्यालय प्रयोग हेतु)

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचनाधिकारी महोदय,
————————————————————
————————————————————
————————————————————

1 आवेदक का नाम : ————————————————————

2. पूरा पता : ————————————————————

3. फोन नम्बर : ————————————————————

4. आवेदन देने का दिनांक :————————————————————

5. कार्यालय/विभाग का नाम :————————————————————

6. चाही गयी जानकारी का विवरण :————————————————————

7. क्या चाहते है–नकल/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना

8. आवेदक की फीस 10 रू. नगद/ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर से (बी.पी.एल. को छूट)

9. आवेदक बी.पी.एल. है अथवा नही .....
यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का क्रमांक .....

संलग्नक :–

1. पोस्टल आर्डर संख्याः–

(आवेदनकर्ता)

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

10 दिसम्बर, 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें।

इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन पांच भाषाओं में प्राप्य हैः—अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अनुवाद का जो पाठ यहाँ दिया गया है। वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति की विश्व—शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है,

चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया है। चूंकि एक ऐसी विश्व—व्यवस्था की उस स्थापना को (जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी) सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है,

चूंकि अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरूद्ध लोगो को विद्रोह करने के लिए—उसे ही अन्तिम उपाय समझ कर मजबूर नहीं हो जाना है तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है,

चूंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर—नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार—पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाय,

चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की बृद्धि करेगें।

चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आजादियों का स्वरूप ठीक—ठीक समझना सबसे अधिक जरूरी हैं इसलिए, अब सामान्य सभा घोषित करती है कि—

मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों

की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावे।

अनुच्छेद 1– सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद 2– सभी को इन घोषणा मे सन्निहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार–प्रणाली किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायगा।

इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतन्त्रता हो, संरक्षित हो, या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई फर्क न रखा जायेगा।

अनुच्छेद 3– प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा आ अधिकार है।

अनुच्छेद 4– कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी–प्रथा और मुलामों को व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5– किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुसिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद 6– हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति–प्राप्ति का अधिकार हैं।

अनुच्छेद 7– कानून की निगाह में सभी समान है और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करने कोई भी भेद–भाव किया जाय या उस प्रकार के भेद–भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए, तो उसके विरूद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद 8– सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यो के विरूद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद 9– सभी को पूर्णतः समान रूप से हम है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालता द्वारा हो।

अनुच्छेद 10– सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद 11–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुले अदालत में, जहाँ उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाय।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराधी) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा, जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद 12– किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जायगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरूद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 13–(1) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक आने–जाने और बसने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14– (1) प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

(2) इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर–राजनीतिक अपराधों से सम्बन्धित हैं, या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य है।

अनुच्छेद 15– (1) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र–विशेष को नागरिकता का अधिकार है।

(2) किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा।

अनुच्छेद 16– (1) बालिग स्त्री–पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापन करने का अधिकार है।

उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।

(2) विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री–पुरूषों की पूर्ण और स्वतन्त्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।

(3) परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 17– (1) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्पत्ति रखने का अधिकार है।

(2) किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मति से वंचित न किया जाएगा।

अनुच्छेद 18– प्रत्येक व्यक्ति को विचार अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकारी है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सावर्जजनिक रूप में अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, किया उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा पकट करने की स्वतन्त्रता है।

अनुच्छेद 19– प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न कर के किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है।

अनुच्छेद 20– (1) प्रत्येक व्यक्ति को शान्ति पूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार है।

(2) किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 21– (1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्र रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।

(3) सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय–समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतन्त्र मतदान पद्धति से कराये जाएंगे।

अनुच्छेद 22– समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तितत्व के उस स्वतन्त्र विकास तथा गौरव के लिए–जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो–अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद 23– (1) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति वो जो काम करता है, अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाए, जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबन्ध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24– प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अन्तर्गत काम के घंटों की उचित हदबन्दी और समय–समय पर मजदूरी सहित छुट्टियाँ सम्मिलित है।

अनुच्छेद 25– (1) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवनस्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत खाना कपड़ा, मकान, चिकित्सा–सम्बन्धी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित है। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

(2) जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहित माता से जन्मा हो या अविवाहिता से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 26– (1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार हैं। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों–सम्बन्धी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।

(2) शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि शिक्षा द्वारा राष्ट्रों जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाएं रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा।

(3) माता–पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सके कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद 27– (1) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं हों

अनुच्छेद 28– प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 29– (1) प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र और पूर्ण विकास संभव हो।

(2) अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा, जो कानून द्वारा सीमाओं की जाएंगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के लिये आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातन्त्रात्तक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(3) इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरूद्ध नहीं किया जायगा।

अनुच्छेद 30– इन घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह, या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहाँ बताये गये अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में किसी का भी विनाश करना हो।

डी०के०बसु गाइड लाइंस

गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्देश-

हिरातस में हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उच्चतम न्यायालय (देश की सबसे बड़ी अदालत) ने डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, (1997), 1 एस0सी0सी0 216 पुलिस व सरकार के मुछ अन्य विभागों को कुछ निर्देश दिये है, ये निर्देश किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने और पूछताछ के सम्बन्ध मे है। ये निर्देश है–

- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियो को सही, स्पष्ट दिखाई देने वाले पहचान–चिन्ह और नाम–पट्टी लगाना जरूरी है।

- जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ कर रहे हो, उनका पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में दर्ज होना आवश्यक हैं।

- किसी को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का ज्ञापन (मेमो ऑफ अरेस्ट) बनाना आवश्यक है। इस पर (अ) कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होना चाहियें यह गवाह या तो गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, या फिर उस इलाके का कोई जाना–माना व्यक्ति। (ब) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होने चाहिये। (स) गिरफ्तारी की तारीख व समय दर्ज होना आवश्यक हैं।

- गिरफ्तार या पूछताछ के लिये किसी भी प्रकार की हिरासत में रखे गये व्यक्ति को हक है कि, उसके किसी एक शुभचिंतक, परिवार के सदस्य मित्र या अन्य पहचान वाले को तुरन्त सूचना दी जाये कि उसे गिरफ्तार किया गया है और किस स्थान पर रखा गया है। यदि ऐसा व्यक्ति वही है जिसने मेमो पर हस्ताक्षर किये है, तो अलग से सूचना देना आवश्यक नहीं हैं

- यदि गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताया जाना आवश्यक है कि , उसे अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचना भिजवाने का अधिकार है।

- जिस जगह गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जाएगा, वहाँ उसका नाम व सूचित किये गये व्यक्ति का नाम इत्यादि सूचना रोजनामचे (डायरी) में दर्ज होनी चाहिये। जिन पुलिस कर्मियों की हिरासत में उस व्यक्ति को रख गया है उनके नाम और अन्य जानकारी भी दर्ज होनी चाहिए।

(अ) ये निर्देश प्रत्येक राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनपद ऑफ पुलिस) को भेजे गये है। उन्हें ये निर्देश अपने क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लगवाने होंगे। यानि देश के हर थाने में ये निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना अनिवार्य है।

(ब) इन निर्देशो का पालन न करने पर सम्बन्धित अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही होगी इनका पालन न करना उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी, जो कि एक गम्भीर अपराध है, जिसके लिये कैद और जुर्माना हो सकता है। शिकायत करने वाले व्यक्ति अवमानना की अर्जी अपने राज्य के उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में दे सकते हैं।

- यदि गिरफ्तार व्यक्ति चाहे तो गिरफ्तारी के समय उसकी शारीरिक जाँच भी हो सकती है। यदि उसके शरीर पर छोटी या बड़ी चोटें हो तो उन्हें उसी वक्त दर्ज किया जाना चाहिये। जाँच के बाद 'निरीक्षण मेमो' पर गिरफ्तारी व्यक्ति व गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर होने चाहिये। इस मेमो की एक प्रति (कापी) गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

- हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति की हर 48 घंटो पर डॉक्टरी जाँच होनी चाहिये। जाँच करने वाला डाक्टर बकायदा प्रशिक्षित होना चाहिये और राज्य के स्वास्थ्य निदेशक (डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज) द्वारा चुनी पैनल पर होना चाहिये। हर राज्य के स्वास्थ्य निदेशक को डाक्टरों की यह सूची (पैनल) तैयार करनी होगी।

- गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के अरेस्ट मेमो इत्यादि सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ इलाका मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। मजिस्ट्रेट के यहाँ यह रिकार्ड रखा जायेगा।

- गिरफ्तार व्यक्ति को यह हक है कि वह पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सके। पूछताछ के पूरे समय वकील का होना जरूरी नहीं है।

- पुलिस के हर जिले व राज्य के प्रमुख कार्यालयों में एक कन्ट्रोल रूम का प्रावधान करना होगा। किसी भी गिरफ्तारी के 12 घंटो के अन्दर इस कन्ट्रोल रूम को गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। यह सूचना कन्ट्रोल रूम के किसी साफ दिखने वाले पट (नोटिस बोर्ड) पर लगाई जानी चाहिये।

ऊपर दी गई बातें गिरफ्तारी के अन्य अधिकारों के साथ–साथ होनी चाहिए जैसे–

- गिरफ्तारी के समय अपराध बताना जरूरी है।

- गिरफ्तारी के समय जोर–जबरदस्ती की मनाही है।

- हिरासत के समय किसी तरह के बुरे सुलूक की मनाही है।

- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना जरूरी है।

- हिरासत में जुर्म कुबूल करने के लिये दिया गया बयान अदालत में अमान्य है।

- महिला को और 15 साल से कम उम्र के पुरूष को केवल पूछताछ के लिये थाने नहीं ले जाया जा सकता।

भारत का संविधान देश का मूल कानून है इसमें हर व्यक्ति को पुलिस व अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा दुर्व्यवहार और यातना से सुरक्षा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत में सम्बन्धित सुरक्षित है। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।

पीड़ितों से पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या पुलिस गिरफ्तार की तो (नेम प्लेट बैच नं0 था) या बताया था।
2. क्या गिरफ्तारी के समय व तिथि (पूछताछ का पूरा ब्योरा रजिस्टर में दर्ज हुआ था)
3. क्या गिरफ्तारी के समय वारण्ट दिखाया गया था कि नहीं परविार के किसी सदस्य व क्षेत्रीय सभ्रान्त व्यक्ति का हस्ताक्षर हुआ था या उनको सूचित किया गया। आपका हस्ताक्षर लिया गया था, क्या आपने उस मेमो पर दिनांक व समय दर्ज था।
4. आपके गिरफ्तारी के संदर्भ में किसी परिचित/गवाह को गिरफ्तारी व उस स्थान के बारे में जहाँ रखा गया है कि सूचना दिया गया था।
5. अगर आपके द्वारा किसी प्रकार की सूचना परिजनों व हितैषियों के न रहने पर गिरफ्तारी के बाद सूचना दी गयी कि नहीं अगर दी गयी तो कितने घण्टे बाद या अपाको अधिकारी के द्वारा सूचना भेजवाने के अधिकार के बारे में बताया गया।
6. क्या गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सूचना पट् पर अंकित किया गया था। (गिरफ्तारी के संदर्भ में थाने द्वारा निर्देशो के पालन RTI में लगा सकते है।) राज्य गृह सचिव, डी0जी0पी0 की भी सूचना थी कि नहीं निर्देशो की अवमानना पर शिकायत कर्ता हाई कोर्ट दे सकता है।
7. आपके द्वारा गिरफ्तारी के समय शारीरिक जाँच के लिए कहाँ, अगर जाँच हुई तो उस पर आपका तथा गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मी का हस्ताक्षर या उसकी प्रतिलिपी आपको दी गयी थी।
8. हर 48 घण्टे के अन्दर जाँच–मेडिकल होती थी। (रिमाण्ड के समय) राज्य स्वास्थ्य निदेशक से डाक्टर की चुनी पैनल की सूची RTI द्वारा माँग सकते है।
9. इलाका मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्ध की प्रतिलिपी RTI द्वारा माँग सकते है।
10. गिरफ्तारी के समय वकील से बातचीत करने का मौका दिया गया।
11. क्या गिरफ्तारी के समय आपको, आपका अपराध बताया गया था।

12. क्या गिरफ्तारी के समय किसी प्रकार का आपके साथ जोर जबरदस्ती किया गया।

13. हिरासत में आपके साथ क्या–क्या बुरे सलूक किये गये।

14. क्या आपको 24 घण्टे के अन्दर कोर्ट (मजिस्ट्रेट के समक्ष) पेश किया गया।

15. क्या कोर्ट में दोबारा बयान लिया गया। मजिस्ट्रेट ने आपसे यातना के संदर्भ में पूछा।

16. जेल भेजने व छोड़ने से पहले मेडिकल जाँच हुआ।

17. जेल में आपके साथ क्या हुआ।

हस्तक्षेप

1. गिरफ्तारी के तुरन्त बाद 112 नम्बर डायल एवं तार द्वारा SP/SSP/DIG को सूचना दिया जायेगा।

2. मामला का दस्तावेजीकरण करके मानवाधिकार आधारित संस्थाओं को भेजना तथा सूचना तकनीकी द्वारा मामला में हस्तक्षेप करना।

3. टेस्टीमोनियल थेरेपी द्वारा मनो–सामाजिक उपचार करना।

4. लीगल सर्पोट देना। (केस की पैरवी)।

5. मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना।

6. सांसद, विधायक को खुला पत्र, घोषणा पत्र का प्रयोग करना।

7. अर्जेण्ट अपील जारी करना।

8. पीड़ित गवाहों की सुरक्षा के साथ मुआवजा की माँग खड़ा करना।

व्यक्ति गिरफ्तारी हो जाता है तो 112 नम्बर पर फोन, टेलीग्राम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक को लिखेगे।

1. मॉडल ब्लॉक के अन्तर्गत एक पुलिस थाने को चिन्हित कर। उस थाने में एक वर्ष के अन्दर हुई गिरफ्तारी के विषय में RTI लगा कर आंकड़ा प्राप्त करेगें, जैसे नाम, पता, जाति, लिंग, धर्म, उम्र, दिनांक, समय, धारा आदि की जानकारी लेगें और विश्लेषण कर केस स्टडी तैयार कर टेस्टीमनी लेगें। उनके मामले में पैरवी करेगे। जैसे, NHRC, SC/ST, S CPST. H.C. DGP/DIG/SSP आदि के साथ राजनीति पैरवी करेगे।

2. निगरानी कर डी0के बसु गाईड लाईन थाने में लगवाने के लिये पैरवी करेगे।

3. प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति से जेल गतिविधि के केस स्टडी तैयार करेंगे और टेस्टीमनी लेगे और जेल की कमियों पर पैरवी करेगे।

4. (1) न्यायालय में गिरफ्तार व्यक्ति के अरेस्ट मेमो पर RTI

   (2) न्यायालय में एक वर्ष के अंदर जज द्वारा कितने गिरफ्तार व्यक्तियों से उसके शारीरिक चोटों के विषय में लिखित जानकारी लेंगे और कितने लोगों को चोटों के आधार पर जज द्वारा मेडिकल के लिए भेजा गया।

मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी

मेरा नाम ऋषभ त्रिपाठी है मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता एवं एक भाई–बहन है। मैं पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से किया हूँ। मैं पढ़ाई पूरी करके 2017 में गुजरात दमन में नौकरी की फिर मैं साल भर तक नौकरी किया उसके बाद मैं वापस वाराणसी आ गया फिर मैं मानवाधिकार जन निगरानी समिति में मुझे काम करने का अवसर मिला मुझे साल भर तक वहाँ काम सिखाया जाए और मेरी बहुत मदद की गई उसके बाद 2019 में मुझे f.k एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिलेगा मैं पी.वी. सी.एच.आर के सभी सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना दूर जा पाऊँगा लेकिन मैं जब गया तो मुझे बहुत सी चीजों को देखने को भी मिला और सीखने को भी मिला फिर मैं चार महीनों के लिए वाराणसी रहा फिर 4 महीने के लिए नेपाल और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है।

ऋषभ त्रिपाठी

मेरे जीवन का एक छोटा सफर **PVCHR** टीम के साथ

मैं ज्योति ! जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नाम का मतलब है प्रकाश, उजाला, जो अंधकार से उजाले की और प्रेरित करती है। कही ना कही मेरे नाम का असर भी मेरी जिंदगी पर पड़ा। मैं एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ मेरे दो भाई और एक बहन है।

इन सब लोगो में मै सबसे बड़ी हूँ। हम लोग अपनी माँ के साथ रहते हैं। मुझे बहुत दुःख होता है मेरे पिता जी माँ के साथ हम बच्चो को पिछले 25 सालो से छोड़ के कही चले गए। जब मेरे पिता मुझे छोड़कर गये थे, तब मैं महज 7 साल की थी और मेरा जो बचपन था वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया इसका मुझे पता ही नही चला। क्योंकि जब बच्चे बचपन मे खिलौने की जिद अपने पिता से करते है। वो पल मेरी जिंदगी में कभी आया ही नही, और इतना ही नही ऊपर से अपने भाइयों और बहन का भी देख–रेख मै ही करती थी। हमारे पिता जी के जाने के बाद से हम अपने नानी के घर ही रहना शुरू कर दिए।

मेरे नानी और नाना हम लोगो के लिए बहुत कुछ किये, अपने परिवार के खर्च को उठाने के साथ–साथ ही हमारा भी खर्च उठाये। इस तरह मैं बड़ी हुई और जब दूसरे बच्चें पढ़ने जाते थे तो मुझे भी पढ़ने का मन करता था लेकिन उतना पैसा नही था कि मैं पढ़ सकू। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा उम्मीद या उजाला मेरी जिंदगी में मानवाधिकार जन निगरानी समिति संस्था रोशनी की तरह आई जो कि गरीब बच्चों को बिना पैसे के पढ़ाती थी और फिर मैं वहाँ से कक्षा 5 तक पढ़ाई किया इसी के साथ लगातार इसी संस्था के सहयोग से मैंने अपनी पढ़ाई एम. ए. पूरा किया। आप लोगों को पता होगा कि लोग कहते है, भगवान नीचे नही आ सकते लेकिन वो किसी ना किसी रूप में जरूर आते है। वही भगवान इस संस्था के डा0 लेनिन भैया और श्रुति दी थी। जिनके सहयोग से मुझे पढ़ाई करने के साथ ही विदेश जाने का भी मौका मिला जिसको मैं शायद अपने सपने में भी नही सोच सकती। वो भी नॉर्वे और नेपाल गयी। FK यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात की जो लड़की कभी स्कूल जाने का सपना देखती थी। क्या कभी वो विदेश भी जा सकती है। ये सब सपना था। जब कभी आसमान में हम लोग जहाज देखते थे तो सोचते थे कि कितना ऊंचा होगा कितने लोग होंगे इसमे, ऐसी बहुत सारी बाते और फिर ये भी सोचते थे। कि क्या कभी हम लोग इसको पास से देख भी पाएंगे, लेकिन पास से देखने की तो बात ही नही मुझे इसमे बैठने का मौका ही नही बल्कि विदेश जाने को मिला। इस एक्सचेंज प्रोग्राम से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। जैसे कि मैं पहले जब किसी से बात करती थी तो मुझे डर लगता था और कभी किसी प्रोग्राम में गाना गाने को बोला जाता था तो मेरा पूरा शरीर कापता था। पर इस प्रोग्राम से लौटने के बाद मैं अपने आप मे पहली वाली ज्योति नहीं रही बहुत बदल गयी। फिर मेरा पढ़ाई पूरा हुआ और मैं PVCHR से जुड़कर ही अभी माँ और बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुददे पर अल्पसंख्यक समुदाय में काम भी कर रही हूँ। FK यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाने के बारे में मुझे एक मार्गदर्शन के रूप में शिरीन शबाना दी का सहयोग मिला।

मेरी अंग्रेजी अच्छी नही थी और मुझे पता चला कि वहां सब बाते अंग्रेज़ी में ही करेंगे लेकिन शबाना दी हमको हौसला दी कि नही तुम कर लोगी और वहां पर हिंदी ट्रांस्लेटर रहेंगे जो आप लोगों का सहयोग करेगें। इस तरह हम ये प्रोग्राम में भागीदारी कर सके। इसी के साथ मैं बिजनेस भी करना सीख रही हूँ छाया दी के साथ क्योंकि अगर हम कुछ सीखे रहेंगे तो वो आगे मेरे जिंदगी में काम ही आएगा और ऐसा नही है कि मुझे इसमे बहुत पैसे मिलते हैं लेकिन है मुझे अपने काम के साथ ही समाज सेवा करने को मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। एक बात कि जब हम देखते हैं जब कोई छोटा पेड़ पौधा होता है तो उसको लगाने से डरते हैं कि पता नही ये पेड़ होगा या नही पर जब जाने अनजाने वो पौधा लग जाता है और पेड़ बन जाता है और उसमें फल आने लगता है तो लोग सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा पेड़ लगाती। तो हमको भी फायदा मिलता या फिर उस पौधा को लगाने वाले माली को बोलेंगे कि आखिर कैसे उसने लगा दिया। मेरे कहने का अर्थ बस इतना है कि जिंदगी में पैसे की जरूरत तो है लेकिन उसी के साथ रिश्ते, नाते, सम्मान की भी जरूरत है जो की मुझे मिला वो भी PVCHR संस्था के तरफ से और अभी मेरी अंग्रेजी अच्छी नही है जिसको मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और ये ठान के रखी हूँ कि इसको भी सीख लूंगी।

–ज्योति कुमारी

26 अक्टूबर, 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू

घरेलू हिंसा क्या है ?

- शारीरिक हिंसा–थप्पड़ मारना, शराब पीकर मारना, धक्का देना या किसी अन्य तरह से चोट पहुँचाना।
- मौखिक एवं भावात्मक हिंसा–गाली देना, अपशब्द बोलना, अपमान या मजाक करना, लडका पैदा न होने या लड़की पैदा होने पर ताने देना, कहीं आने–जाने से रोक–टोक करना।
- आर्थिक हिंसा–पैसे नहीं देना, बच्चों के स्कूल में फीस नही भरना, पैसे छीन लेना, दहेज की मांग करना।
- यौनिक हिंसा–बुरी नीयत/यौनिक दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ असहमति से संबंध बनाना।

कौन शिकायत दर्ज कर सकता है ?

- परिवार में रहने वाली कोई भी महिला–पत्नी, बच्चे, माँ बहन, बेटी, भाभी, बहु, विधवा दत्तक पुत्र/पुत्री (नाबालिक भी) आदि हर महिला एवं बच्चे जिसके साथ घर की चारदीवारी के अन्दर या बाहर घरेलू हिंसा हो रही हो, वह इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अथवा पीड़ित महिला या बच्चे की तरफ से कोई अन्य रिश्तेदार, जान–पहचान वाला या पड़ोसी भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

घरेलू हिंसा की शिकायत किसके करे ?

- पुलिस थाने में।
- मजिस्ट्रेट के पास।
- महिला कल्याण विभाग/संरक्षण/बचाव अधिकारी ।
- महिला अधिकारी पर कार्यरत संस्था/सेवा प्रदाता संस्था।

घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे करे ?

- पीड़ित महिला स्वयं अथवा पीड़ित महिला से सम्बन्धित कोई भी सदस्य एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज करा सकता हैं

शिकायत कहाँ करें ?

- पीड़ित महिला स्थाई/अस्थाई रूप से जिस शहर में रहती है या काम करती हो।
- हिंसा की घटना जिस शहर या जिले में घटी हो।
- जिसने हिंसा की हो, व व्यक्ति जिस शहर/ जिले में रहता हैं।

घरेलू हिंसा में राहत/सहायता के प्रावधान

- गुजारा भत्ता।
- आर्थिक एवं भावात्मक नुकसान की भरपाई।
- निःशुल्क चिकित्सा।
- अपने घर में रहने का आदेश।
- पीड़ित महिला के लिये सुरक्षा एवं संरक्षण का आदेश।
- इन कानून के अन्तर्गत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करें जिन्हें महिला अधिकार एवं कल्याण के मामले में काम करने का अनुभव हो।
- यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होता है जो एक साथ जीवन जी रहे हैं और आपसी रिश्ते में एक ही घर में रहते हैं। फिर चाहे उनके रिश्तों को कानूनी और सामाजिक मान्यता प्राप्त हो य ना हो।
- इन कानून के तहत केस की पहली सुनवाई डी0आई0आर0 (डोमेस्टिक इन्फार्मेशन रिपोर्ट) दर्ज करवाने के तीन कार्य दिवसों का भीतर होना जरूरी है।
- जिनके भी पास यह शिकायत दर्ज होता है वे कानून के अन्तर्गत पीड़ित महिला को सहायता एवं मशविरा देंगे जैसे—डी0वी0 एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर राहत लेना।

बचाव/संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता संस्था से सम्पर्क कराना।

- आवश्यकता पड़ने पर महिला को मुफ्त कानूनी जानकारी और सलाह/मशविरा देना।

ध फौजदारी शिकायत दर्ज करवनो या अन्य उपलब्ध कानूनों के तहत सहायता उपलब्ध कराया जाए।

नोट– (1) न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर हिंसाकर्ता को सजा के तौर पर एक साल की कैद और रुपया 20,000/– का जुर्माना हो सकता है।

(2) कानूनी सेवा प्राधिकरण कानून 1987 के तहत महिला को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार हासिल है (अनुच्छेद 12 के तहत न्यायालय की भूमिका।

क्या आप वाकई मुस्लिमों को जानते है...?

(12 अप्रैल, 2014 के इस लेख को लिखे गए अब एक साल से अधिक समय हो चला है, आम चुनाव हो गए हैं और देश में नई सरकार आ गई है। चारों ओर वैसा ही माहौल परिपक्व हो चुका है, जिसका खतरा भाप कर ये लेख लिख गया था। ऐसे में जब पुणे में सिर्फ दाढ़ी और टोपी की वजह से एक बेगुनाह की पीट–पीट कर जान ले ली जाती है।

ये लेख अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य के जीवन और गरिमा के सम्मान के अधिकार और देश में बढ़ते वैमनस्य के खात्में के लिए ये लेख एक अहम कड़ी है क्योंकि न हम तालिबान है, न कबीलाई, न धनपशु और न ही किसी के काम में पिघला सीसा उड़ेल उसके पक्ष को तीर से बेध देने वाले लोग। दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बने उसकी उम्मीद के साथ ये अनुवाद आप सभी के लिए 2014 आम चुनावों के साथ ही वहीं बातें दोबारा कहने का मौका आ गया है। परिष्कृत प्रचलित अपमानों और भारतीय ही नहीं पश्चिमी मीड़िया के भी मूलभूत पक्षपातपूर्ण रवैये से प्रेरित व्यापक दुष्प्रचारों से प्रभावित कई लोग दुनिया के दूसरे बड़े धर्म को लेकर मिथकीय भ्रमों के शिकार है। ये उनके भ्रमों का खुलासा करने का ही एक प्रयास है।

मिथकः मुस्लिम देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। मुस्लिम अपने मुल्कों में अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त नहीं कर पाते लेकिन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग करते है।

दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जिसकी कुल आबादी 25 करोड़ है, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं इंडोनेशिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बल्कि इसकी आबादी भारत जैसी ही है, जहाँ फीसदी मुस्लिम, 9 फीसदी ईसाई, 3 फीसदी हिन्दू, 2 फीसदी बौद्ध, आदि है। (भारत के तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ 80 फीसदी ईसाई हिन्दी, 13.4 फीसदी मुस्लिम और 2.3 फीसदी ईसाई है।) इंडोनेशिया कर राष्ट्रीय शासकीय कथ्य "विभिन्नता में एकता" है। जी हाँ इंडोनेशिया में भी कभी कभार दंगे और बम धमाके होते है, जैसे कि भारत में। वास्तविकता में दुनिया के अधिकार मुस्लिम देश धर्म निरपेक्ष हैं। कई और बड़े उदाहरणों के तौर पर तुर्की, माली, सीरिया, नाइजर और कजाकिस्तान को देखा जा सकता है। इस्लाम के "राजधर्म होने के बावजूद भी सच है। दुनिया में सिर्फ 6 देश है, जहाँ घोषित तौर पर इस्लामिक शरीयत, कानून का आधार है और उनकी आबादी, इंडोनेशिया, तुर्की और तजाकिस्तान की कुल आबादी के बराबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुस्लिम देशो में अधिकांश सेक्युलर है, और दुनिया के अधिकतर मुस्लिम सरकारों के तहत रहते हैं।

मिथक 2ः सभी मुस्लिम आतंकी नहीं होते लेकिन सभी आतंकी मुस्लिम होते हैं। यदि हम आतंकी कौन है, इस विषय में सरकारी परिभाषा भी स्वीकार कर लें तो भी यह पूर्ण रूपेण असत्य है। भारत में गैरकानूनी गतिविधि प्रतिबन्ध एक्ट के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठनों में से एक तिहाई भी मुस्लिम आतंकी संगठन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया में सब सबसे ज्यादा आत्मघाती बम धमाके करने वाला संगठन श्रीलंका में एलटीटीई है। जिसके अधिकतर सदस्य हिन्दू या ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। यह भी सच नहीं है कि भारत में अधिकतर हिंसा मुस्लिम संगठनों की और से होती है। 2005 से 2014 के बीच (साउथ एशिया पोर्टल के मुताबिक) इससे दोगुने लोग पूर्वोत्तर के

उग्रवादियों और वाम आतिवादियों की हिंसा मे मारे गये। ये सभी गैर मुस्लिम संगठन हैं और इस दौरान हिंसा में रत सबसे बड़ा पूर्वोत्तर का उग्रवादी संगठन उल्फा, हिन्दू उच्च जातियों द्वारा संचालित है। दूसरी ओर सरकारी तौर पर प्रचलित "आतंकवाद" की परिभाषा विरोधभासी है। एक बम धमाके में 20 लोगों की हत्या आतंकवाद है, जबकि 1984 में दिल्ली, 2002 में गुजरात में गुजरात में हजारों की हत्या अथवा मुजफ्फरनगर में 40 और उड़ीसा में 2008 में 68 लोगो की हत्या, आतंकवाद नहीं है। हर दंगे की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से होती है। जिसमें हथियारों के संग्रहण से सुनियोजित हमले तक होते है। तो फिर इनको आतंवाद क्यों नहीं माना जाता है।

मिथकः3 मुस्लिम सदैव कट्टरपंथी और बाकी धर्मी की अपेक्षा अधिक धर्मानुकरण करते रहे हैं
हालिया इतिहास इस मिथक को झूठ प्रमाणित करते हुए साफ करता है कि वर्तमान मुस्लिम कट्टरपंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ज्यादा नही महज 40–60 वर्ष तक दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले ज्यादातर इलाके जैसे कि इंडोनशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सबसे मजबूत राजनैतिक ताकतें धर्मनिरपेक्ष वामपंथी थी। इसके अलग–अलग रूप थे। इंडोनशियाई कम्युनिस्ट पार्टी मिस्र, सीरिया और इराक में नासिर और बाथ पार्टी की सरकार, मोहम्मद मोसादेग की ईरानी सरकार आदि। इन देशों में अमेरिका और उसके सऊदी अरब जैसे मदद देकर मजबूर किया, वजह थी इन देशों की धर्मनिरपेक्ष वामपंथी सरकारों से विरोध। पीएलओ से निपटने के लिए हमास का इजरायल द्वारा इस्तेमाल किसी से छिपा नहीं है। 80 के दशक में यह चरम पर था, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में चरमपंथी गुटों को धन और प्रशिक्षण दिलाये। जिन्होने बाद में अल कायदा बनाया। इसी दौरान पाकिस्तान में अमेरिका जिया उल हक की फौजी हुकुमत को भी मदद देता रहा। जिसने पाकिस्तान का इस्लामीकरण करने की कवायद शुरू की। वामपंथी ताकतों को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया, आज मध्य पूर्व में इस्लामिक अतिवादी आंदोलन की ताकत उसी का नतीजा है।

इस सब के साथ ये दोहराना जरूरी है कि इस्लामिक कट्टरपंथ एक राजनैतिक अवधारणा है, जो विशेष परिस्थितियों में बनी, ठीक वैसे ही जैसे कि हिन्दुत्व, ईसाई कट्टरपंथ एक राजनैतिक अवधारणा है, जो विशेष परिस्थितियों में बनी, ठीक वैसे ही जैसे कि हिन्दुत्व, ईसाई कट्टरपंथ या फिर कोई और कट्टरपंथ या दक्षिणपंथी आंदोलन होता है। मुस्लिम कट्टरपंथ के मिथक के पीछे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने और बनाए रखने की यूरोपीय आकांक्षाओं का इतिहास है और लोग उसी उपनिवेशवादी छल को सत्य की तरह दोहराते रहते है।

मिथकः 4 मुस्लिम ही हमेशा हिंसा शुरू करते हैं। हिन्दू 'आत्मरक्षा अथवा प्रतिक्रिया' करते हैं।

दुनिया में जनसंहारों में शामिल हर संगठन ने इसे प्रतिहिंसा या आत्मरक्षा का ही नाम दिया है। 11 सितम्बर के अमेरिका मे वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर हमले को भी इराक और फिलीस्तीन में अमेरिका और इजरायल द्वारा लाखों लोगो की हत्या की प्रतिहिंसा के तौर पर तर्कसंगत बताया गया था। अगर आप दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों के पहले पुलिस को भेजी गई ई–मेल पर भरोसा करें तो ये भी गुजरात में मुस्लिमों के जनसंहार और पुलिस के जुल्म का प्रतिकार थे। 2008 में एक वीएचपी नेता की हत्या का बदला लेने के लिए ईसाईयों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इतिहास में और पीछे जाऐ

तो नाजी पार्टी ने भी पहले सत्ता समर्थित दंगों क्रिस्टल नाइट को एक जर्मन राजनयिक की हत्या की प्रतिहिंसा और खुद को अंतर्राष्ट्रीय यहूदियत से रक्षा का नाम देकर पर जायज ठहराया था, जिसमें सैकड़ों यहूदी मारे गये थे। उनके उपासनागृह और घर हजारों की संख्या में जला दिए गये थे।

कारण सीधा सा है, "लोगों को किसी अमानवीय कृत्य के लिए राजी करने का एकमात्र तरीका उनको ये विश्वास दिलाना है कि वे या तो ये सब आत्मरक्षा में कर रहे है या फिर प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए "प्रतिक्रिया का नाम लेकर शुद्ध अमानवीयता तो सहज ही है। जो लोग ये कहते हैं कि हिन्दू सिर्फ प्रतिक्रिया करते है, वे क्या बिहार के उग्रवादियों द्वारा मराठियों के खिलाफ किसी हिंसा को एम.एन. एस. और शिवसेना द्वारा की गई हिंसा की प्रतिक्रिया मान कर टाल देगें? क्या वे पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों द्वारा दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगो के साथ होने वाली हिंसा के बदले में दिल्ली में किये किसी जनसंहार को स्वीकारेंगे? ये एक समाज के तौर पर हमारे बिल्कुल निचले स्तर पर आ खड़े होने का प्रतीक है कि हम जनसंहार और बलात्कार को सिर्फ आत्मरक्षा और प्रतिक्रिया कह कर न्यायोचित ठहरा देते हैं।

मिथक 5: हिन्दू धर्म के आधार पर हत्या नही करते। सिर्फ मुस्लिम ऐसा करते है, क्योंकि उनका धर्म ऐसा कहता है।

गुजरात में 2002 में, दिल्ली में 1984 में और 1989 में भागलपुर में हुए सभी दंगों में ज्यादातर मरने वाले अल्पसंख्यक थे (मुस्लिम, सिख आदि) उसके बाद हमारे सामने हाल की में हिन्दूवादी संगठनों द्वारा किये गये बम धमाके हैं। इन मामलों में ज्यादातर हमलावर हिन्दू थे और हिन्दूवादी संगठनों ने उनको गैर हिन्दुओं पर इस हमले के लिए प्रेरित किया था। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि उन्होने ऐसा किया क्योंकि हिन्दुत्व की ये जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं साफ तौर पर ऐसी हिंसा में लिप्त संगठनों का इरादा सीधे तौर पर एक विशेष राजनैतिक उद्देश्य को हासिल करना था, जिसे मजहबी रंग में रंग दिया गया था ठीक वही उद्देश्य किसी इस्लामिक अतिवादी संगठन का भी होता है।

हर मजहबी समूह के लिए दूसरे मजहबी समूह से विवाद एक अहम आवश्यकता होती है, लगभग हर धर्मग्रंथ में ऐसे अंश है, जो जुल्म को बढ़ावा देते हैं। (मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के प्रति विचार और ओल्ड टेस्टामेंट में गैर यहूदियों के जनसंहार की बातें अहम उदाहरण है।) इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन धर्मो के अनुयायी इनका शब्दिक अर्थ व्यवहार में ले आते है। हिन्दू ईसाई या किसी भी और समुदाय की अधिकतम आबादी की ही तरह मुस्लिमों की भी अधिकतर आबादी ने न कभी इस तरह की हत्याएं की है और न वे करेंगे।

मिथक 6: मुस्लिमों में एकता होती है और हिन्दुओं में फूट होती है, जिससे वे कमजोर पड़ते हैं।

हर चुनावी शोध में ये साफ हुआ है कि मुस्लिम भी किसी अन्य समुदाय की तरह की वोट करते है। सुविधाओं, प्रत्याशी, पार्टी की पसंद के मुताबिक। व्यवहार में मुस्लिम बाकी मजहबों से अधिक

संयुक्त नहीं हैं उनके आतंरिक धार्मिक, जातीय लैगिक, क्षेत्रीय भाषायें और असंख्य अन्य विभाजक रेखाएं है, ठीक किसी और भातरीय समुदाय की ही तरह यदि मुस्लिमों में एकता होती तो ये भी अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि वे संसद में वेहतर प्रतिनिधित्व पाते। पिछली लोकसभा में सिर्फ 5.5 फीसदी मुस्लिम सांसद थे, जबकि वो देश की आबादी के 13 फीसदी से अधिक हैं। यदि कोई परिस्थिति मुस्लिमों के संयुक्त रूप से रहने को परिभाषित कर सकती है तो वे सिर्फ वह घेट्टों है, जहाँ भेद–भाव के कारण मुस्लिम रहने को मजबूर हैं जबकि चुनावों में जैसे अपनी भौतिक सुरक्षा के लिए जैसे अधिकतर बिहारी' शिवसेना को वोट नहीं देगें, ठीक वैसे ही ज्यादातर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगे। पुनः यह सहज बुद्धि है। एक दल जिसने अपनी संरचना ही आपको विदेशी, आतंकी और देशद्रोही कह कर स्थापित की है, वो आपका वोट कभी नहीं जीत सकेगी।

मिथक 7: सरकार मुस्लिमों का पक्ष लेती है और उनका ख्याल रखती हैं।

विरोधाभास ही है कि आधिकारिक आंकडे भी मुस्लिमों के खिलाफ सुनियोजित भेदभाव दिखाते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तथ्य है कि मुस्लिम बहुत इलाकों में बस स्टॉफ, सड़को और बैक ब्रांचों की संख्या भी, पड़ोसी हिन्दू बहुल इलाको से कम है। औसत मुस्लिम किसी और अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाले ऋण के मुकाबले सिर्फ 2/3 ही प्राप्त करते है। किसी और समुदाय के मुकाबले कच्चें घरों में रहने वाले मुस्लिमों की संख्या और उनमें गरीबी के आंकडे किसी भी और समुदाय की तुलना में अधिक है। 3 फीसदी से भी कम मुस्लिम आईएएस और 4 फीसदी से भी कम मुस्लिम आईपीएस हैं, जबकि उनकी आबादी देश की आबादी के 13 फीसदी से अधिक है। कुल मिलाकर देखे तो सच्चर कमेटी ने मुस्लिमों के हालातो को सामाजिक–आर्थिक रूप से दलितों–आदिवासियों के हालात जैसा ही बताया है।

2007 में इकोनांमिक एंड पांलिटिकल बीकली में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साक्षात्कारों में नौकरी के आवेदनकर्ताओं में दलित आवेदनकर्ताओं को सामान्य जातियों की तुलना में एक तिहाई और मुस्लिम आवेदनकर्ताओं को दो तिहाई कम साक्षात्कार के अवसर दिये गये। यदि आवेदन एक जैसे भी होते, तब दलित नामों की प्राथमिकता एक तिहाई और मुस्लिम नामों की प्राथमिकता दो तिहाई कम ही होती। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में मुस्लिमों को हमेशा ही अवसरों की समानता नहीं मिलती है।

मिथक 8: लेकिन हिन्दू जम्मू–कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते हैं।

कोई भी गैर कश्मीरी जम्मू–कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, जैसे कि कोई गैर हिमाचली, प्रदेश मे जमीन नहीं खरीद सकता है।, नागालैंड में बाहरी लोग बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर सकते है, गैर उत्तराखंड, उत्तराखंड में सिर्फ छोटे निवास भूखंड ही खरीद सकते है, यही नहीं देश के कई इलाकों में स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कानून लागू है। इस मुद्दे का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। (सम्पादक द्वारा म0 370 हटा दिया गया है, कश्मीर से किन्तु और जगह स्थिति वही बनी है।

मिथक 9: मुस्लिमों की आबादी, हिन्दुओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम पुरूष एक से अधिक पत्नियाँ रखते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य बहुसंख्यक बनना है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक युवा मुस्लिम महिलाओं और युवा हिन्दू महिलाओं की प्रजनन दर, समान आर्थिक स्तर में समान है। मुस्लिम परिवारों में प्रजनन दर में आंशिक वृद्धि की वजह ये है कि औरत मुस्लिम परिवार, औसत हिन्दू परिवारों के मुकाबले अपेक्षाकृत निर्धन होते है। इसे समझने के लिए कोई आश्चर्यजनक वृद्धि नहीं चाहिए कि 25 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल में प्रजनन दर, देश में सबसे कम है। गरीबी और सुविधाओं का अभाव धर्म की अपेक्षा बच्चों की संख्या निधारित करने वाला बड़ा कारक है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु और केरल में मुसलमानों में यहाँ जन्म दर, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्य स्थान के हिन्दुओं से भी कम है।

जहाँ तक मुस्लिमों के बहुविवाह की बात है तो एक चरम सत्य है कि इसका आबादी बढ़ने से कोई ताल्लुक नही है क्योंकि अगर किसी मुस्लिम पुरुष की दो पत्नियाँ है तो कोई अन्य पुरुष अविवाहित होगा क्योंकि देश में स्त्री–पुरुषों की आबादी लगभग बराबर है साथ ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 5.8 फीसदी हिन्दू पुरुषों की एक से अधिक पत्नियॉ है जबकि सिर्फ 5.73 फीसदी मुस्लिम पुरुषों की एक से अधिक पत्नियॉ है।

मिथन 9: पाकिस्तान बनने के साथ ही मुस्लिमों को अपना देश मिल गया, अतः 'हमारा देश छोड़ देना चाहिए था।

हिन्दू और मुस्लिम के लिए पृथक राष्ट्र की बात करने वाले शुरूआती नेता, बाद में हिन्दू महासभा के सदस्य हो गये। 1905 में ये मांग करने वाले भाई परमानंद बाद में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी, और तब भी ये मांग एक राजनैतिक दल की राजनीतिक मांग थी। बड़ी संख्या में मुस्लिम ने पाकिस्तान के विचार का विरोध किया, इसमें देश का सबसे बड़ा इस्लामिक दीनी तालीम का मरकज देवबंद भी था और साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष–स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद। पाकिस्तान एक राजनैतिक मांग थी, न कि सभी मुस्लिमों की मांग।

संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि 'मुस्लिम' भी मनुष्य है, वो भी किसी और समुदाय जैसी ही विविधता और मुक्त विचार के साथ मुस्लिमों के खिलाफ घृणा के बढ़ते प्रचार के माहौल में ये आवश्यक है कि इस के विभाजन मिथकों को खारिज किया जाए और इसकी जगह एक ऐसी दुनिया के पक्ष में खड़ा हुआ जाए जो मनुष्य और उसके सम्मान की कीमत जानता हो।

मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी

मेरे पहले मार्गदर्शक रहे मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संस्थापक डा0 लेनिन

मै दीपक चौबे उम्र 27 वर्ष मेरी योग्यता स्नात्तकोतर है और वर्तमान में मै एक अपने ही पायलट प्रोजेक्ट चाय मार्केटिंग में कार्य कर रहा हूँ। परन्तु इस मुकाम तक पहुचने के लिए हमें काफी चुनैतियो का सामना करना पड़ा, मेरा बचपन काफी गरीबी में बीता है। मेरे पापा आये दिन कुछ काम शुरू करते और वह कुछ दिन बाद बंद हो जाता। पांच सदस्यो का परिवार एक व्यक्ति के कार्य से कितना घर चला पाता काफी समस्या के दौर थे, पर मेरे मम्मी पापा का प्यार हमें हमेशा की तरह ज्यादा मिला। मैंने अपनी प्रारंभिक पढाई स्थानीय स्कूल से किया जो मेरे घर के बगल में था, फिर हमने कॉलेज की पढाई पूरी की तभी मेरे पिता जी एक स्थानीय संस्था मानवाधिकार जन निगरानी समिति में कार्य करते थे, वहाँ मै पहले से भी जुड़ा हुआ था और अपना मार्गदर्शन लिया करता था। वहाँ एक फेलोशिप निकला जो की नोर्वे का था जिसके लिए हमने आवेदन किया और उस फेलोशिप में हमारा चयन हुआ। मुझे लगा की इस परियोजना से जुड़ कर मै कुछ बड़ा कर पाउँगा, और मै पूरी तरह इस परियोजना पर अपने आप को केन्द्रित कर लिया।

यह हमारे लिए एक अवसर था। मै एक छोटे से शहर का लड़का कभी इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखा था, पर यह सब मेरे जीवन में हो रहा था, और वह दिन भी आ गया जब मै इस परियोजना के तहत नोर्वे, और नेपाल जैसे देश में काफी कुछ सीखा इस 10 महीने के प्रोजेक्ट में हमने काफी ललक के साथ खुद को काफी बदल लिया। इस परियोजना को पूरा करने के बाद हमारे अन्दर काफी बदलाव आये जिसके बाद हमने पुनः एक नई शुरुआत किये मुझे 2019 में वेदांत फाउंडेशन में कार्य करने का अवसर मिला जिसमे हमने किया।

अचानक Covid19 की लहर ने मेरे जीवन के कई पन्ने उड़ा दिए मेरी जॉब चली गई जिसके बाद पिता जी का देहांत हो गया, ये दो घटना हमें अन्दर से काफी तोड़ दिया। हमारे जीवन के सभी सपने चूर हो गए, मै एक पल के लिए सोचा कि कही बाहर काम करने चला जांऊ पर मै भाई के ऊपर सारी जिम्मेवारी नहीं देना चाहता था इसलिए मैं यही रहकर कार्य करने की ठानी और अपने मुश्किल का सामना करने के लिए हमने पुनः मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संयोजक डाक्टर लेनिन जी से संपर्क किया जिन्होंने हमें नया स्टार्टप करने की बात कही, इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, परन्तु हालात और हौसले ने हमें और परिपक्व बना दिया और हम चाय के रोजगार से काफी खुश है और सपने आस–पास के युवाओं को अपने कार्य से एक नई प्रेरणा देते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है बस उसे करने की ललक और हौसला होना चाहिए, और जज्बा हमेशा बाज की होनी चाहिए।

–दीपक चौबे

मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी

मेरे लिए तिनके का सहारा बना मानवाधिकार जन निगरानी समिति

मेरा नाम मनीष यादव है। हमारे परिवार माता पिता व 6 भाई बहन हैं इतने बड़े परिवार होने के कारण हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। जिसका असर हम सभी पर पड़ा हमारे बड़े भैया केवल कक्षा 10 तक की पढ़ई की हैं। वह लोहे के दुकान में काम भी करते थे। हाई स्कूल के बाद पैसों की दिक्कत के कारण उनके साथ हम दो भाई व तीन बहनों को भी पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा था। हम सभी पढ़ना चाहते थे लेकिन पैसों की कमी के कारण हम अपने माता–पिता से बोल भी नहीं पाते थे, मुझे अच्छे से याद है।

सन 2004 में 1 दिन मम्मी के साथ एक दादी के यहाँ गये थे तो बात करते हुए दादी ने बताया कि एक चौरा माता मंदिर पर एक संस्था का स्कूल चलता है, वहाँ पर दोनों भाई और छोटे बहने का नाम लिखवा दो कोई पैसा नहीं लगेगा, मम्मी ने वहां पर मेरा नाम लिखवाया। वहाँ पर हम कक्षा 5 पास किए, तब भी हमारे पिता के पास पैसा नहीं था। कि हम छटवी में नाम लिखवा सकें।

1 वर्ष तक घर पर बिताना पड़ा, अगले वर्ष मुझे मानवाधिकार जन निगरानी समिति के डॉ लेनिन भैया व श्रुति दीदी ने कहा कि हम बात करेंगे कि किस प्रकार स्कॉलरशिप से संस्था पढ़ती, उसे तुम्हें भी जोड़ा जा सके पर यह स्कॉलरशिप केवल लड़कियों को ही मिलता था, तो दीदी ने श्रुति जी से बात किया उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सभी बात करूंगी अगर सभी लोग तैयार होंगे कि गरीब लड़कों को भी यह स्कॉलरशिप दिया जाए तो तुम भी पढ़ सकोगें और दीदी ने सभी को तैयार किया मुझे यह मेरे जीवन का अनमोल उपहार मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे हर वर्ष स्कॉलरशिप मिलता रहा, मैं पढ़ता गया इस क्रम में हमारे साथ पढ़ने वाली पूजा दीदी ज्योति दीदी नॉर्वे फेलोशिप से जोड़कर नॉर्वे नेपाल गई और वहाँ से आकर हम सभी को अपना अनुभव बताया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बीच पड़ने वाली दीदी इतना अनुभव मिला। उसने प्लेन से बाहर की दुनिया का अनुभव किया यह सब सुनकर मुझे लगता था कि क्या मैं भी घूम सकता हूँ। क्या मैं उस लायक बन पाऊंगा यह सब सोच कर मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं अपने घर की स्थिति को देखकर लगता था, कि यह एक सपना है और कुछ नहीं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है वर्ष 2018 में ऑफिस पर एक प्रोग्राम था, मैं भी वहां पर शामिल था इसी बीच शिरीन शबाना जी और लेनिन भैया श्रुति दी इत्यादि सभी लोग हमसे कुछ न कुछ पूछा कि क्या तुम विदेश जाना चाहोगे तो मुझे बहुत ही उत्साहित महसूस हुआ और मैं झट से बोला हां क्यों नहीं मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे विदेश जाने का मौका मिला।

मैं अपना बैग रखा कुछ दिनों बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया तो मैं पूछा मुझे बोला गया कि तुम FK फैलोशिप में सलेक्ट हुए हो और तुमको नॉर्वे जाना है तो मुझे ऐसा लग रहा था। मैं कैसे प्लेन पर बैठूँगा। पर वह हमारे साथ दो लोग और जाने वाले थे जिनमें हमारे साथ ही अनामिका और समुदाय से एक साथी बबलू राम हम सभी का परिचय हुआ और सभी में अपनी अपनी खुशियां को इजहार किया।

उस वक्त मुझे खुशी के साथ बहुत डर भी लग रहा कि मैं अभी तक फिल्मों में ही विदेश को देखा हूँ बहुत ही अलग तरीके से लोग रहते हैं अंग्रेजी में बात करते हैं तो मैं क्या करूंगा इस तरह की तमाम बातें मेरे मन आ रहा था। हमारा पासपोर्ट बना और हम पहली बार वीजा लेने बनारस से दिल्ली प्लेन से गए। यह हमारे जीवन का पहली प्लेन यात्रा थी इस यात्रा से हमें विदेश जाने का एक उदाहरण स्वरूप हम सीखें, इसके बाद हमें 14 दिन नेपाल के लिए जाना था घर का सारा सामान को जुटाकर इकट्ठा किया जिसे यात्रा के परेशानी ना हो क्योंकि नेपाल से ही नॉर्वे जाना था इसलिए दोगुना तैयारी के साथ हम नेपाल गए थे, पर हम लोगों ने नॉर्वे को नियम कानून प्लेन से जुड़ी सुरक्षा के बारे में हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लिया। इस दौरान हमें पता चला कि हम विदेश जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ पैसे या डॉलर होना चाहिए इसलिए हम लोगों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उत्साह पूर्वक अपने लोग इसको जमा किया वह बोर्डिंग पास लिया। एक भैया के मदद से पैसे को डॉलर में बदला गया डॉलर को हाथ में लेकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था प्लेन का इंतजार करते हुए हमारा समय हुआ और हम लाइन में लगकर विदेश की यात्रा पर निकल गए जब प्लेन हमसे हवा में उड़ रही थी ऐसा लग रहा था हम भी हवा में उड़ रहे हैं ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब प्लेन स्थिर हुआ तो हमारी जान में जान आई और पहली बार प्लेन में बैठने का उत्साह में हम लोग बहुत से फोटो खींचे जिसे देखकर अगल–बगल के लोग हमें ऐसे देख रहे थे। मानो हम बंदर दिख रहे हैं हमें भी लगा तो अपने आप को एक पढ़े लिखे लोग भी बहुत अपने बाद पेश करने लगे तरस हमें जो प्लेन बदलकर नॉर्वे पहुंचना था इसलिए बहुत कुछ घंटों में हम फंसे एयरपोर्ट पर पहुंचे उतरकर हम सब आसपास की वस्तुओं एवं इंसानों को देखते हुए डिस्प्ले पर पहुंचे तो पता चला कि हमारी प्लेन उड़ चुकी है हम बहुत ही घबराए हुए थे कि अब हम ना घर के ना घाट के हम लोग को लगता है फंस गए तो हम लोगों ने अपने बोर्डिंग पास को काउंटर पर दिखाया और अपने टूटे–फूटे अंग्रेजी की इस्तेमाल करके समझ पाने की कोशिश किया तो हम लोगों को दूसरा बोर्डिंग पास मिला और तब जाकर हमारी सांस में सांस आई।

विदेश जाने के साथ–साथ घर की भी याद आ रही थी इस तरह जब हम नॉर्वे पहुंचे तो स्वर्ग की धरती पर उतरी चारों तरफ बर्फी बर्थ था, हम लोग भारत से गर्म कपड़े नहीं पहने थे तो बाहर वहां ठंड और लग रहा था वहां पर हमें लेने नॉर्वे की एसके की सदस्य आई थी। हम उतरे मिले और बात करते हुए कैंप में पहुंचे जो कि एक होटल था अंदर जाने पर हमें लगभग 25 देश के लोग इकट्ठे मिले, हम तो बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे तभी हमारी मुलाकात अंकुर अग्रवाल से हुई जो कि हमारे ट्रांसलेटर के रूप में वहां पर नियुक्त थे। हम लोगों ने उनसे बात की तो वह सुनकर हमें विचारों को अच्छी तरह से बताते थे हमारे 3 दिन का कोर्स चलाया गया जिसमें एसडीजी लीडरशिप सभी देशों के भिन्न–भिन्न नियम व कानून के बारे में जानकारी दिया गया जिससे हमें बाहर की दुनिया के यह पहला अनुभव था जानकारी कोशिश कर और अपने आसपास के लोगों को जानकारी दिया जा सके। इसलिए हम सभी को यह सभी विषय पर विशेष रूप से लिखा गया सबको ट्रेनिंग

दिया गया नॉर्वे एक ऐसा देश है जो कि 6 माह बर्फ से ढका रहता है तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। लोग ज्यादातर मांस का सेवन करते हैं

इस कारण हम लोगों के यहां का भोजन पसंद नहीं आया, हम सब लोग फल व जूस पीकर 3 दिन तक रहना पड़ा। हमारे लिए एक चीख था, जिसे हमने अनुभव किया परिवार से रहकर एक नए जगह नए परिवार को बनाना तथा उसके साथ रहने का अनुभव बहुत ही अलग लगा, हम सब लोग एक नये परिवार के सदस्य थे। जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां थी हमारी बहनों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए वह हम सभी एक दूसरे के कामों में सहायता करते थे, हम सब के साथ बड़ी बड़ी मुसीबत आया, हम सब साथ उसका सामना करते थे। 4 माह एक साथ रहकर सभी को गृह कार्य करना सीखना तथा मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो मुझे सीखना था मैं उन लोगों से सीखा यह भी एक अनुभव नया मिला, सीखने के लिए इसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए 4 माह भारत में खत्म हुआ।

हम सब नेपाल से पोखरा नामक स्थान के ऑफिस पर गए यहां पर प्रकृति सौंदर्य को देख कर मैं बहुत खुश हो गया जैसे लग रहा था, प्रकृति की गोद में आ गया हूँ, यहां पर इनसे कार्यक्रमों को समझने तथा सीखने का मौका मिला, उनके भाषा को सिखा मेरे लिए एक चौलेंज की तरह था यहां का सड़क व आसपास का क्षेत्र बहुत ही सुंदर व साफ–सुथरा 1 दिन मै एक स्थान पर घूमने गया जहां पर मैं एक पैकेट को खुले में फेंक दिया तो आसपास के लोगो ने मुझे घुर कर देखने लगे तो मुझे ऐसा हुआ कि मैंने गलत किया तो मैंने उसे उठा कर डिब्बे में डाला। हमे एहसास हुआ कि हमें भी साफ सफाई करनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कई अनुभव प्राप्त हुआ।

मनीष यादव

मेरी कहानी नोरेक फेलो की जुबानी

मानवाधिकार जन निगरानी समिति, इन्सेक, और नोरेक के सहयोग से कोरोना काल में महिलाओं को मदद की।

मेरा नाम विनती विश्वकर्मा है मै झारखण्ड के कोडरमा जिला की रहने वाली हुँ, मै इंटर तक की पढाई अपने ससुराल से पूरी की और यह मौका हमें ससुराल वालो ने दिया कि विवाह होने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए घर के कामो के साथ–साथ अपने पति के साथ संग्राम संस्था के कार्यो में हाथ बटा कर समाज के मुद्दों की समझ बनाई और कई कामों का अध्ययन और पठन पठान भी किया।

सन 2012 में दलित बच्चों को पढ़ाने का जो एक वर्ष तक गरीब बच्चों को पढ़ाई सन् 2013 में भारत की प्रतिष्ठित संस्था इंडिया अनहर्ड (वीडियो वोलेंटियर) इंटरव्यू में चुनी गई। जिसके बाद सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बना कर लोगो को मदद करने लगी और अपना अध्ययन जारी रखी स साथ हीं लड़कियों और महिलाओं को फ्री में ब्यूटी पार्लर, शिलाई का ट्रेनिंग भी देती रहीस 2016 से झारखण्ड के देवघर जिले स्थित' मधुपुर के संवाद संस्था के साथ जुड़ कर ग्राम सभा सशक्त और ग्राम सभा मे महिलाओं की भागिदारी को बढ़ाने को लेकर काम की सन 2019 में मानवाधिकार जन निगरानी समिति वाराणसी संस्था के सहयोग से डा0 लेनिन सर, शबाना और श्रुति मैम के सहयोग से (यूरोप) नॉर्वे का संस्था द्वारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए नॉर्वे जाने का मौका मिला जो हमारे जीवन का एक अवसर और बहुत हीं गर्व की बात थी। इस संघर्ष और सफलता में मेरे पति ओंकार विश्वकर्मा का भी काफ़ी सहयोग और समर्थन रहा।

लेकिन हमारे लिए शादी सुदा जिंदगी में काम के अलावे घर परिवार और बच्चों को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे कठिन दौर में मेरे पति और घर परिवार वालो ने बच्चो की परवरिस की जिसे मैं अपने लगन और संघर्ष से निभाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। ये सब अपने पूरे परिवार के मदद से कर पा रही हूँ। मैं तीन देशों के साथ (नॉर्वे भारत और नेपाल) यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम में भागीदारी कर उस देश की संस्कृति, सभ्यता और वर्तमान हालात, स्थिति और कला–संस्कृति अन्य काफी चीजें सीखने को मिली और जो भी अध्ययन की उसे समाज को एक नया दिशा देने का काम कर रही हूँ। इसके लिए मै मानवाधिकार जन निगरानी समिति, नोरेक, इन्सेक जैसे संस्था का धन्यवाद देती हूँ। तभी कोरोना के लहरों ने पूरे देश और विदेश में हम सभी के जिंदगी में हलचल मचा दी अचानक से लॉकडाउन लग गया जिससे कितनों की जानें गई और कितनों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ा उस वक्त हमलोगों से जो बन पाया राशन, मास्क जैसे चीजों से मदद किये ।

इसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार और लॉकडाउन खुलने के बाद काफी लोग बेरोजगारी और घर के बिगड़े स्थिति से तंग हो चुके थे, तब कुछ लोगो से बात चीत से पता चला कि कई घरों में शराब और झगड़े का समस्याओं से महिलाएं परेशान है तब मैं सोचने लगी क्या करूँ, कैसे लोगो का मदद करूँ तभी मैं मास्क वितरण करने एक गाँव गई तो देखती हूँ, हर जरूरत की सामान लोग दोगुने दामो में बेच रहे है ख़रीदना लोगो का मजबूरी है तो मेरे पास यूथ फेलोशिप का कुछ पैसे बचे थे। उससे कुछ सामान खरीद ली और संदर्भ गाँव से कुछ महिलाओं जिन्हें काम की जरूरत थी करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई काम या पूंजी नही थी, उनके साथ हमलोगों ने बैठक कर उनको सिलाई का काम और सामान बेचने का काम दी जो वह अपने घर मे हीं रह कर आज भी वे महिलाएं काम कर रही है छोटा हीं सही पर रोजगार से जुड़ रही है आगे कई प्लानिंग है जिसे करना चाहती हूँ लेकिन फिलहाल साधन की कमी है और साथ हीं खुद की स्वास्थ्य और परेशानियों का संघर्ष कर रही हूँ।

–विनती विश्वकर्मा

हेल्पलाइन नंबर

1	महिला हेल्पलाइन (उत्तर प्रदेश) –181	
	(अन्य राज्यों में सी एम् हेल्पलाइन के तौर पर जाना जाता है)	1800–1800–181
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	1800–425–1957
3	आधार हेल्पलाइन	188–300–1947
4	झारखण्ड अधिविधि परिषद् (राँची)	1800–345–0623
5	किसान कॉल सेंटर	1800–180–1551
6	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	188–345–3627
7	सी बी एस ई	1800–118–002
8	मानव सम्पदा (कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग)	1800–345–6568
9	पासपोर्ट सेवा केंद्र	1800–258–1800
10	ई रक्षा (साइबर अपराध नियंत्रण)	1800–345–6533
11	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (राँची)	1800–3436–502 / 516
12	एंटी रेंगिग हेल्पलाइन	1800–180–5522
13	मनरेगा	1800–102–4188
14	एंटी ट्रेफिकिंग हेल्पलाइन	1800–3456–531
15	राष्ट्रीय महिला आयोग	1800–233–222
		91–782–717–0170
16	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	1800–180–0150
17	रिनपास (रांची)	1800–118–004
18	बाल श्रम	1800–345–6562
19	सेवा का अधिकार	1800–3456–538
20	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1800–3456–540
21	उपभोक्ता मामले	1800–11–4000
22	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	1800–2080–4545
23	आपदा प्रबंधन	1070
24	पुलिस	112
25	पुलिस सहायता	100
26	चाइल्ड लाइन	1098
27	मानसिक स्वास्थ्य	1800–208–1630
28	दिव्यांग हेल्पलाइन	1888–843–4564

अन्य किसी भी तरह की हेल्पलाइन सहायता के लिए आप https://indianhelpline-com **पर जा कर भारत के किसी भी राज्य के हेल्पलाइन की जानकारी ले सकते हैं।**

NOREC:

The Norwegian Agency for Exchange Cooperation (NOREC) is an executive body under the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Our aim is to help achieve the overarching goals of Norwegian development policy, which form part of Norway's integrated approach to implementing the 2030 agenda. NOREC does this through mutual exchange. This means that we work with international partners who want to use the exchange model to learn from each other and develop. Norec is the only competence centre for international exchange in Norway. We provide knowledge and inspiration on our exchange method to organisations, institutions and private companies. Head office is located in Førde in Western Norway.

Norec provides grants, follow-up and training to about 220 partners from various countries. Our partners consist of organisations, institutions and private businesses in Norway, Africa, Asia and Latin America. We all work together to solve global problems, based on local needs and conditions. Norec is a Norwegian competence centre for exchange cooperation. We can provide advice and information and offer areas for the exchange of experience to organisations, institutions and companies that wish to send and/or receive participants on work placements. Our grant is used to enable our partners to exchange employees or members among themselves. The exchanges must be long-term and involve multiple tours over several years. Both the partners and those who go on exchange – i.e. the participants – must take active steps during and after the exchange to ensure the best possible environment for learning. All partners and participants receive training and follow-up support before, during and after the exchange. Our courses are designed to facilitate active participation and varied learning methods, to increase the motivation to be a change maker and to encourage reflection. We thus ensure that everyone involved learns about exchange cooperation and can put it into a global context.

Core Values

Reciprocity is one of our core values and a guiding principle. A reciprocal partnership implies that everyone both contributes and benefits from the relationship. All parties are equal in a reciprocal partnership. Every party has the power to influence the processes and decisions that affect them. The partners must collaborate on project development, goal setting, recruitment and participant follow-up, and must demonstrate transparency about the use of resources and budget. They each set their own goals, but as partners, they also commit to helping each other to achieve these goals. Building trust takes time. We know that the reciprocal aspect of a partnership evolves over time. The trust that develops leads to the sharing of responsibilities, ownership of each other's results, and a common understanding of the challenges. Reciprocity highlights contributions, respect and ownership of one's goals, and facilitates participation in the development of society. In addition to reciprocity, Norec has some behavioural values that should characterise both employees and participants. We have paired the values, which serves to show how we seek to address multiple dimensions simultaneously: challenge and show respect; be engaged and professional.

E-mail: norec@norec.no website: https://www.norec.no/en/

मानवाधिकार जननिगरानी समिति

विजनः

जनमित्र सिद्धान्त पर एक सच्चे, वास्तविक व सक्रिय लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना, जिससे राज्य द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारो का हनन न हो।

मिशनः

लोगों के सभी बुनियादी अधिकार दिलवाना, जिससे वंचित व हासिये पर धकेले गये समूहो के अन्याय व उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले स्थितियों को समाप्त किया जा सके और जनमित्र समाज की स्थापना के लिए अर्न्तसंस्थागत पहल (Inter-institutional approach) के द्वारा आन्दोलन शुरू किया जा सके।

मूल्यः

- **समता–इंसानियत**
- **अहिंसा–सहभागी लोकतंत्र**
- **धर्मनिरपेक्षता–न्याय–कानून का राज**

कार्य का तरीका :

- स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार हनन के सभी जाँच व दस्तावेजीकरण को पैरवी, प्रकाशन व नेटवर्किंग करना
- अहिंसक व लोकतांत्रिक समुदायों का मॉडल स्थापित करना (जनमित्र गाँव, यातना रहित गाँव)
- स्थानीय संस्थाओं को बनाने एवं मजबूत करना और उसे सक्रिय मानवाधिकार समूहों से जोड़ना।
- बेजुबानों के लिए लोकतांत्रिक ढांचे को खड़ा करना, जिससे वे अपनी चुप्पी तोड़कर आधुनिक भारत के संवैधानिक गारंटी तक अपनी पहुँच बना सके।
- वंचित तबको को ट्रेनिंग द्वारा सशक्त करना और सूचनाओं तक उनकी पहुँच बनाना।
- मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना।

स्थानीय गतिविधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क व संस्थानों को जोड़ना।

INSEC

INSEC was founded in 1988 by inexorable HR defender late Prakash Kaphley and prominent HR activist Sushil Pyakurel. Started with the objective of protecting the rights of people engaged in informal sectors, it has significantly contributed in protecting and promoting the fundamental rights of people in virtually all sectors. The efforts made during its early days made effective contributions in institutionalizing the democratic polity in the nation from a rights-based approach, both at the policy and grassroots levels, especially after the restoration of democracy in 1990/91.

Immediately after the inception, INSEC implemented a programme targeting the cart pushers of the Kathmandu valley. Fundamentally, the programme sought to protect their economic rights through study, advocacy and campaigning for ensuring appropriate labor wage to the cart pushers.

In course of time, INSEC has gradually identified its core competency areas which are organizing campaigns, awareness creation and education programs for making people capable of asserting their civil and political rights and documentation of human rights situation of the country and its dissemination at national and international arenas. Education, monitoring, lobbying, advocacy, research and training on issues related to human rights have been major regular undertakings for INSEC for more than a decade already.

As human rights NGO, INSEC is focused towards working with disadvantaged groups. Its targeted working groups have been the agricultural laborers, underprivileged women, and socially discriminated people including Dalits and children.
Mail:insec@insec.org.np Website: www.insec.org.np / www.inseconline.org

PVCHR:

People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) startedin1996 as a membership based human rights movement in Varanasi (Uttar Pradesh), one of the mosttr aditional, conservative and segregated regions in India.

In 1999, PVCHR formed the public charitable trust Jan Mitra Nyas (JMN) to monitor and evaluate activities, to operate the bank account and to enable the organization to have official clearance for receiving foreign grants. PVCHR/JMN works to ensure basic rights for marginalized groups in the Indian society, e.g. children, women, Dalits and tribes and to establish rule of law through participatory activism against extra judicial killing, police torture, hunger, bonded labour and injustice by the caste system. PVCHR/JMN ideology is inspired by the father of the Dalit movement, Dr. B. R. Ambedkar, who struggled against Brahmanism and the caste hierarchical system prevailing in India.

The initial Objectives of PVCHR were:
The immediate and unconditional release of prisoners of conscience people detained for their beliefs or because of their ethnic origin, sex, color, language, national or social origin,

economic status and, who have not used or advocated violence

The prompt and fair trial of political prisoners Anend to death penalty, torture and other forms of cruel, in human or degrading treatment or punishment.

Anend to political killings and disappearances Eradication of slavery e.g. Child slavery and bonded systems, slavery in trafficking etc

OUR VISION

To establish a true, vibrant and fully entrenched democratic society through JanMitra concept where there shall be no violation of civil rights granted to a citizen by the state.

OUR MISSION

To provide basic rights to all, to eliminate situations, which give rise to exploitation of vulnerable and marginalized groups and to start a movement for a people friendly society (*JanMitra Samaj*) through an inter- institutional approach.

Core Values:

- Equity
- Fraternity
- Non–Violence
- Participatory Democracy
- Secularism
- Justice –Rule of Law

Core Focus:

- Freedom
- Education
- Economic Empowerment
- Digital transformation
- Governance and Human Rights

Our Working Approach:

Accurate investigation and documentation of human rights violations connected with advocacy, publication and networking on a local, national and international level Direct support and solidarity to marginalized and survivors in general and women, dalit, minorities, tribal, children in particular. Bringing learning of gap, challenges, and best practices for institutional reform against he gemonicm as culinity.

reating models of non -violent and democratic communities (People friendly villages,

torture-free villages)

uilding up local institutions and supporting them with active human rights networks reating a democratic structure for the 'voiceless' to enable them access to the constitutional guarantees of modern India in context of Universal Declaration OF Human Rights (UDHR)

impowering marginalized communities through capacity building based on human dignity, hope, honour & justice process based organizational building and access to information promoting a human rights culture, and conflict transformation for sustainable peace based on pluralistic democracy, rule of law and participatory inclusive democracy in king local and international human rights together to support marginalized and survivors inking grassroots activities and international human rights networks and institutions

Strategy

1. Practice to Policy: Peoples' Advocacy
2. Policy to Practice : THE MODEL OF JANMITRA VILLAGE basedon active listening, empathy for hope, honour and dignity
3. Organization building/Capacity building

Our comprehensive programs

Comprehensive program for survivors of torture and Organized Violence
Comprehensive program for model villages and model
Comprehensive program for women and children sectors
Program for national lobby, campaign and advocacy
Program for international solidarity, partnership and networking

Website, Wikipedia pageandblogs:

www.pvchr.asia,www.janmitranyas.in

https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Vigilance_Committee_on_Human_Rights

www.testimony-india.blogspot.com,www.pvchr.blogspot.com

JMNblog:http://jmntrust.blogspot.com/

MobileNo:+91-9935599333
Email:pvchr.india@gmail.com

वाराणसी, शनिवार, 17 दिसम्बर, 2005

दैनिक जागरण

बीएचयू के भारत कला भवन में रखे शाही दस्तावेज से खुलासा

औरंगजेब का था फरमान : काशी में मंदिर न तोड़ें

वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी

मुगलकाल के इतिहास को समझने के लिए कुछ दस्तावेजों का अवलोकन जरूरी है। इससे इतिहास के बारे में एक नई समझ बनती है। आमतौर पर औरंगजेब के बारे में यह धारणा है कि उसने मंदिरों को तोड़वाया था लेकिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में रखे औरंगजेब द्वारा जारी फरमान को देखने से लगता है कि उसने मंदिर तोड़ने वालों को इस तरह की कार्रवाई न करने का सख्त निर्देश दिया था।

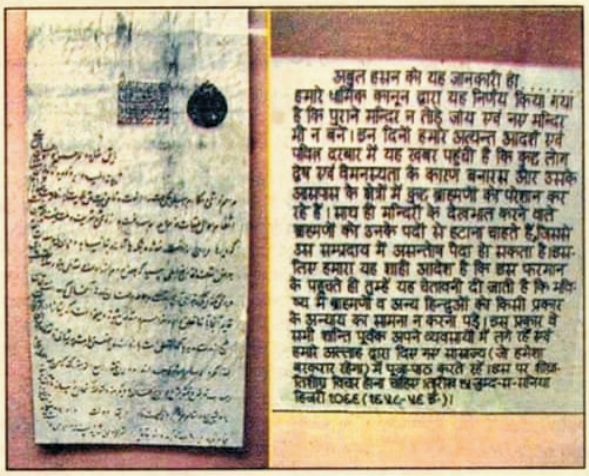

औरंगजेब द्वारा जारी एक ऐसा ही फरमान यहां भारत कला भवन में संरक्षित है जिस पर शाही मुहर भी लगी है। इस फरमान का हिन्दी रूपांतरण भी कला भवन में उपलब्ध है। औरंगजेब ने वाराणसी में तैनात अपने सिपहसालार को सम्बोधित करते हुए फारसी भाषा में यह फरमान जारी किया था, जो इस प्रकार है- कि 'अबुल हसन को यह जानकारी हो... हमारे धार्मिक कानून द्वारा यह निर्णय किया गया है कि पुराने मंदिर न तोड़े जायें एवं नये मंदिर भी न बनें। इन दिनों हमारे अत्यंत आदर्श एवं पवित्र दरबार में यह खबर पहुंची है कि कुछ लोग द्वेष एवं वैमनस्यता के कारण बनारस व उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही मंदिर की देखभाल करने वाले ब्राह्मणों को उनके पदों से हटाना चाहते हैं, जिससे उस सम्प्रदाय में असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए हमारा यह शाही आदेश है कि फरमान के पहुंचते ही तुम्हें यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ब्राह्मणों व अन्य हिन्दुओं को किसी प्रकार के अन्याय का सामना न करना पड़े। इस प्रकार वे सभी शांतिपूर्वक अपने व्यवसायों में लगे रहें एवं हमारे अल्लाह द्वारा दिये गये साम्राज्य (जो हमेशा बरकरार रहेगा) में पूजा पाठ करते रहें। इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार होना चाहिये।' यह फरमान तारीख 15 जुम्द-स-सनिया हिजरी 1069 (1658-59 ई.) में जारी किया गया था।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर परमानन्द सिंह का मानना है कि औरंगजेब ईमानदार शासक था लेकिन उसके बारे में अनेक गलतफहमियां हैं, क्योंकि वह जिद्दी स्वभाव का था। वह शाही खजाने से अपने व्यक्तिगत खर्च तथा भोजन के लिए धन नहीं लेता था। औरंगजेब एक अच्छा कलाकार था और टोपी बनाता था तथा उसे बेचने पर जो आय होती थी उसी से अपना खर्च चलाता था। भारत कला भवन के डा. राजेन्द्र सिंह का कहना है कि औरंगजेब कुरान की आयतों को कागज पर लिखता था तथा उससे होने वाली आय से भी अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरा करता था। डा. सिंह ने औरंगजेब के सम्बन्ध में हुए शोध का हवाला देते हुए कहा कि वह काशी के कुछ मंदिरों के रखरखाव तथा पुजारियों के वेतन के लिए भी धन देता था।

For Note

For Note

गांधी जी का जन्तर

तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ:

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

Printed by : Screen Vision, Ghausabad Varanasi Mob. 9415204527 Published : June 2022